भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी (बडासी), थानों रोड–रायपुर, देहरादून।

किसी व्यवस्था की विशिष्ठियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है, से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या-1875/VII-A-1/2021–03(101)/2021
देहरादूनः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात :–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) **"कलक्टर"** से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) **"आयुक्त"** से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारवाहक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) **"स्थानीय अधिकारी"** से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;

(च) **"व्यक्ति"** से भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) **"पर्वतीय क्षेत्र"** के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा, चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(ज) **"मैदानी क्षेत्र"** के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश,

डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

(झ) **"खनन सत्र"** से 01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक अभिप्रेत है;

(ञ) **"आबादी"** से आवेदन की तिथि को कम से कम 10 परिवारों का समूह निवासरत हों, आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) "On site स्थापना" से नदी/गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;

(ठ) **"नदी"** (Perennial river) से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह वर्षभर निरन्तर होता रहता अभिप्रेत है;

(ड) **बरसाती नदी, नाला एवं गधेरा** (Non-Perennial river) से ऐसे जल प्रवाह से है, जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है, अभिप्रेत है;

(ढ) **"नियमावली"** से यथाप्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली अभिप्रेत है;

(ण) **"नदी के किनारे"** से उच्चतम बाढ़ स्तर 'Highest flood level' अभिप्रेत है;

(त) **"महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी"** से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत है;

(थ) **"महानिदेशक"** से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(द) **"निदेशक"** से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) **"राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना"** से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

(न) **"राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था"** से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम लि., टी.एच.डी.सी.लि., एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., सी.पी.डब्लू.डी, पी.डब्लू.डी., यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है,

(2) **"शब्द और पद"**, जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय–I. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट

स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन

3. (i)-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन **अनुसूची–1** में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित छः प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन में प्लान्ट एवं भण्डारण हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant)/आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पटिटका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि के क्षेत्रफल को मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया हो, मानचित्र सहित प्रस्तुत की जायेगी। भण्डारण हेतु मानचित्र पर प्रदर्शित

क्षेत्रफल में एक समय मे भण्डारित की जाने वाली अधिकतम उपखनिज की मात्रा का भी उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन शुल्क

4. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में रू. 10,000/–विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण

5. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार हो, में विज्ञप्ति जन–साधारण की सूचना हेतु आवेदक के व्यय पर प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति में आवेदक इकाई का नाम, पता व स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित होगा। विज्ञप्ति पर यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो प्रस्तावित प्लान्ट के निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आते हों तथा प्रस्तावित इकाई की स्थापना/संचालन से प्रभावित हों अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के **15 दिन** के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

यदि विज्ञप्ति के सापेक्ष आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रस्तर–6 में **गठित समिति** के अध्यक्ष द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति सहित आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र मय गठित समिति की आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अग्रसारित किया जायेगा।

स्थल चयन समिति

6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :–

1.	संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य
3.	महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य सचिव

चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप **अनुसूची–2** में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

दूरी के मानक

7. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे :–

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	50 मी०	50 मी०
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

टिप्पणी :–

(1) पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लाट की स्थापना हेतु Non-Perennial river के किनारे से 25 मीटर, नदी (Perennial river) से दूरी 50 मीटर तथा सरकारी वन से दूरी 25 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के मानकों के समान होंगे।

(2) गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से निर्धारित क्षैतिज दूरी के मानकों के सापेक्ष मौके पर प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।

(3) आबादि से 300 मी0 के अन्तर्गत स्थित परिवारों/भूस्वामियों की एन0ओ0सी0/अनापत्ति अपरिहार्य होगी।

(4) आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

पर्यावरणीय मानक

8. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

(2) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम,1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल

9. इस नीति के प्रख्यापन के उपरान्त आवेदित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल, जो एक संहत खण्ड में हो, निम्नवत् होगा :–

(क) मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफलः– 0.75 है0 ।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफलः– 0.10 है0 ।

(ग) प्लांट हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार, प्लांट, हरित पट्टिका, धर्मकांटा, ऑफिस एवं वाहन के आवागमन हेतु मार्ग के क्षेत्रफल को छोडने के पश्चात् अवशेष क्षेत्र में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण उपलब्ध/आवेदित क्षेत्रफल के अनुसार किया जायेगा।

(घ) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में प्लांट की वार्षिक कशिंग क्षमता की 1.5 गुना से अधिक की मात्रा का भण्डारण नहीं कर सकेगा।

(ड) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की वार्षिक कशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):– प्लांट की क्षमता (टन/घंटा) x स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10घंटा प्रतिदिन x 360 दिन।

(च) कच्चा माल (आर0बी0एम0) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित माल का विक्रय

10. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल के स्रोत को **नोटराईज्ड शपथ–पत्र** के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

उत्पादित माल का विक्रय विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट संचालक को उत्पादित माल के विक्रय की गयी मात्रा पर निर्धारित पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता

11. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में आवेदक द्वारा शपथ–पत्र पर घोषित की जायेगी।

(2) क्षमता का परीक्षण/प्रमाणीकरण निम्न विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा :–

क– महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी

ख– विद्युत वितरण निगम का जिला स्तरीय अधिकारी

ग–लोक निर्माण विभाग या अन्य अभियांत्रिकी विभाग का यांत्रिक अभियन्ता (Mechanical Engineer)

समिति द्वारा प्लांट का संचालन कर प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा तद्नुसार प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

विशेषज्ञ समिति, प्रत्येक दो वर्ष में या शिकायत प्राप्त होने या प्लांट स्वामी के अनुरोध पर, प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग की क्षमता का परीक्षण कर आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक को उपलब्ध करायेगी।

अनुज्ञा शुल्क

12. **स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :–**

क्र० सं०	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	रू0 **10.00 लाख** (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रू0 **20.00 लाख** (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रू0 **1.00 लाख** (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रू0 **2.00 लाख** (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	रू0 **2.00 लाख** (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रू0 **4.00 लाख** (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रू0 **25,000.00** (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रू0 **1.00लाख** (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

अनुज्ञा शुल्क इकाई की स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति

13. (1) जिलाधिकारी एवं महानिदेशक की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति

सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं महानिदेशक को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त तथा स्थल पर प्लान्ट के स्थापना के उपरान्त उसका उपयोग प्रारम्भ होने पर उत्तर–प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें

14. प्लान्ट संचालन हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा :–

(1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष के भीतर प्लान्ट की स्थापना/संचालित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्लान्ट अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।

(2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(4) प्लान्ट के सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

(5) प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(6) प्लान्ट में छेड़छाड़ विरोधी (Tamper Proof) इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।

(7) समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

(8) खनिजों का रू. 2.00 लाख से अधिक धनराशि का क्रय एवं विक्रय की कार्यवाही चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ही किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(9) प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी. वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर ₹ 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

विनियमितीकरण

15. (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी, जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के 06 माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण हेतु आवेदन निर्धारित विनियमितीकरण शुल्क के साथ महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त विनियमितीकरण जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

विनियमितीकरण शुल्क नीति में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 01 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा। निदेशालय द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई–रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

नीति की घोषणा के 06 माह बाद **ई–प्रपत्र "जे"** केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

नवीनीकरण

16. स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण निम्नवत् किया जायेगा :–

(1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–3** में वर्णित अभिलेखों सहित किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण प्रस्ताव/आवेदन का स्थलीय निरीक्षण महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी एवं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी सहित संस्तुति सहित आख्या **अनुसूची–4** जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश, जिलाधिकारी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु भण्डारण सहित स्वीकृत किया जायेगा।

(3) प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क नवीनीकरण की स्वीकृति होने के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा, जो नीति में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा।

(4) पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानकों को छोड़कर अन्य मानकों को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण:

17. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदरों का नाम परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 2.00लाख।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 1.00 लाख।

प्लान्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरण

18. पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे प्लान्ट, जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एव दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अध्याय–II. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

आवेदन

19. प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–5** में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय–2 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

अनुज्ञा शुल्क

20. **मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :–**

रू0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु)
रू0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु)
रू0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु)
रू0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण

21. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज करायें। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण–दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

स्थल चयन, मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति

22. (1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।

(3) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।

(4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

(5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।

(6) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।

(7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम **एक वर्ष** अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ–साथ स्वीकृत की जायेगी।

परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।

(8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

(9) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा–जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

नवीनीकरण

23. (1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

(2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियो में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नाम परिर्वतन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण: 24. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति, जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:– इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

1. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/–
2. मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 25,000/–

अध्याय–III. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

आवेदन 25. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची–6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।

अनुज्ञा शुल्क 26. अनुज्ञा शुल्क रू0 25000/–

अनुज्ञा स्वीकृति 27. 1. जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नवीनीकरण 28. हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।

अन्य शर्तें 29. (1) प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(2) प्लान्ट को ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(3) प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा–निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

नाम परिर्वतन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरणः

30. हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

1. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/–
2. रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/–

अध्याय–IV. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

आवेदन

31. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची–7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन शुल्क

32. पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

स्थल चयन समिति

33. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

अनुज्ञा देने हेतु शर्तें

34. (क) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु न्यूनतम 0.20 एकड़ क्षेत्रफल आवश्यक होगा।

(ख) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, सार्वजनिक धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।

(ग) पूर्व से स्थापित/संचालित पल्वराईजर प्लांट पर दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगें।

(घ)प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to

establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ङ) प्लांट स्वामी को ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अपरिहार्य होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति 35. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होगें।

नवीनीकरण 36. पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरणः 37. पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु –रू. 50,000/–

विविध 38. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटको प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालकों को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा तथा हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट में प्रयोग हेतु क्रय किये गये उपखनिज (ग्रिट आदि) की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

39. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त

अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

(2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) स्थापित एवं संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) नये प्लान्ट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लान्ट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरूद्व अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

अध्याय–V. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति :–

आवेदन 40. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–8** में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–8** में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना के सरकारी कार्यदायी संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

स्थल चयन समिति 41. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों से स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित स्थल की निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त की जायेगी :-

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–8** में जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अनुज्ञा स्वीकृति 42.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज के भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा 05 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न टनलों/निर्माण स्थलों से निकलने वाले उपखनिज Muck में

से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियमानुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा) को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

मानक एवं अन्य शर्तें

43. (1) हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप मे मान्य होगा।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत **अधिसूचना दिनांक 09 जून 2021**, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम–1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेरिंग (Boundary wall)/Covered Fencing) के अन्दर स्थापित करेगा।

(4) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिगं प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को कवर्ड शैड (Covered shed) के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर फव्वारे (Water sprinklers) लगाने होंगे।

(6) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(7) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।

(8) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह

कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(9) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

(10) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार फव्वारे (Water sprinklers) की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।

(11) फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।

(12) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जाय। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।

(13) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) लिया जाना अपरिहार्य होगा।

(14) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।

नीति का स्पष्टीकरण

44. इस नीति में किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुसूची–1

(06 प्रतियों में)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्कीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:–.....।

2– स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम)–.....
पता–.....
मोबाईल नं0–.....
ई–मेल आई0डी0–.....

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला.....
तहसील.....
ग्राम.....
खसरा संख्या .....
क्षेत्रफल.....

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....।

5– अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति मे निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति.....।

6– प्लांट परिसर मे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).....।

7– अनुज्ञा शुल्क का विवरण :– चालान सं0.....धनराशि.....दिनांक.....।

8–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

9–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता.....।

11–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

12–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....।

13–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....।

14– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति.....।

15– आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति .....।

16– स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति.....।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..।

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति.....।

22– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति.....।

23– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र.....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप
(अनुसूची–2)

1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:–.....।

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.....।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण –.....।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा).....।

5. आवेदक शुल्क का विवरण:–

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी:–

7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी:–

8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक.....।

9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:–

10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक.....।

11. प्रस्तावित संयत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति मे निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:–

क्र0सं0	स्थान	नीति मे निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	टिप्पणी
1.	सरकारी वन			
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से			
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से			
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि			
5.	आबादी से दूरी			

12. राजस्व विभाग की आख्या :–

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण:–

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	खाता सं0	खसरा सं0	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है0 मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

(ख). आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोटराईज्ड शपथ पत्र:– .....।

(ग). आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के संबंध में प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र.....
.....।

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– .....।

13. वन विभाग की आख्या:–

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी:– .....।

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी:– .....।

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:– .....।

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– .....।

14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :–

1. (क) नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 मे):–...

.....

(ख) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लान्ट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन मे).....।

(ग) नीति के अध्याय– I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय मे भण्डारण क्षमता (टन मे)– .....।

(घ) नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन मे):–.....।

2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध मे टिप्पणी:–.....।

3 (क). आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध मे विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– .....।

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय मे आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नही, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नही, यदि की गई है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– .....।

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लाट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स.....।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व मे स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों मे अर्थदण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है तो पूर्ण विवरण :– .....।

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणीः– .....।

7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध मे टिप्पणीः– .....।

8. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक होः–

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुतिः–

(प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि)	(जिला खान अधिकारी)	(उप जिलाधिकारी)
वन विभाग,	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,	राजस्व विभाग,
सदस्य।	**सदस्य सचिव।**	**अध्यक्ष।**

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (अनुसूची–3)।

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:–.....।

2– स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.....

.....

पता–.....
मोबाईल नं0–.....
ई–मेल आई0डी0–.....

3– आवेदित स्थल का विवरण –

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल

4– स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्गत आदेश की प्रति .....।

5– प्लान्ट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है .....।

6– अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति मे निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मानचित्र की प्रति.....।

7– प्लांट परिसर मे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).....
.....।

8– आवेदन शुल्क का विवरण (मूल प्रति सहित) :–

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

9– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

क्र0सं0	स्वीकृत अवधि मे प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन मे)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा धनराशि (रू0)

10–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.....।

11–यदि आवेदक एक व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता .....
.....।

12– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

13– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....।

14– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....।

15– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति .....।

16– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष मे जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..
.....।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..
.....।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

19– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध मे यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने अथवा यदि अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन सम्बन्धी प्रकरणों मे अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध मे प्रकरण विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन हो तो मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय आदेश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

20– प्रचलित नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0–6 व अध्याय–III के बिन्दु सं0 2 के अनुपालना के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

21– आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैक में बंधक हो तो, संबंधित बैक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....

22– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में अनुबन्ध की नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रति.....।

23– पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति.....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप
(अनुसूची–4)

1. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:–.....।

2. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.....।

3. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण –.....।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं0	क्षेत्रफल

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा).....।

5. आवेदक शुल्क का विवरण:–

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

6. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक.....।

7. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :–

1. **(क)** नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 मे):–.....

(ख) नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 (ग) के अनुसार प्लांट परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु अवशेष क्षेत्रफल(है0 मे):– .....।

(ग) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अवशेष आवेदित भण्डारण स्थल मे एक समय मे भण्डारण क्षमता **(टन मे)**.....

(घ) नीति के अध्याय– I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय मे भण्डारण क्षमता **(टन मे)**– .....।

(ड़) नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता **(टन मे)**:–.....

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट मे Tamper Proof इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया गया है अथवा नही.....।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के है अथवा नही...............................।

4. प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी.....................................।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नही है यदि है, तो पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति सहित..।

6. (क). स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरणः–.............।

(ख). भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण ....।

7. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः–

8. सी0सी0टी0वी0 संचालन की स्थिति के सम्बन्ध मे टिप्पणी...।

9. विगत पॉच वित्तीय वर्षों मे प्लांट स्वामी के द्वारा क्रय–विक्रय किये गये उपखनिज का विवरणः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	प्लांट की स्वीकृत वार्षिक क्रशिंग क्षमता (टन मे)	क्रय	विक्रय

10. पूर्व स्वीकृत अवधि मे जमा किये गये पर्यावरणीय एवं खनिज सम्पदा शुल्क का विवरणः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अवधि मे प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन मे)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा धनराशि (रू0)

11. नीति के अध्याय–। के बिन्दु संख्या 7 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) मे चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति...............................।

12. नीति के अध्याय–। के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।

13. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध मे टिप्पणीः–

14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स...।

15. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:-

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

1. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) मे चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति..... .....।
2. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
3. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उर्त्सजन 600 $\mu g/m^3$ से कम है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
4. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मे Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 मे निर्धारित मानकों के अनुरूप होने अथवा न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/कन्वेयर बैल्ट आदि को covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है अथवा नही के सम्बन्ध में टिप्पणी.....।
6. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के है अथवा नही.....।
7. सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है अथवा नही.....।
8. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टीका का निर्माण किया गया है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
9. सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की गयी है अथवा नही.....।
10. फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की गयी है अथवा नही.....।
11. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित की गयी है अथवा नही.....।
12. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish जारी किये जाने की तिथि..... तथा अन्तिम Consent to Operate की तिथि.....।
13. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
14. प्लांट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगायी जाने वाली अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुति:-

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(जिल खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–5

(03 प्रतियों में)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते है कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नामः–.....।

2– मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.....

पता–.....
मोबाईल नं0–.....
ई–मेल आई0डी0–.....

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला.....
तहसील.....
ग्राम.....
खसरा संख्या .....
क्षेत्रफल.....

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....।

5– प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.....धनराशि.....दिनांक.....।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

धनराशि.....वर्ष.....से .....तक।

8– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

9–अवधि, जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

10–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .....।

11– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता.....।

12–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

13–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रतिं या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....।

14–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति.....।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति .....।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैक में बंधक हो, तो संबंधित बैक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर.....।

20– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–6

(03 प्रतियों में)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते है कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा परिसर मे खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट का नाम:–.....।

2– हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.....

पता–.....
मोबाईल नं0–.....
ई–मेल आई0डी0–.....

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला.....
तहसील.....
ग्राम.....
खसरा संख्या .....
क्षेत्रफल.....

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....।

5– प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).....।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.....धनराशि.....दिनांक.....।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....
धनराशि.....वर्ष.....से .....तक।

8–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता.....।

11–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

12–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....।

13–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....।

14– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति.....।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति .....।

17–आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर.....।

22– प्लांट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–7

(06 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते है कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– पल्वराईजर प्लांट का नाम:–.....।

2– पल्वराईजर प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.....
.....
पता–.....
मोबाईल नं0–.....
ई–मेल आई0डी0–.....

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला.....
तहसील.....
ग्राम.....
खसरा संख्या .....
क्षेत्रफल.....

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....।

5– प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).....।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.....धनराशि.....दिनांक.....।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण.....
धनराशि.....वर्ष.....से .....तक।

8– अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता.....।

11– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

12– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....।

13– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....।

14– आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति.....।

15– प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति .....।

16– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति.....।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति .....

17– अवैध मण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

20– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

21 – आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...

22– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर.....।

23– प्लांट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

24– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र.....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं हेतु स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(अनुसूची–8)

(03 प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पत्थराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये **स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट** की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट का नामः–.....।

2– स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नामः–.....
पता–.....
मोबाईल नं0–.....
ई–मेल आई0डी0–.....

3– आवेदित स्थल का विवरण –

क्र0 सं0	ग्राम	तहसील	खाता सं0	ख0सं0	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....।

5– प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।

6– अनुज्ञा शुल्क का विवरण :– चालान सं0.....धनराशि.....दिनांक.....।

7– अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

8– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

9– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....।

10– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे परियोजनाओं एवं उनके मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति .....।

11– आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति.....।

12– प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति .....।

14– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

15– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।

16– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

17– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/ नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....।

18– आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....

19– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रेक्टर्स का जी0एस0टी0 नम्बर.....।

20– विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण स्थलों/टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट मे उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप मे मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा।

21– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र.....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1874 /VII-1/2021/158ख–04टीसी
देहरादून, दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमित करते हुए राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा;

(ग) "वाहक" से किसी रीति, सुविधा या वाहन अभिप्रेत है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय, जिसमें यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है;

(घ) "अनुसंधान कार्य" से बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये कोई कार्य अभिप्रेत है;

(ङ) 'नियमावली, 1960" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन खनिज से भिन्न) रियायत नियमावली, 2016 अभिप्रेत है;

(च) "नियमावली, 2001" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी "उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(छ) "वैज्ञानिक परीक्षण" से बिना किसी वाणिज्यक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिज विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये परीक्षण अभिप्रेत है;

(ज) "जिला अधिकारी" से उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें भूमि स्थित है;

(झ) "अभिवहन पास/ई–रवन्ना" से अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा जारी किये गये पास अथवा विभागीय वेब पोर्टल से निर्गत ई–रवन्ना अभिप्रेत है;

(ण) "आदतन अपराधी" से ऐसे अवैध खनिज परिवहनकर्ता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष में दो या इससे अधिक बार खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया हो, दोष सिद्ध हुआ हो एवं अर्थदण्ड/अन्य दण्ड से दण्डित हुआ हो;

(त) "बाजार मूल्य" से प्रचलित उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना की धनराशि अभिप्रेत है;

(थ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, खनन/भूविज्ञान से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकारियों अभिप्रेत है;

(न) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक/उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) "खनन सत्र" से वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर, से 30 जून तक की अवधि अभिप्रेत है;

(फ) मैदानी क्षेत्रः–मैदानी क्षेत्र से जिला टिहरी गढवाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिहनगर के सम्पूर्ण भाग अभिप्रेत है;

(ब) पर्वतीय क्षेत्रः– पर्वतीय क्षेत्र से जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) अभिप्रेत है;

(भ) "जिला खान अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का जनपद में खनन प्रशासन हेतु राज्य सरकार/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(म) "रिटेल भण्डारण" से खनिजों (रेता, बजरी, आर०बी०एम०, बोल्डर, ग्रिट, डस्ट इत्यादि) का ऐसा भण्डारण अभिप्रेत है, जो कि निजी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी (प्लांट परिसर से बाहर हेतु), खनन पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक, रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक, सोपस्टोन ट्रेडर्स, सोपस्टोन पल्वराईजर अनुज्ञाधारक द्वारा विक्रय एवं प्लांटों के प्रयोजन से भण्डारित किया गया है, अभिप्रेत है तथा जिसे इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

(य) "लेखाशीर्षक" से राज्य सरकार के लेखाशीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्त उद्योग, 102–खनिज रियायती शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क अभिप्रेत है;

(र) "मोबाईल चैक पोस्ट" से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों के चैकिंग हेतु चलित (Movable) चैक पोस्ट से अभिप्रेत है;

(ल) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

(व) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी०आर०ओ०, रेल विकास निगम लि०, टी०एच०डी०सी० लि०, एन०एच०पी०सी०, एन०टी०पी०सी०, सी०पी०डब्ल्यू०डी०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू०जे०वी०एन०एल० आदि अभिप्रेत है;

(2) "शब्द और पद" जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।

प्रतिषेध

3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक /रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना, किसी खनिज का स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र/खनन अनुज्ञा क्षेत्र, प्लांट के भण्डारण अनुज्ञा स्थल/रिटेल भण्डारण अनुज्ञा स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर न तो परिवहन करेगा, न ही उसे ले जायेगा अथवा न ही परिवहन करायेगा और न ही ले जाने का कार्य करायेगा।

अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फीस

4. (1) खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/ रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक, राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) अभिवहन पास का प्रदाय, सम्बन्धित जिले के जिला खान अधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तद्धीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।

अभिवहन पास का जारी किया जाना

5. (1) अभिवहन पास, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार के विभागीय ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र "क" से मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ०एस०) में अभिवहन पास जारी करेगा;

परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।

(3) मुख्य खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र–"एन" में अभिवहन पास जारी करेगा।

अध्याय–दो
खनिजों का परिवहन

खनिजों के निरीक्षण हेतु जांच चौकियों की स्थापना

6. (1) खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट की स्थापना की जायेगी।

(2) (क) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल के प्रभारी अधिकारी को मौके पर अवैध रूप से परिवहन किये जाने रहे खनिज तथा वाहन का अधिहरण (Confiscate) करने का अधिकार होगा।

(ख) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अधिगृहित किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अधिगृहित किया गया है।

(ग) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल का प्रभारी अधिकारी, अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहन चालक/स्वामी को निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने एवं अपनी अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे सकता है।

खनिजों का परिवहन

7. (1) खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग मे लाये जा रहे वाहनों के साथ अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का रखा जाना आवश्यक होगा। वाहन चालक/स्वामी, उक्त प्रयोजन के लिए मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा।

(2) खनिज ढोने वाले सभी वाहन चालक/स्वामी, मोबाईल चैक पोस्ट पर रूकेंगे और अभिवहन पास की जांच कराने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। मोबाईल चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का विवरण निर्धारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा तथा प्रत्येक माह परीक्षण हेतु निदेशालय को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा अभिवहन पास से सम्बन्धित कोई सूचना पंजिका में जानबूझकर गलत अंकित करने अथवा सूचना त्रुटिपूर्ण होने व दोष सिद्व होने की दशा में मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218 के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी।

(3) राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत संचालित वी०टी०एस० (Vehicle Tracking System) प्रणाली को खनन परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू कर सकेगी।

अध्याय–तीन
खनिजों का भण्डारण

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया जायेगा, जिसकी रिटेल भण्डारण स्थलों में अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।

(ख) आवेदक, खनिज भण्डारण हेतु उपखनिज की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से सूचित करेगा।

परन्तु, उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :–

1. उपखनिज के रिटेल भण्डारण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा, जो वापस नही किया जायेगा।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म

इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा

प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति /संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी – सदस्य सचिव।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(6) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक (Muck) के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र **"एच–1"** में आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 50,000/– (₹ पच्चास हजार) सहित, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के संबंध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र **"एच–2"** पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी :-

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	संबंधित परियोजना के अभियन्ता (सिविल),	सदस्य

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन (Open Excavation) स्थल एवं रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा

9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये खनिजों के भण्डारणों की अनुज्ञा निम्नवत स्वीकृत की जायेगी:–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
2. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 01 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
3. हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4. अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर स्वीकृत अनुज्ञा को ई–पोर्टल से जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

उपयोगी उपखनिज के उपयोग की अनुमति

10. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा संबंधित परियोजना के टनलों के निर्माण कार्य से निकलने वाले मक (Muck) में से उपयोगी उपखनिज (usable material) के उपयोग की अनुमति रायल्टी की दोगुनी धनराशि एवं अन्य देयताओं के भुगतान की शर्त पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा 05 वर्ष जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अवशेष अनुपयोगी मक को स्वीकृत डम्पिंग साईट पर डम्प किया जायेगा। डम्पिंग साईट पर डम्प खनिज मात्रा के परिमाण को कुल उत्खनित मक की मात्रा से घटाते हुए उपयोगी मक/उपखनिज की गणना की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन Open Excavation) स्थल व रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

11. (1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण महानिदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु, जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) नवीनीकृत भण्डारण अनुज्ञा के आधार पर ई–पोर्टल पर अद्यतनीकरण (Updation) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

भण्डारण के मानक एवं अन्य शर्तें

12. (1) कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा।

(2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी–

(i) पर्वतीय क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–100 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 100 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड.–नदी (Perennial River) से दूरी–50 मी०
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 25 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–25 मी0

(ii) मैदानी क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–300 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–300 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 300 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड़– नदी (Perennial River) से दूरी–500 मी०
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 50 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–100 मी0

परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं है या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा।

(4) राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भुगतान के आधार पर यथा स्थिति ई–फार्म "जे" अथवा ई–फार्म (ओ/एस्ट) तथा आकस्मिक परिस्थिति हेतु मैनुअल "जे" प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की

रिकॉडिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉडिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी०सी०टी०वी० बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर ₹ 250/– प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा कराया जाना होगा।

(6) अनुज्ञाधारक भण्डारण स्थल की चाहरदीवारी एवं अभिलेख रख–रखाव हेतु कार्यालय, धर्मकांटा, भरान (loading), भार उतारना (unloading) हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा।

(7) (i) स्टोन केशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को विक्रय की गयी मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारकों द्वारा विक्रय की गयी उपखनिज की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उसके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) खनिज सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड, मैग्नेसाईट, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञाधारकों एवं प्लवराईजर प्लांट भण्डारण अनुज्ञाधारकों पर उक्त खनिज की रायल्टी का 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(iv) प्रदेश के बाहर से आयतित होने वाले खनिज या उसके उत्पाद तथा ईंट या इनके कच्चे माल को राज्य में प्रवेश करने हेतु पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमी द्वारा ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन में उपखनिज का नाम, मात्रा ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा तथा अनुज्ञाधारक/खनन उद्यमी द्वारा उपखनिज का अभिवहन पत्र (रवन्ना) एवं जी०एस०टी० नम्बर धारित बिल की मूल प्रति संरक्षित की जायेगी। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जनपदीय अधिकारी के पास ऑनलाईन/ऑफलाईन पहुंचने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/भण्डारणकर्ता आदि द्वारा बाहरी राज्यों से लाये गये उपखनिज (क्रय/विक्रय) की मात्रा को अधिकतम 01 सप्ताह की समयावधि के अन्तर्गत जांचोपरान्त उसके ऑनलाईन स्टॉक (Capacity in hand) में जोड़ दिया जायेगा। ऐसे खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर छोड़कर) का लेखा एम०आई०एस० पोर्टल पर पृथक से दर्शाया जायेगा। इस प्रकार परिवहन कर लाये गये खनिजों पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की दर से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क वेब पोर्टल पर Credit in करने से पूर्व जमा किया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त व्यवस्था प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार महानिदेशक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे सभी पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमियों के अभिलेखों का परीक्षण (Scrutiny) कर किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इस नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) तकनीकी दल द्वारा राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं से संबंधित टनल/निर्माण स्थल से निकासी किये गये उपखनिज (Muck) की कुल मात्रा में से उपयोगार्थ उपखनिज की आगणित/सत्यापित मापन मात्रा, संबंधित टनल निर्माण के उपरान्त स्वीकृत मात्रा से कम अथवा अधिक पाये जाने पर, कम अथवा अधिक पाये जाने वाली मात्रा पर देय रायल्टी का समायोजन/भुगतान किया जायेगा।

स्वीकृत उपखनिज की मात्रा पर आंगणित रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य देयों का भुगतान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा त्रैमासिक किश्तों मे विभागीय लेखा शीर्षक मे अग्रिम जमा किया जायेगा। किश्तों का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत न किये जाने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज लिया जायेगा।

(9) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत स्थल से उपखनिज की निकासी/उपयोग हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(10) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग संबंधित परियोजना निर्माण कार्य में ही किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग अन्यत्र किये जाने की पुष्टि होने पर नियम 14(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़) की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के साथ–साथ अनुज्ञा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

खनिजों का लेखा–जोखा रखना

13. (1) अनुज्ञाधारक, प्रत्येक समय क्रय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा–जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–"के" में रखेगा।

(2) अनुज्ञाधारक द्वारा ₹ 2.00 लाख से अधिक उपखनिज क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(3) अनुज्ञाधारक द्वारा समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।

(4) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के क्रय–विक्रय एवं अवशेष खनिज आदि लेखा की मासिक सूचना आगामी माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं जिला खान अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डारण परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र "एल" में प्रस्तुत करेगा।

(5) खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारक के किसी भी प्रपत्र, ई–प्रपत्र, लेखा–जोखा, ई–लेखा–जोखा, बही रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेख मांग कर परीक्षण (Scrutiny) करने तथा परीक्षणोपरान्त अनियमितताएं पाये जाने पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर, रिटेल भण्डारण, सोपस्टो, मैग्नेसाईट आदि अनुज्ञाधारकों, सोपस्टोन ट्रेडर अनुज्ञाधारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण–दोष के आधार पर 03 माह के भीतर अधिनियम की धारा

21 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2), धारा 22, धारा 23(क), धारा 23(ख) तथा धारा 24 के अन्तर्गत महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं जिलाधिकारी आदेश पारित कर सकेंगे।

जाँच एवं शास्ति

14. (1) रिटेल भण्डारण या प्लांटों मे भण्डारित खनिज की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा धारा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो कि खान निरीक्षक से अन्यून न हो :–

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ख) भण्डारण में पड़े हुए खनिजो के स्टॉक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है परन्तु उक्त पैमाईश के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

(ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है;

(घ) ऐसे दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है;

(ङ.) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टॉक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है;

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाय;

(ज) खनिजों के भण्डारण में अनियमितता पाये जाने पर भण्डारण स्थलों को सीज (Seize) करते हुए भण्डारणकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है एवं नोटिस का प्रति उत्तर सन्तोषजनक प्राप्त न होने पर अवैध खनन पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुत कर सकता है।

(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (₹ में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा

			का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पौकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(3) महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) अवैध खनिजों के परिवहन में पकड़े गये वाहनों का मौके पर शमन करने हेतु अधिकृत होंगे।

(क) अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा शमन के उपरान्त वसूली गयी धनराशि को चालान के माध्यम से जमा कराते हुए रवन्ना/चालान प्रपत्र पर ट्रेजरी चालान संख्या, दिनांक, वसूली गयी धनराशि एवं तालिका में इंगित वाहन का प्रकार हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित की जायेगी।

(ख) अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहन का मौके पर शमन करते हुए वसूली गयी धनराशि को विभागीय सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(ग) खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये वाहनों के शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये चालान एवं जमा की गयी धनराशि का विवरण महानिदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) (क). एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

(ख). रिटेल भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता द्वारा अवैध ई–रवन्ना पर क्रय–विक्रय व परिवहन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) (क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण

संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/ विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त ₹ 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

(ख) अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनिज खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उप नियम (5) (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा क्रय एवं विक्रय खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में आगामी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड़) अवैध खनन से संलिप्त वाहनों/अवैध भण्डारणों को जब्त करने तथा दण्ड अधिरोपित करने हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो खान निरीक्षक से अन्यून स्तर का न हो, अधिकृत होंगे, परन्तु जब्त/दण्ड अधिरोपित करते समय महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति/प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।

(च) भण्डारण स्थल के चारों तरफ चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया जाना होगा, जो खनिज भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी। भण्डारण की ऊंचाई का सत्यापन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भण्डारणकर्ता पर ₹ दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(छ) सरकारी निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा परियोजनाओं मे प्रयुक्त किये गये उपखनिज ग्रिट आदि हेतु वैद्य ई–रवन्ना प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा को अवैध मानते हुए उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरण में परियोजना के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रोजेक्ट मेनेजर के द्वारा सन्देहास्पद ई–रवन्ना प्रपत्रों की जांच करने हेतु जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिसके द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्र अवैध पाये जाने पर उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ज) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित ₹ 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह प्रावधान उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से दिनांक 30.11.2021 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

(झ) जो वाहन राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज एवं मुख्य खनिज को छोड़कर) का ढुलान करते हुए राज्य की सीमा में पकड़ा जायेगा, ऐसे वाहन में लदे आर०बी०एम०, बोल्डर एवं वाहन को जब्त कर

लिया जायेगा तथा जब्त किये गये आर०बी०एम०, बोल्डर को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित करते हुए जब्त किये गये वाहन के संबंध में उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) रिटेल भण्डारणों व स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे जिला खान अधिकारी के द्वारा अनुज्ञाधारकों/प्लान्टधारकों के व्यय पर किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(7) खदान के निकासी गेटों पर स्थापित धर्मकांटों पर आर०एफ०आई०डी० सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) निदेशालय स्तर पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु निगरानी प्रकोष्ठ (Monitoring Cell) की स्थापना की जायेगी।

अपील

15. इस नियमावली के अधीन महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर मण्डल आयुक्त के समक्ष प्रपत्र–"एम" में अपील कर सकेगा।

पुनरीक्षण

16. राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

अपील/ पुनरीक्षण हेतु शुल्क

17. नियम 15 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील एवं नियम 16 के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु शुल्क ₹ 10,000.00 देय होगा, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा, की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation/ Committee of Independent Experts) द्वारा वादों का निस्तारण

18. खनिजों से सम्बन्धित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रकरण शासन द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation Committee of Independent Experts) को सन्दर्भित किये जा सकेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

19. (1) राज्य में इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस नियमावली की तत्स्थानी कोई विधि/नीति (जिन्हें इसके पश्चात् इस नियम में निरसित नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।

(2) उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों का निरसन कर दिये जाने पर भी –

(क) निरसन और ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना, अथवा की गयी कोई नियुक्ति या घोषणा, अथवा दी गयी कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित की गयी कोई शास्ति या जुर्माना, कोई समपहरण, रद्दकरण, अथवा की गयी कोई अन्य बात या कोई अन्य

कार्रवाई, जहां तक इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन निकाली गई, किया गया या की गयी समझी जायेगी।

(ख) निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अनुसार आर०बी०एम० एवं बोल्डर का क्रय/विक्रय किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

अनुसूची

प्रपत्र –"एच"

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(नियम 8 देखिए) दिनांक .....

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद .....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अधीन खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति दी जाय।

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार आवेदन शुल्क .....ट्रेजरी चालान सं०..... दिनांक .....को जमा करा दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(i) आवेदन का नाम .....
पिता का नाम .....
अस्थायी पता .....
जी०एस०टी० नं० .....

(ii) भण्डारण हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण
खसरा नं० .....
क्षेत्रफल .....
ग्राम/शहर .....
तहसील .....
जनपद .....

(iii) क्या आवेदक निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है ?

(iv) यदि आवेदक :–

(क) एक व्यक्ति है जो उसकी राष्ट्रीयता : .....

(ख) यदि कम्पनी है तो कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।

(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता .....

(घ) आवदेक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति .....

(ड) खनिज या खनिजों के नाम, जिन्हें आवेदक भण्डारित करना चाहता है .....

(च) अवधि, जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है .....

(v) (क) क्या आवेदक उस भूमि पर सतही अधिकार रखता है, जिसे भण्डारण के लिए वह उपयोग में लाना चाहता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या भण्डारण के लिए भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सहमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ, तो स्वामी या अधिभोगी से प्राप्त लिखित सहमति दाखिल की जाय .....

(vi) भूमि की संक्षिप्त विवरण, विशेष संदर्भ सहित .....

(vii) भण्डारित किये जाने वाले खनिज/खनिजों की मात्रा .....

(viii) खनिज/खनिजों के भण्डारण का उद्देश्य .....

(ix) भण्डारण के लिये उपयोग होने वाली भूमि का मानचित्र .....

(x) भण्डारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची.....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सहीं हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा यथा अपेक्षित यथार्थ नक्शे भी हैं, देने को तैयार हूँ/हैं।

स्थान .....
दिनांक .....

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

प्रपत्र –"आई"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
(नियम 9 देखिए)

संख्या .....

1- अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता .....
.....
.....
.....
.....

2- अनुज्ञप्ति की अवधि ..... से .....तक

3- भण्डारण के लिए अनुज्ञा प्राप्त खनिजों की मात्रा :

4- प्रत्येक खनिज की एक ही समय में अनुज्ञा प्राप्त मात्रा :

5- भण्डारण का प्रयोजन :

6- खनिजों के भण्डारण हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति :–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
1	2	3	4	5

स्थान .....

दिनांक .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा मुहर।

प्रपत्र –"जे"
अभिवहन पास (तीन प्रतियों में)
[नियम 5(2) देखिए]

पुस्तक संख्या
अभिवहन पास क्रमांक संख्या

1.	भण्डारण के स्वामी का नाम, पूर्ण पते सहित	दिनांक ..... समय
2.	भण्डारण स्थल का विवरण	गाटा संख्या ..... ग्राम तहसील एवं जिला .....
3.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा का विवरण	आदेश संख्या ..... दिनांक .....
4.	अनुज्ञा की वैध दिनांक	
5.	परिवहन किये जा रहे खनिज/खनिजों का नाम	
6.	निर्गमित किये जा रहे खनिज की मात्रा (घनमीटर में)	
7.	गन्तव्य स्थान	कहां से ..... कहां तक .....
8.	वाहन के प्रकार का विवरण (ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली की दशा में वाहन का रजिस्ट्रीकरण संख्या इंगित करें)	प्रकार : (ट्रक/ट्रैक्टर) पंजीकरण संख्या:
9.	परेषण के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर, पूरा नाम पता सहित :	
10.	पास जारी करने वाले व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक एवं समय सहित :	

प्रपत्र –"के"
खनिजों के भण्डारण और प्रेषण का लेखा रजिस्टर
(नियम 13(1) देखिए)

1- भण्डार के स्वामी का नाम पूरा पता सहित :
भण्डारित सामग्री का विवरण :
- (I) दिनांक
- (II) खनिज/खनिजों का नाम
- (III) खनिज/खनिजों की मात्रा
- (IV) प्रदायकर्ता/विक्रेता/पट्टाधारक/अनुज्ञा–पत्रधारक का नाम :

2- क्रय किये गये खनिज/खनिजों का विवरण :
- (I) (क) एम0एम0 11/प्रपत्र–एन की पुस्तक संख्या एवं क्रम संख्या दिनांक सहित:
  (ख) उस पट्टाधारक का अनुज्ञा–पत्र धारक का नाम, जिससे खनिज क्रय किया गया है।
- (II) भण्डारण के लिये क्रय किये गये या लाए गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण:
- (III) भण्डारण के लिये प्राप्त किये गये खनिज के क्रय का मूल्य (पट्टेदार या अनुज्ञा–पत्र धारक होने की दशा में अपेक्षित नहीं है):
- (IV) भण्डारण के लिये क्रय की गयी खनिजवार कुल मात्रा:

3- प्रेषण का विवरण :
- (I) दिनांक
- (II) खनिज/खनिजों का नाम मात्रा सहित :
- (III) नियम 6(4) के अधीन यथाविहित जारी किए गये अभिवहन पास की संख्या और दिनांक
- (IV) प्रेषण का गन्तव्य स्थान –
  कहां से ..... कहां को .....
- (V) भण्डारण स्थल के बाहर निर्गमित किये गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण पंजीकरण संख्या सहित
- (VI) परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता :
- (VII) भण्डार से परिवहन किये गये खनिज का विक्रय मूल्य :
- (VIII) खनिजवार अतिशेष स्टॉक ।

प्रपत्र –"एल"
मासिक विवरणी
{देखिए नियम 13(4)}

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
जनपद .....

2. जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद .....

..... माह .....के लिये विवरणी

1. भण्डारण के स्वामी का नाम और पता .....
2. परिसर, जहां खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व यथा :–
गाटा सं0 ..... ग्राम .....
तहसील .....जिला .....
3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक .....
.....
.....
4. खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा नीचे सतम्भ में दिया गया है :–

खनिज/खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घन मी0 में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज/खनिजों की कुल मात्रा (घन मी0 में)	माह के दौरान निर्गमित खनिज/खनिजों की कुल मात्रा (घन मी0 में)	माह के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल सं0 दिनांक सहित	निर्गम हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक/ट्रैक्टर/ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या)	खनिजवार अंतिम स्टॉक (घन मी0 में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान .....
दिनांक .....

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र –"एम"
अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायें)
(नियम 15 देखिए)

सेवा में,

महोदय,

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2021 के उपबंधों के अधीन ..... द्वारा पारित आदेश सं0 ..... दिनांक ..... के विरूद्व एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

1. अपील दायर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों / फर्म या कम्पनी का नाम और पता.....
2. व्यक्ति / व्यक्तियों या फर्म या कम्पनी का व्यवसाय.....
3. उस प्राधिकारी जिसके विरूद्व अपील दायर की जा रही है, के आदेश संख्या और दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न की जाये).....
4. अपीलार्थी / खनिजों, जिसके लिये अपील दायर की जा रही है .....
5. खनिज / खनिजों, जिनके लिये अपील दायर की जा रही है .....
6. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 15 में यथा विहित रीति के अपील के लिये जमा किये गये ₹ 10,000 की विहित फीस का विवरण–खजाना चालान सं0 (प्रति संलग्न की जायें) दिनांक .....
7. क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये जने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर की गयी है ? .....
8. यदि नहीं तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवाली, 2021 के नियम 15 के अधीन दिये गये उपबन्ध के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण .....
9. बनाये गये पक्ष / पक्षकारो, यदि कोई हो, के नाम व पूरे पते .....

10. इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की संख्या .....
11. अपील का अधार
    (विवरण पृथक–पृथक प्रस्तुत किये जा सकते हैं)
    (i) संक्षिप्त तथ्य
    (ii) आधार
    (iii) प्रार्थना
12. यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी है, तो ऐसे मुख्तारनामे को संलग्नक किया जाय।

संलग्नक :–

1.
2.
3.

स्थान .....
दिनांक .....

भवदीय,

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
और पूरा पता

प्रपत्र –"एन"
मुख्य खनिज भण्डारण से परिवहन के लिये अभिवहन पास
(नियम 5 (3) देखिए)

दिनांक ..... समय.....

1- पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी का नाम .....
2- खान की अवस्थिति .....
3- खनिज/खनिजों का नाम .....
4- खनिज/खनिजों की मात्रा .....
5- किस प्रयोजन या उद्योग में खनिज ..... का प्रयोग किया जायेगा
6- गन्तव्य स्थान .....से .....तक
7- परिवहन साधनों का विवरण (यदि वाहन हो तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या).....
8- खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अंगुष्ठ चिन्ह .....
9- परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम और पता .....
10- परेषण के भारसाधक व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर .....
11- अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर .....

टिप्पणी : (1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।
(2) दो प्रतिपर्ण परेषण के भारसाधक व्यक्ति को दिये जायेंगे, जिसमें से एक प्रतिपर्ण पास को जांच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।

प्रपत्र– "क"
मुख्य खनिजों के खनन पट्टों से खनिज के परिवहन का प्रपत्र
(नियम 5(1) देखिए)

दिनांक ..... समय .....

1. खनन पट्टाधारक का नाम .....
2. खदान का नाम व उसकी स्थिति.....
3. खनिज/खनिजों का नाम .....
4. खनिज/खनिजों की मात्रा.....
5. खदान से बाहर भेजे गये खनिज की मात्रा.....
6. खनिज का उपयोग किस कार्य अथवा उद्योग में किया जायेगा।
7. गन्तव्य स्थान कहाँ से..... कहाँ तक.....
8. खनिज किस वाहन से भेजा जा रहा ..... है, उसका विवरण
   (यदि मोटर गाड़ी/ट्रक से भेजा जा रहा हो, तो उसकी निबन्धन सं0 लिखी जाय और यदि अन्य साधनों से भेजा जाय, तो उसका विवरण दिया जाय।)
9. खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा ।
10. प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का विवरण।
    (क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम.....
    (ख) पता.....
11. पास जारी करने वाले व्यक्ति का विवरण ।
    (क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम.....
    (ख) पता.....

प्रपत्र एच–1

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना हेतु मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए आवदेन पत्र का प्रारूप
(तीन प्रतियों मे प्रस्तुत किया जायेगा)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के निर्माण स्थल/परियोजना के टनल, Open excavation व रिवर ट्रेनिंग स्थलों से निकलने वाले मक/उपखनिज के भण्डारण एवं प्रयोग की अनुमति परियोजना की अवधि तक दी जाये।

2. उक्त नियमावली के नियम 8 के अधीन प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्धारित शुल्क ₹ 50,000/– कोषागार चालान संख्या.....दिनांक.....के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है।

3. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है:–.....

4. आवेदक का नाम व पूरा पता.....

5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल क्षेत्र का नाम.....

6. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक .....

7. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप.....

8. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप.....
.....

9. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण.....

10. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप .....

11. डम्पिंग साईट का विवरण.....

12. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में) .....
.....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घननीटर में).....

14. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे) .....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे).....

15. कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्कैच मैप) जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहें.....

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

प्रपत्र एच–2

मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप

1. आवेदक का नाम व पूरा पता.....
2. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना स्थल/टनल क्षेत्र का नाम.....
3. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक .....
4. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप.....
5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप.....
6. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण.....
7. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप .....
8. डम्पिंग साईट का विवरण.....
9. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा.....
11. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) .....
12. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....
12. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे).....
13. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....
14. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज मं से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....
15. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर मे).....तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....
16. मौका निरीक्षण के समय Open excavation से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....
17. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार प्रस्तावित उपयोगार्थ (Usable) मक/उपखनिज की कुल मात्रा (घनमीटर में) .....के सापेक्ष परियोजना निर्माण स्थल/टनल से समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर मे)..... ..... में अन्तर (घनमीटर में).....
18. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) व समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज के क्रमिक योग में अन्तर अधिक है तो अन्तर के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी व अन्य देयों की धनराशि (₹ में)..... और यदि अन्तर कम है तो समायोजित की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि (₹ में).....

19. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है.....

20. गठित समिति की संस्तुतिः–

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के अभियन्ता (सिविल),
(सदस्य)

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (सदस्य)

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी (सदस्य)

प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी (सदस्य)

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी (सदस्य)

महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी (संयोजक)

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1873/VII-A-1/2021–05(28)/2021
देहरादून,दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, राज्य के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु स्वीकृत/चिन्हित नहीं है तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान–माल एवं आबादी को क्षति होने की सम्भावना रहती है, से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 एवं इस विषय पर विद्यमान समस्त नीतियों, शासनादेश व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नदी/जलाशय/नहरों में अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट, जिससे भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की संभावना है, से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रियर ड्रेजिंग नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नीति में जब तक इस सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
(ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ग) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;
(घ) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ड) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(च) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;
(छ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का सरकार द्वारा न्यस्त कार्य करता है, अभिप्रेत है;
(ज) "व्यक्ति" से कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं अभिप्रेत है;
(झ) "रिवर ड्रेजिंग" से नदी के जल प्रवाह को यथा सम्भव प्राकृतिक रूप में नदी/जलाशय/नहर के मध्य में केन्द्रित करने सम्बन्धी कार्य अभिप्रेत है;
(ट) "आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण" से नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य

में केन्द्रित करने हेतु नदी/जलाशय/नहर में निक्षेपित मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की सफाई/हटाना अभिप्रेत है;

(ठ) "राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है।

(ड) "केन्द्र/राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम, टी.एच.डी.सी, एन.एच.पी.सी. एन. टी.पी.सी., सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.डी. यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है।

(2) "शब्द और पद" जो इस नीति में परिभाषित नहीं है परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये है;

रिवर ड्रेजिंग क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सत्यापन एवं मात्रा का आंकलन

3. (1) ऐसे क्षेत्र जहां नदी/गदेरों/जलाशय/नहर के द्वारा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी:–

(क) उपजिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख) प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ग) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता	–	सदस्य
(घ) भू–वैज्ञानिक/खान अधिकारी	–	सदस्य
(ड़) अन्य विभाग, जो आवश्यक समझा जाय	–	सदस्य

(2) चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की मात्रा का आंकलन तथा उक्त मात्रा की निकासी/निस्तारण हेतु समयावधि का निर्धारण गठित समिति के द्वारा अपनी आख्या में किया जायेगा।

चिन्हित स्थलों में जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट हटाये जाने की प्रक्रिया

4. समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा जनपद स्तर के इच्छुक व्यक्तियों/ संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु खुली नीलामी (Open Auction) की विज्ञप्ति जारी की जायेगी। मलवे को हटाने/निस्तारण के लिये खुली नीलामी (Open Auction) में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास निम्न अभिलेख होने अनिवार्य होंगे:–

1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
2. खान अधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन अदेयता प्रमाण पत्र।
3. जी०एस०टी० नं०।
4. ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
5. मूल्याकित धनराशि के 25 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट।

परन्तु उक्त प्राविधान राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा।

ड्रेजिंग कार्य की समय सीमा

5. (क) आपदा प्रभावित/सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हांकन का कार्य प्रत्येक वर्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 15 नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

(ख) चिन्हित क्षेत्रों से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने के लिये) की कार्यवाही माह दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते खुली नीलामी (Open Auction हुए कार्य आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।

(ग) मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने का कार्य, कार्य आदेश के पश्चात अनिवार्यतः 30 जून तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

(घ) कार्य आदेश के उपरान्त ड्रेजिंग कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं प्रत्येक 30 दिन के अन्तराल पर ड्रोन सर्वे का कार्य अनुज्ञाधारक के व्यय पर जिला खान अधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसकी सूचना मय ड्रोन फोटोग्राफ संबंधित जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को उपलब्ध करायी जायेगी।

रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति एवं अनुज्ञा अवधि

6. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अनुमत गहराई

7. मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की निकासी/निस्तारण सतह से अधिकतम 03 मीटर की गहराई अथवा ग्राउण्ड वाटर लेवल जो भी न्यून हो, तक की जायेगी।

मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धति

8. मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण सफाई के कार्य हेतु चिन्हित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पत्थरों/बोल्डर्स के आकार की प्रकृति एवं नदी/नहर के चैनेलाईजेशन को वास्तविक रूप देने तथा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्य के निस्तारण के उद्देश्य से नदी/नहर के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए गठित समिति की संस्तुति पर नदी पुल से अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 100–100 मीटर छोड़ते हुए, आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे०सी०बी०, पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।

मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण के सापेक्ष देय धनराशि

9. मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001(समय–समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क/टैक्स लिया जायेगा। मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण हेतु रायल्टी के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान तथा क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।

विविध

10. (1) ऐसे चिन्हित क्षेत्र, जो ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत आशय पत्र धारित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां प्रति वर्ष मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निक्षेपित/जमा होने से आबादी व कृषि भूमि प्रभावित हो रही हो, को चिन्हित कर मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की सफाई उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं के निर्माण कार्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से उक्त परियोजनाओं के निकटस्थ नदी तल क्षेत्रों में रिवर ड्रेजिंग हेतु समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में ड्रेजिंग कार्य हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा अनुरोध करने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

एक ही क्षेत्र हेतु एक से अधिक परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों से अनुरोध प्राप्त होने पर निकटस्थ परियोजना की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों को उक्त क्षेत्र में रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

स्वीकृत क्षेत्र में समिति द्वारा आंकलित उपखनिज मलवा/ आर०बी०एम०/ सिल्ट की मात्रा पर मैदानी क्षेत्र हेतु निर्धारित रायल्टी दर की दोगुना धनराशि व अन्य देयकों का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्षक में सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों द्वारा जमा किया जायेगा तथा उक्त उपखनिजों का परियोजना के लिए उपयोग के इतर व्यवसायिक उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट आदि के भण्डारण हेतु विद्यमान उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत भण्डारण की अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी।

शिथलीकरण/ स्पष्टीकरण

11. उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के सुसंगत प्राविधानों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के शिथिलीकरण एवं स्पष्टीकरण का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

क्रम संख्या–61 (क)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 16 जून, 2023 ई0
ज्येष्ठ 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 977 / VII-A-1 / 2023–24 ख / 2007
देहरादून, 16 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–16

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त, शीर्षक्रम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्तिः–
   (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023 कहलायेगी।
   (2) इनका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।
   (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगी।

(4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी।

(5) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों से खनन कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नही करेगी।

2. परिभाषाये :–जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मे :

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 आफ 1957) समय–समय पर यथा संशोधित से है।

(क) "समिति" का तात्पर्य जिस क्षेत्र में खनिज क्षेत्र स्थित है, उस जनपद के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनिज क्षेत्रों के चिन्हीकरण/निरीक्षण हेतु गठित समिति से है।

(ख) "जिला खनन समिति" का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, जिला खान अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग सदस्य होंगे, से अभिप्रेत है।

(ग) 'महानिदेशक" का तात्पर्य महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(2) "जिलाधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है, जिसमें भूमि स्थित हैं।

(क) 'जिला खान अधिकारी' से तात्पर्य उस जिले के खान अधिकारी से है, जिसमें भूमि स्थित है।

(3) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।

(क) "स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप" का तात्पर्य चट्टानों के रूप मे पाये जाने वाले खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज से है, जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।

(4) "खनन और स्वामी" के वही अर्थ होंगे, जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट सं0 35, 1952) में दिये गये हैं।

(5) "खनन सक्रियाओं" का तात्पर्य किसी उप खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गई सक्रियाओं (operation) से है।

(6) "खनन पट्टा" का तात्पर्य उस खनन पट्टे (Mining Lease) से है, जो इन नियमों के अधीन एक नियत अवधि हेतु उप–खनिजों के विदोहन हेतु पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्ति के उपरान्त शासन अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

(7) "खनन अनुज्ञा–पत्र" का तात्पर्य उस अनुज्ञा–पत्र (परमिट) से है, जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा–पत्र में नियत अवधि के भीतर उप–खनिजों की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।

(8) "उप–खनिज" का तात्पर्य इमारती पत्थर (Buliding stone), बालू (Sand), बजरी (gravel), बोल्डर (Boulder), आर0बी0एम0 (बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में), मामूली मृदा (clay) नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से भिन्न मामूली बालू, खनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, स्लेट अथवा किसी ऐसे खनिज से है, जिसे केन्द्र सरकार ने समय–समय पर घोषित किया है या जिसके उप–खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगूलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा–3 के खण्ड (ड़) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे।

(क) "खनिमुख मूल्य" का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिज के विक्रय–मूल्य से है।

(9) "रेलवे" और "रेलवे के प्रशासन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, 1890) में दिये गये हैं।

(10) "River Bed Material (आर0बी0एम0)" नदी/नाला/गधेरा में अवस्थित या लगी हुई भूमि में उपलब्ध रेता, बजरी, बोल्डर, मिश्रित अवस्था में या पृथक-पृथक अवस्था में उपलब्ध हो, से तात्पर्य है।

(11) "नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि से है।

(12) "स्वस्थानें (In-Situ) चट्टानों एवं नदी तल से भिन्न उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है।

(13) पर्वतीय क्षेत्रः- पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोडा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है।

(14) मैदानी क्षेत्रः- मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मलित है।

(15) "चुगान" का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु नदी द्वारा निक्षेपित/जमा उपखनिज बालू, बजरी व बोल्डर का मानव शक्ति से निकासी से है।

(16) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(17) "राज्य और "राज्य सरकार" का तात्पर्य क्रमशः उत्तराखण्ड राज्य और उत्तराखण्ड सरकार से है।

(18) "परिवार" का तात्पर्य माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री व अविवाहित बहन से है।

(19) "शब्द" और "पद" जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3. खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी:-

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने से पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन सक्रियाओं पर न पडेगा।

(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

अध्याय–2

उपखनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे पर दिया जाना

4. खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धनः–

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगाः–

(I) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसी अंशपूजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या भारत के नागारिक हो या कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियां) हों।

(II) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।

(III) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Other association or individulas) की दशा में केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और

(IV) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

5. खनन पट्टा दिए जाने या उसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्रः–

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0–1 में या उसके नवीनीकरण के लिये प्रपत्र एम0एम0–1 (क) में जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को छः प्रतियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी छः प्रतियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी तथा एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(3) खनन पट्टा हेतु आवेदनकर्ता की मृत्यु होने पर आवेदनकर्ता की विधिक वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जायेगा, इस हेतु विधिक वारिस द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में मूल आवेदन पत्र स्वतः निरस्त मानते हुए आवेदित क्षेत्र रिक्त माना जायेगा।

(4) उप नियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0–2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

6– खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमा अभिलेखः–

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगाः–

(क) नदी तल में अवस्थित निजी/राजस्व/वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों के लिये आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख एवं नदीतल से भिन्न निजी नाप भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 क्षेत्रफल तक हेतु रू0 2.00 लाख तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0 5.00 लाख देय होगा, जो निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा।

(ख) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.0 है0 से न्यून नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा।

परन्तु स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.0 एकड़ होगा।

(ग) राजस्व खसरा मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाया गया हो तथा राजस्व विभाग से सत्यापित हो, की प्रतियां एवं गूगल मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति।

(3) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, की प्रति।

(4) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(5) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(6) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(7) जी0एस0टी0 की प्रति।

(8) निजी नाप भूमि के उपखनिज के सम्बन्ध में सम्बन्धित भूस्वामियों की नोटराईज्ड अनापत्ति।

(9) निजी नाप भूमि होने पर भूमि बन्धक न होने का प्रमाण पत्र की प्रति।

(10) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों के सम्बन्ध में निजी नाप भूमि में आवेदित कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत क्षेत्रफल हेतु भूस्वामियों की नोटराईज्ड सहमति।

(11) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नही है या उसके साथ उपनियम (1) मे उल्लिखित शुल्क जमा या अभिलेख नहीं हैं, तो जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र के सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा।

(12) आवेदक व आवेदक के परिवार के विरूद्ध खनन सम्बन्धी देयता होने पर खनन पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

6–खनन पट्टे का नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदि:–

(क) खनन पटटा के नवीनीकरण के लिये–प्रार्थना पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से कम से कम छः माह पूर्व पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानचित्र, जिसमें वह क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, जिसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, की छः प्रतियों सहित दिया जा सकेगा और नियम 6 के उपनियम(1) खण्ड (क) आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(ख) राज्य सरकार उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब की क्षमा कर सकेगी।

7– जांच और प्रतिवेदनः–

(1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगाः–

1. उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु)	–	सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी	–	सदस्य सचिव।

परन्तु उक्तानुसार गठित समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम–66 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

(2) जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

8– खनन पट्टे की स्वीकृतिः–

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये नदी तल/नदी तल से लगी भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की दशा में 06 माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) खनन पट्टे हेतु निर्गत आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों यथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्त हो जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9– कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकारः–

1. जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया हो, वहां उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक से, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहां राज्य सरकार उपनियम–(2) में विर्निदिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जो वह उचित समझे।

2. उपनियम (1) में अभिदिष्ट बाते–

(क) भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव।

(ख) भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदन हेतु वित्तीय संशोधन उस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्धारित अपरिहार्य भाटक के दोगुना से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता।

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तो या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबंन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण, और

(ड) खनिज आधारित उद्योग स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामियों को खनन पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी, और

(च) नियमावली के नियम–69 के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) ऐसी अन्य बातें, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाय।

3. उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये सरकार किन्ही विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो, पट्टा दे सकती है।

10– खनन पट्टे की अवधि :–

(1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 है0 क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु, 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे, परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज, जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर के 5.00 है0 क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे अधिकतम 10 वर्ष तक तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे अधिकतम 15 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो

वह ऐसे स्वस्थानें (In-situ) उपखनिजों के सम्बन्ध में उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, 20 (बीस) वर्ष से अधिक किन्तु 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक न हो, की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की अनुमति दे सकती है।

11– पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण/सीमांकन :–

(1) जब खनन पट्टा दिया जाय तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा, जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा:–

राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में:–

(1) 05 है0 क्षेत्र तक के लिये रू0 5000.00

(2) 05 है0 क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति है0 तक रू0 1000.00 की दर से अतिरिक्त।

(2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात ट्रेजरी चालान या ई–चालान पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को या प्राधिकृत अधिकारी को, जिसे महानिदेशक/निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। जिला खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।

(3) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चिय करेगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

12– प्रतिभूति जमा :–

(1) नियम 13 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के उचित पालन के लिये उपखनिज रेता, बजरी, बोल्डर आदि पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के रूप मे एफ0डी0आर0 जमा करेगा, जोकि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बंधक होगी।

(2) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के पट्टाकृत क्षेत्र के लिए 05 है0 तक क्षेत्रफल के लिये रू0 25,000/– तथा 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के लिये रू0 50,000/– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पक्ष में एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक की जानी होगी।

13– पट्टा विलेख का निष्पादन :–

(1) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि एफ0डी0आर0, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बन्धक हो, जमा किया जायेगा तथा तदोपरान्त जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रारूप प्रपत्र एम0एम0–3 में तैयार कराकर पट्टा विलेख (नदी तल क्षेत्र हेतु) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न क्षेत्र हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने के उपरान्त उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।

(3) पट्टा विलेख में निर्धारित वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान पट्टेदार के द्वारा 09 समान मासिक किश्तों (माह जुलाई से माह सितम्बर तक की अवधि को छोड़कर) में निर्धारित तिथि से पूर्व किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आगामी माह की किस्त अग्रिम रूप से जमा की जायेगी।

(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14–पट्टे का समर्पण :–

कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को खनन पट्टा समर्पण करने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देने की दिनांक से अग्रिम तीन माह की पट्टा धनराशि जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं निदेशक/महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा समर्पण स्वीकार किया जायेगा।

15–पट्टे का संक्रमण (Transfer):–

(1) पट्टेदार :–

(क) पट्टेदार किसी खनन पट्टे को उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को न तो अभ्यर्पित करेगा, न शिकमी पर देगा, न बंधक रखेगा, न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण (Transfer) करेगा।

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित पोषित किया जा

सकता है या जिसमें खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाए, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को बिना भूस्वामी की सहमति के, परन्तु यह कि सम्बन्धित भूस्वामी की भूमि में खनन कार्य करने से पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक होगा, अभ्यर्पित या संक्रमण (Transfer) कर सकता है या फर्म के पार्टनर को जोडा या घटाया जा सकता है, जिसके लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा:–

1. खनन पट्टा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के नाम संक्रमण (Transfer) हेतु शुल्क – रू0 2.00 लाख 05 है0 तक तथा 05 है0 से अधिक हेतु रू0 5.00 लाख।
2. फर्म के मामलें में भागीदार का नाम जोडने एवं घटाने हेतु शुल्क – रू0 2.00 लाख।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे या उसमे किसी अधिकार स्वत्व या हित को अभ्यर्पण, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या फर्म के मामले में भागीदार का नाम जोड एवं घटा दिया गया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रतिबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबन्धन का उल्लघंन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय ऐसे पट्टे को समाप्त कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश, पट्टेदार को अपना मामला बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(3) निजी नाप भूमि के पट्टाधारक की मृत्यु होने पर बिना भू–स्वामियों की सहमति के तथा निजी नाप से भिन्न भूमि के खनन पट्टाधारक की मृत्यु होने पर पट्टे की अवशेष अवधि तक पट्टाधारक के विधिक वारिस को पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनुपूरक पट्टा विलेख के माध्यम से किया जायेगा।

16– निगमों/अन्य ठेकेदार/निविदाकार द्वारा खनन/चुगान कार्य:–

1. नदीतल में अवस्थित वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों का आवंटन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, राजस्व क्षेत्र में अवस्थित खनन लॉटों को गढवाल मण्डल क्षेत्रान्तर्गत गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 एंव कुमाऊ मण्डल क्षेत्रान्तर्गत कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 के पक्ष में उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार आवेदन किये जाने पर नियमावली के अध्याय–2 के प्रावधानानुसार स्वीकृत किया जायेगा। निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों में खनन/चुगान कार्य निगमों के द्वारा स्वयं किया जायेगा। यदि निगमों के द्वारा स्वयं चुगान/खनन कार्य नही किया जाता है, तो निगमों द्वारा चुगान का कार्य ई–नीलामी द्वारा चयनित व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी के माध्यम से कराया जायेगा।

परन्तु यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि निगमों के द्वारा किये जा रहे खनन/चुगान कार्य से राजस्व क्षति हो रही है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार निगमों को आवंटित समस्त अथवा किसी खनन पट्टे को वापस लेकर नियम–69 के अन्तर्गत सफल निविदाकार/ठेकेदार को नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार आवंटित किया जा सकता है।

2. राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी राय हो, तो विकास एवं राष्ट्रहित में लिखित आज्ञा द्वारा निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों के किसी भाग/गेट से उपखनिजों की आपूर्ति राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं यथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेल विकास निगम लि० (आर०वी०एन०एल०), डी०जी०बी०आर०(ग्रेफ), बी०आर०ओ०, एन०टी०पी०सी०, यू०जे०वी०एन०एल०, एन०एच०पी०सी० आदि को किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने पर निगमों के द्वारा उक्तानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपखनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

17– रजिस्टर :– जिला खान अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेंगे:–

(क) प्रपत्र एम०एम० 2 में खनन पट्टो के लिये प्रार्थना–पत्रों का रजिस्टर, और

(ख) प्रपत्र एम०एम० 4 में खनन पट्टो का रजिस्टर।

अध्याय –3

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

18– स्वामित्व :–

(1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थानें चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावाली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने से बहिष्कृत करने अथवा बढाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नही बढायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर निश्चित नही करेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा विलेख में उल्लिखित की

जायेगी। राज्य–सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसको बढाया जाना आवश्यक समझे।

19– अपरिहार्य भाटक–

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों/एन0जी0टी0 के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आंगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं। यदि पट्टा क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा।

अध्याय –4
नीलामी–पट्टा

20–ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :–

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे नदी तल राजस्व/वन क्षेत्रों में अवस्थित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने (In-Situ) चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलामी या ई–निविदा/ई–निलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।

(क) नदी तल एवं नदी तल से भिन्न निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 एवं स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिजों के खनन/चुगान के पट्टो का आवंटन नियमावली के अध्याय–2 के नियमानुसार किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे

अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के 5.0 है० तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है० से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/ कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन नदी तल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रो का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूवैज्ञानिक/सहायक, भूवैज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति चिन्हित खनिज क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखो सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

21–ई–नीलामी में से क्षेत्र का वापिस लिया जाना :–

राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकेगी और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस आध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

22–ई–नीलामी के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम.एम. 5 में रखवायेगा।

23–पट्टे के देने पर निर्बन्धन :–

1. ऐसे व्यक्ति को नीलामी/निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा/ई–निविदा सह ई–नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी:–
   i. जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।
   ii. जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया हो।
   iii. जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो।
   iv. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
   v. जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड न हो, का शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत न किया हो।
   vi. ऐसी फर्म एवं कम्पनी के मामले, जिसने पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/मेमोरेण्डम आफ आर्टीकल की प्रति प्रस्तुत न की हो।

2. प्रतिभागी बोलीदाताओ द्वारा बोली की धनराशि उतनी ही बोली जायेगी जिसका वह भुगतान करने मे सक्षम हों, निविदा की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोली गयी उच्चतर धनराशि के अनुसार उक्त धनराशि जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता के द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए सफल बोलीदाता को राज्य में खनन लॉटों की निविदाओं/खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा/भण्डारण अनुज्ञा/स्टोन क्रेशर अनुज्ञा/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्ति हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिबन्धित करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

3. व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा खनन पट्टे की आंगणित अधिकतम आधार मूल्य के शत–प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टों के आधार मूल्य से कम पायी जाती है तो सफल घोषित खनन पट्टे एवं अन्य सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी।

24– ई–नीलामी की प्रक्रिया :–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल राजस्व/वन भूमि क्षेत्रों एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में नियम–20(1) के अधीन चिन्हित उप खनिज लाटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों की कॉपरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाईन ई–नीलामी के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानानुसार तकनीकी निविदा (Technical Bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid) पर आधारित होगी, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की कार्यवाही uktenders.gov.in पर की जायेगी।

i. तकनीकी निविदा (Technical Bid) हेतु आवश्यक अभिलेखः–

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति।

(दो) स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) आवेदक के पैनकार्ड की प्रति।

(पांच) आवेदक के जी.एस.टी. नं0 की प्रति।

(छः) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चैक की प्रति।

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण, कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन की प्रति।

(नौ) किसी भी राज्य मे खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(दस) आवेदक व उसके परिवार के विरूद्ध खनन देयता होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ग्यारह) ई–नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख, शुल्क एंव धनराशि आदिः–

शुल्कः–ई–नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी द्वारा नदी तल राजस्व/वन क्षेत्र खनन लॉट हेतु आवेदन रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) एवं नदी तल से भिन्न राजस्व एवं वन भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 क्षेत्रफल तक हेतु रू0 2.00 लाख तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0 5.00 लाख विभागीय पेमेंट गेटवे अथवा ट्रेजरी चालान जैसा कि महानिदेशक/निदेशक द्वारा तत्समय निर्देशित किया जाये, के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान/रसीद की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ तथा मूल प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म

विभाग के जनपद कार्यालय में जमा करायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञप्ति में प्रकाशित खनन लॉटवार पृथक–पृथक जमा किया जाना होगा।

1. धरोहर राशि (Earnest Money): किसी क्षेत्र के ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने हेतु Earnest Money जमा करना अनिवार्य होगा, जो निविदित क्षेत्र के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत होगी। धरोहर राशि (Earnest Money) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जायेगी, जो निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक की जायेगी तथा उक्त की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूलप्रति तकनीकी निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मुख्यालय में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। धरोहर राशि की मूल प्रति मुख्यालय मे जमा न किये जाने की दशा मे ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नही होंगे।

   आवेदक द्वारा धरोहर राशि के लिये स्वयं के खाते से ही एफ0डी0आर0 बनवायी जानी होगी।

   किसी उपखनिज लॉट के लिए विज्ञापन की पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि के रूप में जमा एफ0डी0आर0 की वैधता की अवधि को अद्यतन किये जाने का दायित्व आवेदक का होगा। पूर्व में जमा एफ0डी0आर0 यदि कालातीत हो जाता है, तो ऐसा प्रतिभागी निविदाकार तत्समय प्रचलित ई–नीलामी प्रकिया हेतु वैध नही माने जायेंगे व ऐसे आवेदकों के आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

   तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि के रूप मे जमा की गयी एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी।

3. हैसियत प्रमाण पत्रः– जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate) जो आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से कम न हो।

या

यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

या

हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंको से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेगे।

या

आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है तो उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैंको से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेंगे।

25– ई–नीलामी द्वारा पट्टा दिया जाना:–

1. वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एंव सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटीक्रम में H3 तक अपनाई जायेगी। एच–3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

2. सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उच्चतम बोली धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि, प्रतिभूति धनराशि (Security Money) जमा कराये जाने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा सम्बन्धित के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु 06 (छः) माह की अवधि का एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु 01 वर्ष की अवधि (जिसमें 06 माह की अवधि आवेदक के द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग कार्य कराये जाने हेतु सम्मिलित है) का "आशय पत्र (Letter of Intent)" निर्गत किया जायेगा। निर्धारित समयवधि में आशयपत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर 06 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा।

परन्तु आशय पत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र मे उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा मे सम्बन्धित आशय पत्र धारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।

3. आशयपत्र धारक द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर तथा शुल्क रू0 50,000/– निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करते हुए संबंधित जनपद के जिला खान अधिकारी

कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जायेगा तथा तद्नुसार निदेशक द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

4. आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति (Forest Clearance), नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में प्रोस्पेक्टिंग रिर्पोट एवं अन्य वांछित अनुमतियां व मानक, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।

5. शासन, मा0 न्यायालयों एंव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

6. सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

7. आशयपत्र धारक के अलावा वित्तीय निविदा के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा को छोडकर) की प्री–बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।

8. आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्र धारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9. अन्य मानक व शर्ते, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय, लागू होंगी।

26– पट्टा विलेख का निष्पादन :–

1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदी तल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टा विलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें किस्म के उपखनिजों का पट्टा विलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

2. पट्टे की अवधि की संगणना:– स्वीकृत खनन/चुगान पट्टों की पट्टावधि की संगणना पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के खनन पट्टों हेतु अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये तथा स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन क्षेत्र हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

परन्तु पूर्व के ई–निविदा सह ई–नीलामी से स्वीकृत ऐसे खनन पट्टे, जिनकी पट्टावधि की गणना आशय पत्र (Letter of Intent) की तिथि से की गयी है, की पट्टावधि की गणना पट्टा विलेख के निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से अग्रेत्तर 05 वर्ष हेतु की जायेगी। उक्त प्राविधान मात्र उन खनन पट्टों पर ही लागू होगा, जिनकी समयावधि दिनांक 31.12.2023 तक अवशेष है।

3. पूर्व में ई–निविदा सह ई–नीलामी से स्वीकृत खनन पट्टों हेतु सफल निविदादाता धनराशि (ई–नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि (ई–नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं आशयपत्र के अग्रेत्तर वर्ष के नवीनीकरण हेतु जमा 20 प्रतिशत धनराशि को उक्त खनन पट्टों की अग्रेत्तर वर्षों की पट्टा धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जा सकेगा।

4. यदि नदी तल स्थित राजस्व/वन भूमि में बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अनुमति करें, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0–6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश की संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

परन्तु यदि नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार/शासन अनुमति करें जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0–6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा आपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश के संसूचना की दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी जैसी राज्य सरकार/शासन तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

27. पट्टा का रजिस्टर :

1. खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0–7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को भेजी जायेगी।

अध्याय –5
खनन पट्टे की शर्तें

28– इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होगी :

(1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हे इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

29– अन्य खनिजों की खोज :

(1) पट्टेदार, पटटे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पटटे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, तो पट्टेदार खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण नहीं करेगा, जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

30– विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नही किया जायेगा :–

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नही करेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

31– खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी :–

(1) सिवाय उस दशा मे जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन व उपनिबन्धक द्वारा विलेख के निबन्धन के दिनांक से एक माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायनिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से तथा कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(2) नदी तल उपखनिज क्षेत्रों एवं स्वस्थानें घट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्यौरा होगा, की जायेगी।

(3) उपनियम (2) में अभिदिष्ट खनन योजना खान और खनिज (विनियन और विकास) अधिनियम, 1957 कें अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली 1960 के उपबंधों के अन्तर्गत अर्हता रखने वाले भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 (Registered Qualified Person) द्वारा तैयार की जायेगी।

(4) पट्टेदार आर0क्यू0पी0 द्वारा तैयार किये गये खनन योजना की 04 प्रतियां अनुमोदन हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा खनन योजना का परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशक के द्वारा खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। नदी तल, नदी तल

से लगे क्षेत्रों में बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) से सम्बन्धित उपखनिज के खनन पट्टों एंव स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की खनन योजना अनुमोदन हेतु शुल्क रू0 50,000/– देय होगा, जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) Registered Qualified personnel (RQP) के द्वारा खनन योजना में निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एंव पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि व वन भूमि का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त खनन योजना में पांच सौ मीटर की परिधि में आने वाले सभी स्वीकृत खनन लॉटों, सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बडे खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस अंकित किये जाने होंगे। राजस्व एंव सैटेलाईट मानिचत्र पर यथास्थिति राजस्व, वन भूमि एंव निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

(6) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे से सम्बन्धित अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से 03 माह पूर्व तक स्कीम ऑफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। जिला खान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी खदान खनन योजना अनुमोदन के बिना संचालित न हो।

(7) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टाधारकों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बैंक गारन्टी रू0 2.00 लाख (दो लाख) 5.00 है0 क्षेत्रफल तक के खनन पट्टों हेतु तथा 5.00 है0 से अधिक के खनन पट्टों हेतु रू0 5.00 लाख (रूपया पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना की शर्तों की अनुपालना लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में 05 वर्ष की अवधि हेतु तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी।

(8) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निरन्तर 02 वर्ष तक खनन कार्य बंद रहने की दशा में खनन पट्टा स्वतः समाप्त (Deemed to be lapsed) की श्रेणी में समझा जायेगा तथा ऐसे खनन पट्टाधारकों को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करते हुए जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

32– सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण :–

पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा सीमा चिन्ह और खम्भे को लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा तथा प्रत्येक वर्षाकाल के उपरान्त क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भों को पुनः स्थापित करेगा।

33– खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखना :–

पटटेदार खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखेगा, जिसमे वह खान (Mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्ही लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

34– खाइयों, गड्ढों आदि का अभिलेख रखना :–

पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गयी खनन संक्रियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गयी खाइयों, गड्ढों और बरमा में बनाये गये सूराखों (Drillings) का ठीक–ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्

(क) वह अधोभूमि (Sub soil) और भूगर्भ स्तर (strata), जिसमें होकर किसी ऐसी खाईयां गड्ढे खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जाये।

(ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।

(ग) ऐसे अन्य विवरण, जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

35– पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना :–

पट्टेदार यथास्थिति संबद्ध रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strength & support), जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir), नहर (canal), सड़क (road) या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।

36– अग्रक्रयाधिकार (हकशफ) :–

(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, से लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा, वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहको को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हे ढोने के लिये अधिकतर पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

37–पट्टेदारों की स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :–

नियम 38 में उल्लिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा:–

(क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खनिज की खोज करना, उस खनिज को जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सुराग करना (drill) या उसे लब्ध करना, उस पर काम करना, उसका प्रशाधन (Dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गड्ढा खोदना, कूपक (Shafts), ढाल (Inclines), पशुमार्ग (Drifts), समतल, जलमार्ग (Water ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) भूमि पर कोई मशीन, संयत्र स्थापित करना, प्रसाधन करना, फर्श बिछाना, भट्टिया बनाना, ईट भट्टे लगाना, कर्मशालायें, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना ।

(घ) उक्त भूमि पर सडक तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना। यदि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई गूल/नाला/मार्ग के कारण खनन कार्य प्रभावित होता है तो स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही उक्त स्थानों की प्रतिस्थानी व्यवस्था स्वयं के व्यय पर कर सकता है। स्वीकृत खनन क्षेत्र तक पहुंच मार्ग/कच्चा मार्ग का निर्माण राज्य सरकार की भूमि में अपने स्वयं के व्यय पर कर सकता है।

(ड) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सडक सम्बन्धी सामान्य तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईटों या खपरैल निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान ईट या खपरैलो (tiles) को बिना अनुमति न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह पर पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन या किये गये कार्यों और औजारों (tools), सज्जा (equipment) मिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 38 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियॉ (under growth) और घनी झाडी को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खडे या पाये गये वृक्षों या इमारती लकडी वृक्षों का गिराना और उसका उपयोग करना। बशर्ते जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्ही वृक्षों या इमारती लकडियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिए कह सकता है, जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

38– पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें :–

पट्टेदार नियम 37 में उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :–

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खडी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाओं की जायेगी।

(1) किसी सार्वजनिक स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम–स्थल, सार्वजनिक सडक या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये

(2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खडी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाये की जायेगी, जिससे किसी भवन निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

(ख) पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यो या प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियाओं के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल से पहले से ही हो।

(ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित या निहित वन में प्रवेश किया जायेगा और न ही उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तो के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षो को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

(ड) सम्बद्ध रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी जलाशय (reservoir), नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सार्वजनिक सडकों या भवनों या निवासित स्थल (In-habited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तो के विपरीत चाहे वे सामान्य या विशेष हो, जो ऐसी अनुमति में दी जाय, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सडक की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवांग (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षितिजरूप (horizontally) से और भवन की दशा में उसकी कुर्सी (plinth) से क्षितिजरूप से मानी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी।

स्पष्टीकरण :– इस उप नियम के प्रयोजनो के लिये इस "सार्वजनिक सडक" का तात्पर्य ऐसी सडक से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बने पथ (track) से भिन्न हो और ग्राम–सडक के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम–सडक के रूप में किया गया हो।

(ब) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उससे अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा–पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहां आने–जाने की समुचित सुविधायें दी जायेंगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टाधारियों या अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुचाई जाये तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो असहमति होने की दशा में, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्णित किया जाये) देय होगा। स्वस्थानें चट्टानों में पट्टाधारक एवं भू–स्वामी की आपसी सहमति से खनन कार्य किया जायेगा। यदि भू–स्वामी द्वारा एक बार किसी निश्चित अवधि के लिए खनन कार्य किये जाने की सहमति हेतु अनुबन्ध किया गया है तो उक्त अवधि में दी गयी सहमति को वापस नही ले सकेगा एवं अनुबन्ध के नवीनीकरण के समय पट्टाधारक एवं भू–स्वामी के मध्य सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसी स्थिति में पट्टाधारक द्वारा भूस्वामी की सम्बन्धित भूमि को समतल कर फसली मुआवजा प्रतिवर्ष भूस्वामी को देना होगा ताकि खनन कार्य प्रभावित न हों। पट्टाधारक एवं भू–स्वामियों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी आर्बिटेटर होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(छ) पट्टेदार के द्वारा नदी तल में स्वीकृत खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान कार्य सतह से अधिकतम 03 मी0 की गहराई तक अथवा भू–जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

39– सभी दावों के विरूद्व पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :–

पट्टेदार सभी हानि या विक्षेप के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने मे उसके द्वारा की गयी हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मांगों और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जाये और उनके सम्बन्ध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

40– पट्टेदार गड्डो, कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा :–

पट्टेदार पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गड्डो, कूपकों (shafts), और कार्यकारणों (workings) को, जो भूमि बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकडी या अन्य स्थायी उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषानुसार प्रत्येक ऐसे गड्डे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नही, पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में भूमि पर के सभी कार्यकरणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जाये, प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

41–पट्टेदार, कार्यकरणों के निरीक्षण की अनुमति देगा :

पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू–गृह दिनांक से, जिसके अन्तर्गत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plan) बनाने, न्यादर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के

लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workman) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हे खानों की कार्यप्रणाली (working) से संबंद्ध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय-समय पर देना या बनाना उचित समझें।

42- पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :-

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा, जो पट्टे के अधीन किन्ही संक्रियाओं के दौरान हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुचें या सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुचें या जिससे जीवन या सम्पत्ति पर गंभीर प्रभाव पडे या वह संकट में पड जाये।

43- पट्टेदार आधुनिक तौल मशीन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की व्यवस्था करेगा :-

(क) पट्टाधारक के द्वारा चुगान/खनन पट्टा क्षेत्र के गेट पर कम्प्यूटाईज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वंय के व्यय पर 360 डिग्रीकोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य आधुनिक आई0पी0 बेस्ड सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0 आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने व सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(ख) पट्टेदार/अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के प्रवेश/निकासी गेट पर स्वीकृत खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा पट्टाधारक का नाम एवं पता, सम्पर्क/दूरभाष नम्बर, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक, स्वीकृत पट्टावधि, खनिज का प्रकार, प्रतिवर्ष निकासी की स्वीकृत मात्रा एवं खनिमुख पर खनिज के विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा।

44- उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमतिः

पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र मे खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

45– पट्टाधारक द्वारा पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance), वन अनापत्ति (यदि लागू हो), एन0बी0डब्लु0एल0 की अनुमति (यदि लागू हो),

खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों, मा0 न्यायालयों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/दिशा–निर्देशों के अधीन खनन संक्यायें सम्पादित की जायेंगी।

46– पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :

जब कभी प्रतिभूति जमा या कोई भाग वा उसकी पूर्ति में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रस्तुत की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा, जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

47–सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :–

यदि कोई निर्माण या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार के मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

48– जमा प्रतिभूति को वापस किया जाना :–

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार के पास जमा पडी हुई प्रतिभूति की धनराशि जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्ही भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनाक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

49– सार्वजनिक स्थल, नदी पर निर्मित पुल, नदी के किनारे आदि से सुरक्षित दूरी:–

क– राज्य के वन नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़कर तथा राजस्व/निजी नाप भूमि के नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से 15–15 प्रतिशत भाग अथवा न्यूनतम 10 मी0 छोड़कर उपखनिज का चुगान कार्य किया जायेगा।

ख– शमशान, सार्वजनिक स्थल आदि से 50 मी0 की दूरी को प्रतिबन्धित करते हुये उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।

ग– नदी पुल के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में 100 मी0 की दूरी तक अथवा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दूरी के अन्तर्गत चुगान कार्य प्रतिबंधित होगा।

50 – खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्तें:–

1. चुगान पट्टा क्षेत्रों से निकासी किये गये उपखनिज की मात्रा का आंगणन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight) के अनुसार किया जायेगा।
2. चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनो का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई शुल्क

निर्धारित किया जाता है तो वह वाहन स्वामी के द्वारा देय होगा।

3. प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों से उत्खनित कर विक्रय की गई उपखनिज की मात्रा पर देय रायल्टी धनराशि का आंगणन किया जायेगा। खनन योजना में निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा से 50 प्रतिशत से कम उत्पादन होने की दशा में पट्टाधारक को इस सम्बन्ध में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
5. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के आशय पत्र पर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन पूर्ववत् की भांति Pitting & Trenching के माध्यम से किया जा सकेगा। खनन पट्टा आशयपत्रधारक को खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों से कराये जाने की स्वतन्त्रता होगी।
6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा।

   परन्तु विशेष परिस्थतियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।
7. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों मे Mechanized विधि से खनन संक्रियाऐं संचालन हेतु मशीन/पोकलैण्ड/डोजर/एक्सकेवेटर आदि के उपयोग की अनुमति जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा दी जायेगी।
8. पट्टाधारक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF) आदि अन्य शुल्क नियमानुसार जमा किया जायेगा।
9. पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विदोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य करेगा।
10. आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्त कर आवेदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. पूर्व से स्वीकृत स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टों की अवधि का

विस्तारीकरण पट्टाधारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2015 से पूर्व के स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण मूल खनन पट्टा विलेख के पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष तक होगी। इस हेतु पट्टाधारक को अनुपूरक पट्टाविलेख रू0 10,000/– के स्टाम्प पेपर पर कराया जायेगा। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत पट्टाधारक के द्वारा पूर्ण कराया जाना आवश्यक होगा।

12. स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।
13. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सन आदि हेतु आवेदित क्षेत्रफल के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है तो ऐसी भूमि को 25 प्रतिशत की सीमा तक निजी भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा तथा प्रश्नगत क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है, तो उक्त क्षेत्र से खनिज को उत्खनित किया जा सकता है तथा उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी।
14. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनन पट्टाधारकों को वर्षाकाल में खदान का भूधसाव से बचाव एवं Natural Drainage का प्रबन्ध करते हुए पूर्ण सुरक्षित उपायों के साथ खनन किया जा सकेगा।

अध्याय –6

खनन अनुज्ञा–पत्र

51– खनन अनुज्ञा पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन :–

1. कोई खनन अनुज्ञा पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, जिसके विरूद्ध या उसके परिवार के विरूद्ध खनन बकाया हो तथा राज्य का मूल निवासी/स्थायी निवासी न हो।
2. नदी तल/गधेरा/नाला में उपखनिजों का चुगान, नदी तल से भिन्न निजी नाप/राजस्व भूमि में भवनों के निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान, ईट मिटटी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान आदि तथा कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के कटान से निकलने वाले उपखनिज व जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
3. खनन अनुज्ञा की अवधि अधिकतम 06 माह (छः माह) होगी तथा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

52– खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र :–

खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 8 में चार प्रतियों मे जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का

परीक्षण किया जायेगा तथा अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए स्थलीय जांच/निरीक्षण हेतु समिति के सदस्यों को सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:–

(1) आवेदन शुल्क रू0 10,000.00 की जमा रसीद।
(2) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र की ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, चार ऐसी प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो।
(3) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति।
(4) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।
(5) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।
(6) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
(7) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
(8) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।
(9) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

53– प्रार्थना पत्र का निस्तारण :–

1. उपरोक्त नियम–52 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।
3. नियम–51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय–2 के नियम–7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति की उक्त

जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्त और निर्बन्धनों के अधीन जो आवश्यक समझें, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नही किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डी0जी0बी0आर(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रॉयल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होंगे।

54–स्वामित्व का जमा किया जाना :–

(1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश के अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर एक मुस्त स्वामित्व अग्रिम रूप से जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से, जो उसके द्वारा हुआ माना जाय, अनुज्ञात

समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता है तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नही की जायेगी।

(2) यदि प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये, स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खण्ड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

55– खनन अनुज्ञा–पत्र का जारी किया जाना :–

प्रार्थी को खनन अनुज्ञा–पत्र प्रपत्र एम0एम0 10 में ऐसी अतिरिक्त निर्बन्धनों और शर्तो के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

56– खनन अनुज्ञा–पत्रों का रजिस्टर :–

खनन अनुज्ञा–पत्रों के सभी प्रार्थना–पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा–पत्रों के ब्यौरे के साथ प्रपत्र एम0एम0–9 में खनन अनुज्ञा–पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी/जिला खान अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय–7
उल्लंघन अपराध और शक्तियां

57– अनधिकृत खनन के लिये शक्ति :–

(1) जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

(2) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की अध्यक्षता में प्रवर्तन दल का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर या समय–समय पर आकस्मिक छापेमारी सुनिश्चित की जायेगी।

(3) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सम्यक् नियम/आदेश जारी किये जायेंगे।

(4) अवैध खनन की रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर से माईनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया जायेगा।

(5) अवैध खनन की पुष्टि के कारणों को उल्लिखित करते हुए निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई–खनन पोर्टल को लिखित सूचना देने के उपरान्त निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

58– स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम :–

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पटटे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक (स्वस्थानें चट्टानों हेतु) का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयो को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व, सीमाकन शुल्क और किन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

59– कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :–

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार नियमों में व्यवस्थित किन्ही शर्तों को भंग करें, दोष सिद्व हो जाने पर अर्थदण्ड से, जो रू0 2.00 (दो) लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

60– सामान्यतः नियमों और पट्टे की शर्तो के उल्लंघन का परिणाम :–

(1) पट्टेदार द्वारा नियमों या पट्टे में दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबंन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा उचित समझा जाय, काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार पर स्वीकृत नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यथास्थिति खनन पट्टे के रजिस्टर में या ई–नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अध्याय– 8
विविध

61– प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार :–

राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्वि यथास्थिति राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकार हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दिया गया है।

62– रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :–

(1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियुक्त सभी रजिस्टरों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये पांच सौ रूपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट रजिस्टरों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 1000.00 रूपये और।

(ख) चौबीस घन्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 5000.00 रूपये ।

स्पष्टीकरण :– (1) "प्रविष्टि" का तात्पर्य यथास्थिति एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक ई–नीलामी पट्टा के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण :–(2) शुल्क का भुगतान नियमों में निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालान लगाना होगा।

63– नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :–

खनन पट्टे का प्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार के साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जायेगा।

64– शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :–

इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें।

65– छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :–

(1) खनन का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व सम्बन्धी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को अभिविष्ट किये जाने चाहिये।

66– निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :–

(1) किसी खान का परित्यक्त खान की रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली के सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिलाधिकारी या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के ऐसे अधिकारी, जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी:–

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।

(ग) किसी खान में पडे हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियन्त्रण हो या जो उससे सम्बद्व हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्वरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ड) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्व हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और

(छ) ऐसी सूचना का विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाये।

परन्तु राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व विभाग का अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे के पद का न हो (जिनके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से खनन से सम्बन्धित कार्यों का कम से कम 01 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर निदेशक से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो), भी इस निमित्त अधिकृत होंगे। सम्बन्धित द्वारा अवैध खनन की मात्र जांच कर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकृत स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उपनियम के खण्ड (ड) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा।

67– भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निर्बन्धन आदि आरोपित नही किया जायेगा: –

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि से किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई

प्रतिशोध या निर्बन्धन आरोपित करने या उपखनिज पट्टा हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने पर हकदार न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संक्रियाओं के लिए उपयोग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो उनके बीच तय हों।

(2) जहां खनन पट्टा अनुज्ञा–पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षो में की गई खेती से प्राप्त वार्षिक औसत शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक औसत शुद्ध आय के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में वार्षिक प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षो के वार्षिक भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक भाटक मूल्य के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि खनन कार्य से कोई आवासीय भवन/गौशाला/दुकान आदि क्षतिग्रस्त होते हैं, तो राजस्व विभाग के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता से आंकलन कराते हुए तैयार किये गये वास्तविक आंकलित मूल्य के अनुसार प्रतिकर की धनराशि पट्टाधारक के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/संस्थाओं को दी जायेगी।

68– विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना :–

राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तें और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तें और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

69–स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–

(1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों/निविदाकारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे, जो निदेशित की जाये।

(2) खनन पट्टे के धारक द्वारा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में व्यवस्थित हैं।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टो के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या ई–टेन्डर/ई–निलामी या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तें और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है, जो उपयुक्त समझी जाये। ठेकेदार/निविदाकार के चयन के लिए अर्हता एवं नीलामी प्रक्रिया के मापदण्डों का निर्धारण हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा पृथक से निविदा प्रपत्र तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को अनुबन्ध के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों के निर्वहन एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल का अवलोकन किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुरोध करने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

70– खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :–

(1) खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक/अनुज्ञाधारकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाडी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 में पास जारी करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोडकर, पशु, गाडी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 में तथा राज्य के बाहर ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस" में जारी पास के बिना नही ले जायेगा, परन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विशेष परिस्थितियों में ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") के ऑनलाईन जनरेशन (Online generation) के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु जिनमें ऑनलाईन ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") के उपयोग को छूट प्रदान किया जायें, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रांजिट पास (रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") का उपयोग किया जा सकेगा।

(4) किसी उपखनिज को ले जाने वाला व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त "पास" को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उप खनिज की मात्रा के संदर्भ में "पास" के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।

(5) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चेक पोस्ट)/मोबाईल चैक पोस्ट स्थापित कर सकता है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना

गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी, जैसा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उपयुक्त समझें।

(6) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नही करेगा।

(7) खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रू0 2.00 (दो) लाख रूपये तक हो सकता है।

(9) अवैध परिवहन या ई–रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग पाये जाने पर निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई–रवन्ना पोर्टल बिना पूर्व सूचना के अस्थाई रूप से निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

71–प्रतिनिधान :

जब राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्ही ऐसे विषयों के सम्बन्ध और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाये।

72– पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना:–

(1) निजी नाप भूमि को छोडकर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय–2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा 17–क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा, जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक–एक प्रति उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी व खान अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो निदेशक अवधि को अग्रेत्तर सात कार्य दिवसों के लिये और बढा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम–20 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17–क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है, खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व

समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

73– विवरणियां (रिटर्नें):

(1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक प्रत्येक माह के आगामी 07 तारीख तक प्रपत्र एम0एम0–12 में जिलाधिकारी और जिला खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो यह रू0 5000.00 की शास्ति का भागी होगा।

74– अपराधों का संज्ञान:–

(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नही लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा।

75– अपराधों का शमन :–

(1) इस नियमावली के अधीन–दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय या जिलाधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :–

प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डन विभागीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नही होगी।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध को शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरूद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही या अग्रेत्तर कार्यवाही नही की जायेगी और अपराधों को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्मोचित कर दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यारों को दर्शाया जायेगा :–

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष)

(ख) अपराधी का नाम और पता।

(ग) दिनांक और अपराध के ब्यौरे।

(घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।

(ङ) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी के हस्ताक्षर ।

76– पुलिस की सहायता:–

नियम 66 के अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधि सहमत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना पत्र कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उस अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी सम्भव सहायता देगी।

77– अपील :–

इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या जिला खान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर मण्डलायुक्त के यहां अपील की जायेगी।

78– पुनरीक्षण :–

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिलाधिकारी, निदेशक या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

79– शुल्क :–

नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद्दे बीस हजार रूपये का शुल्क वित्तीय लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

प्रथम अनुसूची (देखें नियम–18)

खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0 में)
1– चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
2– मार्बल या मार्बलचिप्स (संगमरमर)	500.00 प्रति टन
3– ईंट बनाने की मिट्टी	100.00 प्रति हजार ईंट
4– शोरा (साल्ट पीटर)	6.00 प्रति कि0ग्रा0 या 600.00 प्रति कुन्तल
5– इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन):– 1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित (ग्रेनाइट को छोड़कर) स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी0 से अधिक हो) 2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्डस्टोन क्वार्टजाईड)	350.00 प्रति टन 500.00 प्रति टन
6– नदी तल से भिन्न खनन पट्टो से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी0 से अधिक न हो), बजरी/मिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	88.50 प्रति टन
7– ग्रेनाईट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन	1000.00 प्रति घ0मी0
8– नदी तल में राजस्व/वन भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो (निजी भूमि को छोड़कर)	1. 8.50 प्रति कुन्टल (गौला नदी) 2. 8.00 प्रति कुन्टल (कोसी, दाबका नदी) 3. 7.00 प्रति कुन्टल (हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु)
9– नदी तल/नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
10– कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्टी की अनुज्ञा को छोड़कर)	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
11– कंकड़	200.00 प्रति टन
12– साधारण मिट्टी	50.00 प्रति टन
13– सिलिका सैण्ड	100.00 प्रति टन
14– डोलोमाईट	500.00 प्रति टन
15– बैराईट	250.00 प्रति टन
16– क्वार्टजाईट	100.00 प्रति टन
17– सोपस्टोन	1. निम्न श्रेणी – रू0 350.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत से कम) 2. उच्च श्रेणी – रू0 450.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत व उससे अधिक)
18– अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची (देखें नियम–19)

खनिज	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर (रू0 में)
1– मार्बल या मार्बलचिप्स	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
2– चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
3– नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईट 25 सेमी0 से अधिक हो), बजरी /मिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
4– नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष
5– साधारण मिट्टी (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25,000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष
6– खनिज सिलिका सैण्ड हेतु	6000.00 प्रति हैक्टे0 प्रति वर्ष व तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
7– खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
8– खनिज क्वार्टजाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
9– खनिज बैराईट	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
10– खनिज सोपस्टोन हेतु	5000.00 प्रति हैक्टे0 प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)

तृतीय अनुसूची

THIRD SCHEDULE

प्रपत्र एम. एम.–1

खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम–5)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक..... 20.....

(समय)..... बजे

(स्थान).....

(दिनांक)..... को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक..... को पूर्ण किया गया ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1)(क) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय आवेदन शुल्क ..... रुपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....

(दो) क्या प्रार्थी गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है:.....

(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता .....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान.....

(घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय या संस्था के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता.....

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार.....

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है.....

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है.....

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है:–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा धृत है और यदि धृत हैं तो उसका ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :–

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।.....

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, वन (रजि) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।.....

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (Starting Point) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।.....

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये.....

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :–

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;.....

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;.....

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;.....

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो .....

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये।.....

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन.....

(तेरह) अन्य वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(क) उपयुक्त बिन्दु–2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट–वे रसीद/कोषागार चालान आदि के विवरण।.....

(ख) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की राजस्व विभाग से चार सत्यापित प्रतियां।.....

(ग) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियां।.....

(घ) खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।.....

(ङ.) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।.....

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।.....

(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।.....

(ज) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।.....

(झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति। .....

(ञ) यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति.....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्गत यथार्थ नक्शें और प्रतिभूति जमा आदि हैं; देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

भवदीय

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

स्थान .....

दिनांक.....

अवधेय :- (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण-पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये।

प्रपत्र एम0एम0–1 (क)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)
खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम 5)

स्थान ..... दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक..... को पूर्ण किया गया ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
जनपद.....

महोदय,

मैं/हम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियामवली, 2023 के अधीन अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये निवेदन करता हूँ/करते है। उक्त नियमावली के नियम–6(क) के अधीन देय रू0 .... (रूपया .....) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है:–

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....
2. क्या प्रार्थी कोई गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है।.....
3. यदि प्रार्थी :–
   (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता.....
   (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता.....
   (ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अशूपूंजी का प्रतिशत तथा उसे निगमन के स्थान.....
   (घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो सभी भागीदारों या संगत के सदस्यों की राष्ट्रिकता.....
4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति
5. खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र।
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीनीकरण वांछित है,.....
   (ख) पूर्व में स्वीकृत नवीनीकरण के ब्यौरे, यदि कोई हों,.....
7. अवधि जिसके लिये खनन पट्टे का नवीनीकरण अपेक्षित है.....
8. क्या नवीनीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है

(क) क्षेत्रफल जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया.....

(ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखण्ड के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये).....

(ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीनीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न).....

(घ) विद्यमान या सृजि गलवे के विवरण यदि कोई हो.....

9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है ?.....

10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी।.....

.....

11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :-.....

(क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है,.....

(ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या.....

(ग) साथ-साथ आवेदन कर रहा हो.....

12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगें :-

(क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वेक्षण आंकडों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना.....

(ख) क्षेत्र के भू-विज्ञान एवं अश्म-विज्ञान (Lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम और मशीन द्वारा खनन का विस्तार.....

(ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना.....

(घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृति जल स्त्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया-कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण भी सम्मिलित है, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि-पुनरूधार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्योरे दर्शाये गये हों।.....

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाना है अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा..

.....

14. रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा:-

(क) भारत के विनियोग के लिये.....

(ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये.....

(ग) पूर्ववर्ती दशा में उन उद्योगों को, जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्माण किया जायेगा या कच्चे रूप में.....

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाना चाहिये।.....

.....

16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हों।.....

.....

17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों,.....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, जिसमें नक्शे भी है, देने का तत्पर हूँ/है।

भवदीय

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान .....

दिनांक.....

अवधेय :– यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र एम0एम0–2

खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्र का रजिस्टर देखें नियम 05(4) एवं नियम–17

1. क्रम संख्या.....
2. खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र का दिनांक.....
3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ.....
4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया.....
5. प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....
6. उक्त व्यक्ति का ब्यौरा जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया हो :–
   (क) तहसील.....
   (ख) परगना.....
   (ग) ग्राम.....
   (घ) प्लाट नं0.....
   (ड) क्षेत्रफल.....
7. भूमि का कुल क्षेत्रफल.....
8. उन खनिजों का विवरण जिन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है.....
9. चालान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया प्रार्थना पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारम्भिक व्यय.....
10. उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया.....
11. दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण.....
12. अभ्युक्तियां :.....
13. जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

प्रपत्र एम0एम0–3

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र (देखें नियम–13)

यह अनुबन्ध आज ..... दिनांक ..... को ....उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेगें) एक पक्ष और

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : ..... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार") कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक यक्ति हो : ..... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : ..... (भागीदार का नाम) आत्मज .... निवासी ..... जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, (1932 एक्ट संख्या 09) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... नगर में . ..... पर है। (जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझें जायेगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो : (कम्पनी का नाम) ..... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है (पता) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगें) दूसरा पक्ष

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार की निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि .... एकड के निमित्त खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होनें राज्य सरकार के पास .... रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा ..... रू0 की धनराशि खनन पट्टे हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है ..... (यहां खनिज या खनिजों का

उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खानें, तल्प (Beds) संदरसीम्स (Viens) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पडी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो ..... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक..... ..... से ..... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का एतद्द्वारा दिये गये और पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला ..... की तहसील .... ग्राम..... के अन्तर्गत खसरा संख्या..... कुल क्षेत्रफल.....है0 है, जो कि. .....नदीतल/नदीतल से भिन्न स्थानों में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित है:–

उत्तर में – .....

दक्षिण में – .....

पूर्व में – .....

तथा

पश्चिम में – .....

और जिसे एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत है:–

1–

2–

3–

4–

भाग–2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि का भुगतान करना– (1) पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व की धनराशि, जो भी अधिक हो परन्तु दोनो का नही, का वार्षिक भुगतान करेगा तथा स्वस्थाने चट्टानो से भिन्न खनन क्षेत्रों यथा नदी तल एवं नदी तल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०बी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान करेगा।

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा० न्यायालयों/एन०जी०टी० के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों, जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे:–

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

- अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(क) नदीतल एवं नदीतल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०बी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए पट्टा धनराशि भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (leased) भूमि में प्रतिवर्ष निकासी हेतु निर्धारित उपखनिज की मात्रा पर तत्समय निर्दिष्ट

स्वामित्वों की दर एवं अन्य देयकों के अनुसार आगणित पट्टा धनराशि को निम्नानुसार संसूचित किया जायेगा:–

• खनिज का नाम	उपखनिज की मात्रा टन में	स्वामित्व/रायल्टी की दर (रू0 प्रति टन)	अन्य देयकों की धनराशि (रू0 प्रति टन)	पट्टाधनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5 [2 x (3 + 4)]
1				
2				
3				

- पट्टाधनराशि का राज्य सरकार के प्रति भुगतान 09 मासिक समान किस्तों में (अक्टूबर से जून तक) अग्रिम रूप से वित्तीय आनलाईन पेमेंट–गेटवे या राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करेगा, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(3) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :– इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करें।

(4) स्वामित्व के संगणन की रीति :– उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा, जिसमें वह/वे परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाप का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नियम 68 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करें, स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने वाले या ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाप की जांच कर सकता है। पट्टेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और जिला खान अधिकारी कार्यालय को मासिक रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर रूपये 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(5) ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 निर्गत किया जाना :– पट्टेदार, जिला खान अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत पट्टे हेतु पंजीकरण कराकर ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11, जैसा नियमावली के नियम 70(1) में अपेक्षित है, अग्रिम भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(6) नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :– यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो नियमावली के नियम–58 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

(1) नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :– पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसी सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास–स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।

(3) पट्टे की समाप्ति के पश्चात एक मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :– यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जायं, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की वसूली करना : यदि राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन–पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों/पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक का भुगतान की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) नोटिसें :– इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को

प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे चुनौती दी जाएगी।

(6) शर्तें–

1– पट्टेदार मा० उच्चतम न्यायालय/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा० उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगा।

2– अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझे उल्लिखित की जायेगी।

(7) स्टाम्प शुल्क :– स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष .... रूपये हैं। इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन–पत्र एतद्धीन आयी हुई रीति के ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए ओर उनकी ओर से–

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

पट्टेदार/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

प्रपत्र एम. एम. 4

खनन पट्टों का रजिस्टर– (देखें नियम 17)

1– क्रम संख्या .....

2– पट्टेदार का नाम .....

3– पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता .....

4– प्रार्थना–पत्र का दिनांक .....

5– (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक .....
(ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक .....

6– भूमि का ब्यौरा .....

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....
(ग) ग्राम .....
(घ) प्लाट नं. .....
(ड़) क्षेत्रफल .....

7– कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो .....

8– खनिज जिसके/जिनके लिए पट्टा दिया गया हो .....

9– निश्चित अपरिहार्य भाटक .....

(क) खनिज .....
(ख) प्रति एकड़, अपरिहार्य भाटक .....
(ग) कुल अपरिहार्य भाटक .....
(घ) वार्षिक पट्टाधनराशि .....

10– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक .....
11– अवधि, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो .....

12– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

13– ऐसे परिवर्तन के ब्यौरे के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्टे धारक के नाम, राष्ट्रिकता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो .....

14– पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक .....

15– अभ्युक्तियाँ .....

16– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

प्रपत्र एम. एम. 5

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञप्ति क्षेत्रों का रजिस्टर–(देखें नियम 22)

नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर:

1– क्रम संख्या .....

2– क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा का आदेश संख्या .....

3– घोषणा का दिनांक .....

.

4– तहसील .....

5– परगना (प्लांट) संख्या .....

6– ग्राम .....

7– गाटा (प्लांट) संख्या .....

.

8– क्षेत्रफल .....

.

9– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

10– नीलामी एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना .....

(क) आदेश संख्या .....

(ख) आदेश का दिनांक .....

(ग) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

प्रपत्र एम.एम. 06

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 26)

यह अनुबन्ध आज ..... दिनांक..... को उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पर पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझें जायेगें), एक पक्ष और .....

.....

. यदि पट्टेदार व्यक्ति विशेष हो : (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) दूसरा पक्ष .....

.....

.....

यदि पट्टेदार एक से अधिक हो :– (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा .....

.....

..... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

.....

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : (भागीदार का नाम और पता) आत्मज ..... निवासी ..... आत्मज ..... निवासी .....जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म .....(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी के कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय ....नगर में ..... पर है, (जिन्हें आगे "लाईसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पर पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने–अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझें जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो :
(कम्पनी का नाम) जो ..... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय ..... में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पटटेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राहय हों, उत्तराधिकारी भी समझें जायेगें) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम के पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का ..... रू0 (उच्चतम बोली की धनराशि) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए ..... वर्ष/वर्षों को निमित्त एतद्धीन लिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में ..... हैक्टेयर (स्वीकृत कुल क्षेत्रफल) के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होनें प्रतिभूति स्वरूप ..... रूपये (उच्चतम बोली का पच्चीय प्रतिशत धनराशि) की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले

पट्टाधनराशि/स्वामित्वों प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है:–

_____ (यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है, की समस्त खनन तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों _____ सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक _____ 20_____ से _____ वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्द्वारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला _____ की तहसील _____ ग्राम_____ के अन्तर्गत खसरा संख्या_____ कुल क्षेत्रफल_____ है0 है, जो कि_____नदीतल में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित है:–

उत्तर में – _____

दक्षिण में – _____

पूर्व में – _____

तथा

पश्चिम में – _____

और जिसे एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत है:–

1–

2–

3–

4–

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित पट्टाधनराशि

पट्टाधनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र के लिए निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा .....टन के सम्बन्ध में निम्नलिखित पट्टाधनराशि का भुगतान करेगा/करेगें .....

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक – जब किश्त दिया जायेगा
1	2	3

पट्टाधनराशि कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) इस भाग में उल्लिखित पट्टाधनराशि की किश्तों का अग्रिम भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को .....किश्तों में विभागीय पे–मैंट गेटवे/कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा जमा रसीद/चालान ..... की एक प्रति जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को भेजी जायेगी।

पट्टाधनराशि का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन– पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय पट्टाधनराशि की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसा भालगुजारी का बकाया।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त कां भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जायेगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटार्येगें : (2) पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र के आधार पर देय पट्टाधनराशि का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में) और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने लाग के लिए ऐसी सभी या किसी मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (converiences) को उखाड सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात् एक मास से अधिक समय से छोडी गयी सम्पत्ति की जब्ती :– (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात एक कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला खान अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न उठायें जायें, तो यह समझा जायेगा कि वह/वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उसकी बिक्री या निस्तारण ऐसी स्थिति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझें।

शर्तें:–

1– पट्टेदार मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2– अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझें, उल्लिखित की जायेगी।

स्टाम्प शुल्क : (5) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रतिवर्ष रू0 .... है।

इसके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापन पत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्य के लिए और उनकी ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

पट्टेदार/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

प्रपत्र–एम. एम. 7

नीलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर– (देखें नियम–27)

1– क्रम संख्या .....

2– भूमि का विवरण .....

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....

(ग) ग्राम .....

(घ) गाटा (प्लांट) संख्या .....

(ङ) क्षेत्रफल .....

3– भूमि का कुल क्षेत्रफल .....

4– खनिज या खनिजों का नाम .....

5– पट्टेदार का नाम .....

6– पट्टेदार का पूरा पता .....

7– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक .....

8– पट्टा अवसान होने का दिनांक .....

9– पट्टाधनराशि .....

10– अभ्युक्ति .....

11– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

प्रपत्र–एम.एम. 8

खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (देखें नियम–52)

(तीन प्रतियों में देना है)

स्थान ..... दिनांक .....20.....

समय ..... बजे

दिनांक ..... को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय–6 के अधीन खनन अनुज्ञा–पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क ..... रु. जमा कर दिया गया है।

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....

(2)क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है.....

(3) यदि प्रार्थी:–

(क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रीयता .....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता और उसके निबंधन का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान .....

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता.....

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार .....

(5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो :

(क) खनिज का नाम .....

(ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा .....

(6) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा– पत्र अपेक्षित है.....

(7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित है

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है या किसी द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसके ब्यौरे

ग्राम : क्षेत्रों की दशा में ग्राम का नाम और यदि ग्राम के केवल एक भाग के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, तो खसरा (ग्राम) संख्या, प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, हेक्टर में क्षेत्रफल .....

(8) वन क्षेत्रों की दशा, में कार्यवृत्ति (वर्किंग सर्किल) का नाम, वनराजि (range) और पातन श्रेणियों (felling serise) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगभग)।

(9) भू–कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र में निश्चित स्थानों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा–रेखा की रेखीय दूरियां और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिक्स्थिति (4" = 1 मील पैमाना)।

(10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किय गए खनिज का उपयोग किया जाएगा।

(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(12) वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(क) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट–वे रसीद/कोषगार चालान आदि के विवरण।

(ख) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां।

(ग) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रतियां।

(घ) अद्यतन खनन आदेयता प्रमात्र पत्र जो सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो की प्रति।

(ङ) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।

(ज) जी०एस०टी० प्रमाण पत्र की प्रति।

(झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान .....

दिनांक .....

भवदीय,

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवधेय :– यदि प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जायें तो अभिकरण पत्र (power of Attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र– एम.एम. 9

खनन अनुज्ञा–पत्रों के लिए प्रार्थना –पत्र का रजिस्टर –(देखें नियम–56)

(1) क्रम संख्या .....

(2) खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र का दिनांक .....

(3) खनिज का नाम .....

(4) जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो:

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....

(ग) ग्राम .....

(घ) प्लाट संख्या .....

(ड़) क्षेत्रफल .....

(5) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

(6) अनुज्ञा–पत्र न देने या देने की आज्ञा का दिनांक
और जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

(7) यदि अनुज्ञा–पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरे :

(क) दिया गया कुल क्षेत्र :

(ख) अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा :

(ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो

(घ) कुल स्वामित्व की धनराशि

(ड़) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक

(च) अनुज्ञा–पत्र जारी करने का दिनांक

(छ) अनुज्ञा–पत्र की समाप्ति का दिनांक

(ज) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र – एम.एम. 10

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 55)

श्री/सर्वश्री ..... को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 52 के अधीन ग्राम ..... में ..... (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा–पत्र देने के निमित्त प्रार्थना–पत्र दिया है और रू0..... (रूपया .....) रुपये का प्रार्थना–पत्र शुल्क तथा ..... रुपये प्रतिटन/घन मी0 की दर से स्वामित्व का भी रुपया ..... अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से ..... टन/घन मी0 खनिज को, आज से .....मास अर्थात दिनांक..... से दिनांक ..... की अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के ब्यौरे

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा (प्लाट) संख्या	एकड़ में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :

(1) अनुज्ञा–पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।

(2) अनुज्ञा–पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुंचे।

(3) अनुज्ञा–पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

Geology & Mining Department

Uttarakhand

Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(2 & 3)

Form MM-11

Owner Name:
Lease Address:

Form MM-11 No.
Date and Time:

1. Type of Vehicle
2. Registration No. of Vehicle
3. Name of Driver
4. Mobile No. of Driver.
5. Name of Mineral
6. Weight of Mineral (In Tons)
7. Sale value/Approximate value (Before Tax)
8. Payable CGST.....
9. Payable SGST.....
10. Payable Royalty .....
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Geology & Mining Department

Uttarakhand

Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(3)

Form MM-11 O/S

Owner Name:
Lease Address:

Form MM-11 No.
Date and Time:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Payable IGST.....
10. Payble Royalty .....
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid upto- Date & Time (Auto generated)

प्रपत्र– एम.एम. 12
मासिक विवरणी
(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.....

माह/वर्ष ..... की विवरणी :–

(1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते .....

(2) पट्टे का विवरण ..... खनिज का नाम .....

(3) पट्टे की अवधि ..... क्षेत्रफल ..... एकड़ में, ग्राम ..... तहसील.....

जिला .....

(4) नियोजित श्रमिकों की संख्या ..... कुशल ..... अकुशल ....

माह का नाम	खनिज का नाम	माह में उत्पादन	माह में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5

देय स्वामित्व /पट्टाधनराशि की नियत दर	माह में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति
6	7	8	9

(5) खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य–प्रणाली की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

स्थान .....

पट्टेदार/पट्टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता

दिनांक .....

के हस्ताक्षर और मोहर

प्रतिलिपिः–

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
(2) सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी।

प्रपत्र–एम0एम0 13

अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र
का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79)

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

(1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का नाम,पता.....

(2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का व्यवसाय.. .....

(3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण दायर किया, जाए, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) .....

(4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाए.....

(5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है:–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दावाकृत क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

(6) क्या उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–79 में निहित रीति के अनुसार रूपये ..... का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया हैं?.....

(7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।.....

(8) पक्ष/पक्षकारों, जो बनाये गये हों, यदि कोई हो, का/के नाम और पूरा पता.....

.....

(9) याचिका की प्रतियों की संख्या, जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों के संलग्न किया जाना चाहिये) :–

(10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :–

(क) संक्षिप्त तथ्य

(ख) आधार

(ग) प्रार्थना

(11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।.....

स्थान .....

दिनांक .....

भवदीय

प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।

यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 औ0वि0/257–2023–200+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत/संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम	उपखनिज क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	उपखनिज की मात्रा (टन में)	शासनादेश का विवरण	संचालन अवधि (कब से कब तक)
जनपद हरिद्वार						
1	श्रीमती कंचन भट्ट	जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल	1.496	32912	शासनादेश संख्या 1126/VII-I/2019/12ख/2018, दिनांक 13.09.2018	दिनांक 14.05.2018 से 13.05.2023
2	श्री अर्जुन सिंह	जनपद हरिद्वार तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल	1.700	35000	शासनादेश संख्या 1876/VII-A 1/2021–02(106)/18, दिनांक 28 जनवरी, 2021	दिनांक 07.12.2018 से 06.12.2023
3	श्री शुभम शर्मा	जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल	1.475	32450	शासनादेश संख्या 1372/VII-A 1/2021/62ख/18, दिनांक 07 जनवरी, 2022	दिनांक 29.08.2018 से 28.08.2023 तक।
जनपद पौड़ी गढ़वाल						
4	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	जनपद पौड़ी गढ़वाल तहसील श्रीनगर के ग्राम श्रीकोट गंगानाली	2.00	46200	शासनादेश संख्या 1125/VII-1/2019/10–ख/18, दिनांक 16 मई, 2019	दिनांक 15.05.2018 से 15.05.2023
5	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	जनपद पौड़ी गढ़वाल तहसील श्रीनगर के ग्राम फतेहपुर रेती	3.127	72235	शासनादेश संख्या 1124/VII-1/2019/11–ख/18, दिनांक 16 मई, 2019	दिनांक 22.05.2018 से 21.05.2023
6	मै0 नेगी ट्रेडर्स	जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार के ग्राम चर	4.364	100808	शासनादेश संख्या 2747/VII-A 1/2019/2(114)/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 20.12.2019 से 19.12.2023
7	श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला	जनपद पौड़ी गढ़वाल तहसील पौड़ी के ग्राम नौगांव	1.651	32140	शासनादेश संख्या 2702/VII-A 1/2019/36ख/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 05.07.2018 से 04.07.2023
8	श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला	जनपद पौड़ी गढ़वाल तहसील पौड़ी के ग्राम बिलखेत	4.012	92677	शासनादेश संख्या 2719/VII-A 1/2019/40ख/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 05.07.2018 से 04.07.2023
9	श्री मातबर सिंह नेगी	जनपद पौड़ी गढ़वाल तहसील सतपुली के ग्राम केशरपुर	0.840	19404	शासनादेश संख्या 2712/VII-1/2019/16ख/18, दिनांक 27	दिनांक 22.05.2018 से 21.05.2023

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

					दिसम्बर, 2019	
10	श्री मातबर सिंह नेगी	जनपद पौडी गढ0 तह0 सतपुली ग्राम केशरपुर	0.500	11550	शासनादेश संख्या 2711/VII-A 1/2019/45ख/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 08.08.2018 से 07.08.2023
11	श्री विनोद सिंह नेगी	जनपद पौडी गढ़वाल तहसील लैन्सडौन के ग्राम छोटा मरोडा	0.640	14784	शासनादेश संख्या 597/VII-A 1/2020/08ख/2018, दिनांक 01 जून, 2020	दिनांक 16.05.2018 से 15.05.2023
12	श्री विजय जोशी	जनपद पौडी गढ़वाल तहसील पौडी के ग्राम बडखोलू	4.865	112383	शासनादेश संख्या 592/VII-A 1/2020/41ख/18, दिनांक 01 जून, 2020	दिनांक 05.07.2018 से 04.07.2023
13	श्रीमती नीतिका चौहान	जनपद व तहसील पौडी गढ़वाल के ग्राम धुरोली	2.272	52485	शासनादेश संख्या 483/VII-A 1/2020/35ख/2018, दिनांक 29 मई, 2020	दिनांक 07.12.2018 से 06.12.2023
14	श्री भारत भूषण	जनपद पौडी गढ़वाल तहसील पौडी के ग्राम मरोडा	4.002	69335	शासनादेश संख्या 49/VII-A-1/2020/58ख/18, दिनांक 04 फरवरी, 2020	दिनांक 29.08.2018 से 28.08.2023
15	श्री गणेश सिंह रावत	जनपद पौडी गढवाल की तहसील लैन्सडौन के ग्राम बागी	0.240	5544	शासनादेश संख्या 2159/VII-A-1/2021–29ख/2018, दिनांक 06 जनवरी, 2022	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023 तक।
16	श्री प्रवीन कुमार	जनपद पौडी गढवाल की तहसील श्रीनगर के ग्राम पुराना श्रीनगर	1.0	23100	शासनादेश संख्या 486/ VII-A-1/2020/02(112)/2018, दिनांक 29 मई, 2020	दिनांक 20.12.2018 से 19.12.2023 तक।
जनपद रूद्रप्रयाग						
17	श्री कमलेश	जनपद एवं तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम झिरमोली,	2.121	14520	शासनादेश संख्या 1157/VII-1/2019/2(85)/18, दिनांक 22 मई, 2019	दिनांक 12.09.2018 से 11.09.2023
18	श्री शूरबीर सिंह	जनपद रूद्रप्रयाग तहसील ऊखीमठ के ग्राम गिंवाला,	0.288	6363	शासनादेश संख्या 2676/VII-A-1/2019/2(79)/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023
19	श्री विनोद सिंह नेगी	जनपद एवं तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम नगरासू,	0.121	3449	शासनादेश संख्या 484/VII-1/2020/02(136)/2018,	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिज उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

					दिनांक 29 मई, 2020	
20	श्री परमानन्द	जनपद एवं तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम सुमेरपुर,	0.1	2850	शासनादेश संख्या 485/VII-1/2020/19ख/2018, दिनांक 29 मई, 2020	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023
21	श्री धर्मेन्द्र सिंह	जनपद रूद्रप्रयाग की तहसील ऊखीमठ के ग्राम गहनीगांव,	0.490	12320	शासनादेश संख्या 482/VII-A-1/2020/02(136)/2018, दिनांक 27 मई, 2020	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023
जनपद टिहरी गढ़वाल						
22	श्री बिरेन्द्र सिंह रावत	जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील नैनबाग के ग्राम कान्डी तल्ली, अगलाड नदी	0.600	13200	शासनादेश संख्या 2685/VII-A-1/2019/2(78)/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 19.09.2018 से 18.09.2023
23	श्री कैलाश रावत	जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील नैनबाग के ग्राम खैराड	0.100	2200	शासनादेश संख्या 2684/VII-A 1/2019/2(77)/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 09.10.2018 से 08.10.2023
24	श्रीर कैलाश रावत	जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम दावला मतेला, अगलाड नदी	0.200	4400	शासनादेश संख्या 48/VII-A-1/20/02(80)/2018, दिनांक 29 जनवरी, 2020	दिनांक 12.09.2018 से 11.09.2023
25	श्री कैलाश रावत	जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील धनोल्टी के ग्राम दुबडा	0.300	6066	शासनादेश संख्या 2681/VII-1/2019/02(84)/2018, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019	दिनांक 12.09.2018 से 11.09.2023
26	श्री पूर्ण सिंह रावत	जनपद टिहरी तहसील कीर्तिनगर ग्राम चोपड़िया	1.5	33000	शासनादेश संख्या 676/VII-A-1/2020/02(9)/2019, दिनांक 25 जून, 2020	दिनांक 07.06.2018 से 06.06.2023
27	श्री गोविन्द सिंह रावत	जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील नैनबाग के ग्राम खरसौन, यमुना नदी	0.400	13200	शासनादेश संख्या 730/VII-A-1/2020/02(81)/2018, दिनांक 26 जून, 2020	दिनांक 19.09.2018 से 18.09.2023
28	श्री धर्मानन्द पैन्यूली	जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम कुलाली (काली पैरी तोक)	0.150	6600	शासनादेश संख्या 94/VII-A 1/20/02(116)/2018, दिनांक 06 फरवरी, 2020	दिनांक 20.12.2018 से 19.12.2023
29	श्री दयाल सिंह	जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील धनोल्टी के ग्राम तौल्याकाटल	1.20	26400	शासनादेश संख्या 2369/VII-A-1/2021–02(82)/2018,	दिनांक 18.12.2018 से 17.12.2023

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

					दिनांक 06 जनवरी, 2022	
जनपद उधमसिंहनगर						
30	श्रीमती प्रिया अग्रवाल	जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी	4.390	65850	शासनादेश संख्या 1678/VII-1/2019/50–ख/18, दिनांक 09 अगस्त, 2019	दिनांक 12.09.2018 से 11.09.2023
31	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	जनपद उधमसिंहनगर तहसील बाजपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर	2.800	92400	शासनादेश संख्या 2272/VII-1/2019/55ख/18, दिनांक 29 नवम्बर, 2019	दिनांक 22.06.2018 से 21.06.2023
32	श्रीमती प्रिया अग्रवाल	जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी	3.183	47745	शासनादेश संख्या 2302/VII-1/2019/55ख/18, दिनांक 29 अक्टूबर, 2019	दिनांक 29.08.2018 से 28.08.2023
33	श्री सुखवन्त कौर	जनपद उधमसिंहनगर तह0 किच्छा के ग्राम नया प्लाट शान्तिपुरी नं0 4, लॉट नं0 01/गौला नदी	5.00	165000	शासनादेश संख्या 2675/VII-A-1/2019/57ख/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 29.08.2018 से 28.08.2023
34	श्री जितेन्द्र सिंह	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी	6.0	90000	शासनादेश संख्या 29/VII-A 1/20/02(74)/2018, दिनांक 29 जनवरी, 2020	दिनांक 12.09.2018 से 11.09.2023
35	श्रीमती प्रिया अग्रवाल	जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी	1.959	23385	शासनादेश संख्या 2545/VII-1/2019/47ख/2018, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019	दिनांक 06.08.2018 से 05.08.2023
36	मै0 रामा कन्स्ट्रक्शन	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	4.654	125651	शासनादेश संख्या 2185/VII-A 1/2021–02(01)/2018, दिनांक 06 जनवरी, 2022	दिनांक 05.02.2019 से 04.02.2024 तक।
37	श्री पुनीत कुमार गोयल	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	2.876	103277	शासनादेश संख्या 2186/VII-A 1/2021–02(88)/2018, दिनांक 06 जनवरी, 2022	दिनांक 10.12.2018 से 09.12.2023 तक।
38	श्री अब्दुल अलीम	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	2.969	79200	शासनादेश संख्या 2458/VII-A 1/2021–02(90)/2018, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018	दिनांक 07.12.2018 से 06.12.2023 तक।
39	श्री कवलजीत सिंह कॉन्ट्रैक्टर	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील किच्छा के लॉट नं0 2 कोटखर्रा, शान्तिपुरी नं0 4, गौला नदी	5.00	165000	शासनादेश संख्या 290/VII-A 1/2021–53ख/2018, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021	दिनांक 29.08.2018 से 28.08.2023 तक।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

40	श्री पुनीत कुमार गोयल	जनपद उधमसिंहनगर तह0 सितारगंज के ग्राम साधुनगर, कैलाश नदी	5.926	88890	शासनादेश संख्या 232/VII-A 1/2021–48ख/18, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021	दिनांक 29.08.2018 से 28.08.2023 तक।
जनपद उत्तरकाशी						
41	श्री हरीश सजवान	जनपद उत्तरकाशी तहसील डुण्डा के ग्राम मातली–3	1.085	9550	शासनादेश संख्या 1177/VII-1/2019/22ख/18, दिनांक 27 मई, 2019	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023
42	श्री लक्ष्मण सिंह परमार	जनपद उत्तरकाशी तहसील डुण्डा के ग्राम अस्तल–2	0.40	7920	शासनादेश संख्या 95/VII-A-1/2020/25ख/18, दिनांक 06 फरवरी, 2020	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023
43	श्रीमती भागदेई गंगाडी	जनपद उत्तरकाशी तहसील डुण्डा के ग्राम मातली–1	0.3910	7742	शासनादेश संख्या 2700/VII-A 1/2019/31ख/18, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019	दिनांक 03.05.2019 से 04.06.2023
44	श्री महादेव सिंह गंगारी	जनपद उत्तरकाशी तह0 डुण्डा के ग्राम मातली–2	0.270	3564	शासनादेश संख्या 1992/VII-A-1/2019/32ख/18, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019	दिनांक 05.06.2018 से 04.06.2023
45	श्री संदीप असवाल	जनपद उत्तरकाशी तहसील बडकोट के ग्राम बगासू	0.401	11000	शासनादेश संख्या 47/VII-A 1/2020/13ख/18, 30 जनवरी, 2020	दिनांक 17.05.2018 से 16.05.2023
46	श्री दिनेश नेगी	जनपद उत्तरकाशी तहसील बडकोट के ग्राम सुनारा	0.971	16055	शासनादेश संख्या 908/VII-A 1/2020/43ख/18, दिनांक 22 जुलाई, 2020	दिनांक 09.07.2018 से 08.07.2023
47	श्री कनकपाल सिंह परमार	जनपद उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा के ग्राम रनाडी	0.400	7920	शासनादेश संख्या 293/VII-A 1/2021/30ख/18, दिनांक 23 जून, 2021	दिनांक 07.06.2018 से 06.06.2023
जनपद पिथौरागढ़						
48	श्री अभिषेक रावत	जनपद एवं तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम जमराडी रनतदा	0.482	9009	शासनादेश संख्या 596/VII-A 1/2020/20ख/2018, दिनांक 01 जून, 2020	दिनांक 10.07.2018 से 09.07.2023
49	उत्तराखण्ड श्रम संविदा सहकारी	जनपद एवं तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम माजरी काण्डा	0.546	6300	शासनादेश संख्या 1135/VII-A 1/2020/15ख/18, दिनांक 25 सितम्बर, 2020	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

	समिति					
50	श्री विजेन्द्र सिंह	जनपद एवं तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम माजरी काण्डा,	0.488	7425	शासनादेश संख्या 1134/VII-A 1/2020/18ख/18, दिनांक 25 सितम्बर, 2020	दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2023
51	श्री पवन सिंह माहरा	जनपद एवं तहसील पिथौरागढ के ग्राम जमराडी तोक फान्दता	0.255	2500	शासनादेश संख्या 2750/VII-A 1/20/23ख/2018, दिनांक 10 फरवरी, 2020	दिनांक 10.07.2018 से 09.07.2023
52	श्रीमती दीपा देवी	जनपद एवं पिथौरागढ़ के ग्राम राडी खूटी (1)	3.24	41580	शासनादेश संख्या 2191/VII-A 1/2021–51ख/2018, दिनांक 05 जनवरी, 2022	दिनांक 29.08.2018 से 28.08.2023 तक।
53	श्री के0एन0 पाण्डेय	जनपद एवं तहसील पिथौरागढ के ग्राम कानडी	4.099	6187	शासनादेश संख्या 2192/VII-A 1/2021–09ख/2018, दिनांक 06 जनवरी, 2022	दिनांक 11.07.2018 से 10.07.2023 तक।
जनपद चमोली						
54	श्री बीरेन्द्र सिंह	जनपद चमोली की तहसील थराली के ग्राम जौला (ऊणीबगड)	0.375	10313	शासनादेश संख्या 2682/VII-1/2019/02(113)/2018, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019	दिनांक 20.12.2018 से 19.12.2023
जनपद नैनीताल						
55	श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर	जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भौंसा	6.00	132000	शासनादेश संख्या 28/VII-A-1/2020/6ख/18, दिनांक 30 जनवरी, 2020	दिनांक 15.05.2018 से 14.05.2023
	योग :–		**100.53**	**2223038.00**		

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद देहरादून के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	स्वीकृत क्षेत्र तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	स्वीकृत अवधि (कब से कब तक)
1	2	3	4	5	6
1	श्री जनक सिंह रावत पुत्र री सुन्दर सिंह रावत, विकासनगर, देहरादून।	ग्राम नवाबगढ, तहसील विकासनगर	1.76	34444.20	13.10.2020 से 12.10.2025 तक
2	श्री दिनेश प्रसाद सेमवाल पुत्र श्री भगवत प्रसाद, निवासी–मोथरोवाला, जनपद देहरादून।	ग्राम जस्सोवाला विकासनगर, देहरादून।	2.2900	53922	26.05.2022 से 25.05.2027 तक
3	श्री धीरज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री आनन्द सिंह चौहान, निवासी–जी, 290 नेहरू कॉलोनी, देहरादून	ग्राम सहसपुर, विकासनगर, देहरादून।	4.6140	152262	26.05.2022 से 25.05.2027 तक
योग :–			**8.664**	**2,40,628.20**	

जनपद हरिद्वार के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 स0	नाम व पता	स्वीकृत पट्टे का पता	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा(टन में)	संचालन अवधि कब से कब तक
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी–खडीकला, जनपद टिहरी गढवाल।	–	1.537	32883.75	04.01.2021 से 03.01.2026।
	कुल योग :–		**1.537**	**32883.75**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद पिथौरागढ़ के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क.सं.	पट्टाधारक का नाम	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	संचालन अविध कब से कब तक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री निर्मल कुमार लोहिया पुत्र श्री प्रेमराम,निवासी ग्राम व पो0 जाजरदेवल, तहसील व जनपद पिथौरागढ़।	ग्राम डोडा, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़	0.466	9832.50	दिनांक 24.09.2018 से 23.09.2023 तक।
योग			**0.466**	**9832.50**	

जनपद रूद्रप्रयाग के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	स्वीकृत स्थल तहसील ग्राम	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	स्वीकृत अवधि (कब से कब तक)
1	2	3	4	5	6
1	श्री महाबीर सिंह पुत्र श्री राय सिंह, ग्राम करोखी, तहसील ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग।	गवनीगांव	1.29	21301.5	02.12.2019 से 01.12.2024 तक।
योग			1.29	21301.5	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद उत्तरकाशी के निजी नाप/वन भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	स्वीकृत स्थल का विवरण	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	स्वीकृत अवधि (कब से कब तक)
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेन्द्र पंवार ग्राम हिटारा, तहसील चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी	ग्राम हिटारा, तहसील चिन्यालीसौड में टी0एच0डी0सी0 के क्षेत्रान्तर्गत भागीरथी नदी तल	0.3105	23463.00	दिनांक 06.10.2018 से 05.10.2023 तक
2	वरिष्ठ अपर महाप्रबन्धनक, एस0जे0वी0एन0एल0 उत्तरकाशी।	तहसील मोरी के देवता रैंज भासला कक्ष संख्या 1, 2 व 3 (आरक्षित वन भूमि)	1.75	57915	दिनांक 31.12.2019 से 30.12.2024 तक
3	वरिष्ठ अपर महाप्रबन्धनक, एस0जे0वी0एन0एल0 उत्तरकाशी।	तहसील मोरी के देवता रैंज भासला कक्ष संख्या 15, 16 (आरक्षित वन भूमि)	1.75	53460.00	दिनांक 05.01.2021 से 04.01.2026 तक
योग			**3.8105**	**1,34,838**	

जनपद टिहरी गढ़वाल के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	स्वीकृत स्थल का विवरण	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	स्वीकृत अवधि (कब से कब तक)
1	2	3	4	5	6
1	श्री मस्तान सिंह पंवार पुत्र श्री स्व0 श्री केशर सिंह, निवासी–ग्राम कैलाश गेट, मुनिकीरेती	ग्राम मैदार, तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।	1.49	38926	दिनांक 15.09.2018 से 14.09.2023 तक
2	मै0 किलकिलेश्वर माईनिंग कम्पनी द्वारा पार्टनगर सत्ये सिंह राणा, निवासी–कैलाशगेट, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल।	ग्राम नैथाणा, तहसील कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल।	9.60	211680	दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2023 तक।
3	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री सत्ये सिंह राणा, पार्टनगर सत्ये सिंह राणा, निवासी–कैलाशगेट, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल।	ग्राम रानीहाट, तहसील कीर्तिगनर, टिहरी गढवाल	10.53	232142	दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2023 तक।
योग :–			**21.62**	**482748**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद उधमसिंहनगर के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम	स्वीकृत क्षेत्र/ तहसील	क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)	प्रतिवर्ष निकासी हेतु निर्धारित मात्रा (टन में)	पट्टाविलेख के अनुसार स्वीकृत अवधि कब से कब तक
1	2	3	4	5	6
1	श्री मदन लाल	सुल्तानपुर/ बाजपुर	0.813	26829	दिनांक 22.07.2019 से 21.07.2024
योगः–			**0.813**	**26829**	

जनपद अल्मोडा के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	तहसील	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	स्वीकृत अवधि (कब से कब तक)
1	श्रीमती गीता पाण्डे व श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव, ग्राम व पोस्ट कोशी, तहसील व जिला अल्मोड़ा।	अल्मोड़ा।	0.71	5775	दिनांक 14.06.2019 से 13.06.2024 तक
योग			**0.71**	**5775**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद देहरादून के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	खनन योजना अनुमोदन का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति	स्वीकृति शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड में)
1	देहरादून	यमुना 23/3	3.7047	1347 दिनांक 02 जनवरी, 2015	J-11015/124/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शासनादेश संख्या 1894/VII-A-1/2020–108ख/2015 दिनांक 24.12.2020	1.00	0.70
2		टौस 3/11	11.100	1342 दिनांक 02 जनवरी 2015	J-11015/119/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शासनादेश संख्या 1900/VII-A-1/2020 –114ख/2015 दिनांक 24.12.2020	0.85	0.595
3		टौस 3/14	6.700	3200 दिनांक 03 फरवरी 2015	J-11015/139/2013-IAII(M) dt. 10 Dec 2015	शसनादेश संख्या 1897/VII-A-1/2020–21ख/2016 दिनांक 24.12.2020	0.55	0.38
4		जाखन 13/1	18.000	1349 दिनांक 02 जनवरी 2015	J-11015/132/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शसनादेश संख्या 1890/VII-A-1/2020–106ख/2015 दिनांक 24.122020	1.70	1.19
5		जाखन 13/2	92.652	1348 दिनांक 02. 01.2015	J-11015/138/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	-	7.00	4.90
6		सुद्धोवाला 20/13	2.500	-	152-1(173)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश संख्या 1016/VII-A-1/2021–179(ख)/201, दिनांक 09.12.2021	0.3400	0.23
7		टौस 3/9 आरकेडिया	3.963	-	155-1(174)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश संख्या 1091/VII-A-1/2020–180ख/2013 दिनांक 18.10.2013	0.9600	0.67

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

8	देहरादून	सारना 17/1	51.00		J-1015/91/2013 -IA.II(M) dated 21-02-2017	शासनादेश संख्या 1346/37–ख/2017, दिनांक 16.10.2017	3.500	2.45
9		आसन 14/7	4.00		150-1(175)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश सं0 1107/VII-A-1/2022–182ख/2013, दिनांक 18 अक्टूबर 2022	0.58000	0.40
10		कालीराव 5/1	3.288		146-1(179)/2013 dt. 30-09-2015	शासनादेश संख्या 1160, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021	0.6350	0.30
कुल योगः–			**196.90**				**17.115**	**11.815**

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति	शासनादेश का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड में)
1	टिहरी गढवाल	झोटी	1.550	217-1(202)/2013 dt. 21-10-2015	शासनादेश संख्या 990, दिनांक 11.11.2021	0.44175	0.154
2		जुयालगढ	1.40	444-1(99)/2013 dt. 29-03-2014	शासनादेश संख्या 991, दिनांक 09.12.2021	0.30800	0.107
3		भल्डी	1.181	9-1(8)/2013 dt. 01-06-2013	शासनादेश संख्या 1092, दिनांक 30.12.2022	0.07800	0.027
4		बागवान	5.256	101-1(8)/2013 dt. 01-06-2013	शासनादेश संख्या 106, दिनांक 20.01.2023	0.30000	0.10
5		महेन्द्रपुर	2.406	219-1(200)/2013 dt. 21-10-2013	शासनादेश संख्या 1877, दिनांक 28 नवम्बर, 2022	0.68571	0.24
6		दुबडी	0.165	212-1(235)/2013 dt. 21-10-2013	शासनादेश संख्या 1094, दिनांक 20.01.2023	0.04703	0.016
7		सौन्दाणा	3.624	151-1(176)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश संख्या 1093, दिनांक 20.01.2023	0.30000	0.10
8		श्रीपुर	1.365	216-1(203)/2013 dt. 21-10-2013	शासनादेश संख्या 1089, दिनांक 20.01.2023	0.38903	0.13
योग:–			**9.387**			**2.549**	**0.874**

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति	शासनादेश का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड में)	अभ्युक्ति
1.	उधमसिंहनगर	जनपद उधमसिंहनगर तह0 बाजपुर के ग्राम मढैयागुलजारी	2.69	संख्या 208–1(221)/ 2013 दिनांक 21 अक्टूबर 2013	शासनादेश संख्या 1957/VII-A-1/2020 –259ख/2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	0.887	0.700	संचालित
2.		जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली	5.29	संख्या 22–1(25)/20 13 दिनांक 06 जुलाई, 2013	शासनादेश संख्या 1958/VII-A-1/2020 –19ख/2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	0.312	0.218	संचालित
3		जनपद उधमसिंहनगर ग्राम किच्छा के ग्राम खमिया न–4 (शान्तिपुरी)	1.006	211–1(218)/ 13 दिनांक 21.10.2013	शासनादेश संख्या 1956/VII-A-1/ 2020 –255ख/2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	0.331	0.281	संचालित
योग			8.986			1.53	1.199	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति	शासनादेश का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड में)	अभ्युक्ति
1	नैनीताल	ग्राम भौर्सा	8.00	संख्या 693/(27)/ 2013, दिनांक 30.04.2015	शासनादेश संख्या 1224/VII-A-1/2021 –133 ख/2015 दिनॉक 10 दिसम्बर, 2021	1.620	1.37	संचालित
2		बर्धों	0.320	71–EC–1(35)/2013 , दिनांक 04 अगस्त, 2013	शासनादेश संख्या 1317/VII-A-1/2022 –257ख/2013 दिनॉक 18 अगस्त, 2022	0.24	0.08	संचालित
3		चापड़	5.630	257–01(179)/2021, दिनांक 31.07.2021	शासनादेश संख्या 1545/VII-A-1/2022–141ख/2022, दिनॉक 23.09.2022	0.25	1.548	संचालित
4		अमियां	2.0	19–1(26)/2013 दिनांक 06.07.2013	शासनादेश संख्या 1106/VII-A-1/2022–141ख/2013 दिनॉक 23.09.2022	2.88	1.010	संचालित
योग			**15.95**			**4.99**	**4.008**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति	शासनादेश का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड में)	अभ्युक्ति
1	पिथौरागढ	भनोलीसेरा	0.320	16–01(30)/ 2013, दिनांक 06.07.2013	शासनादेश संख्या 1546/VII-A-1/ 2022–141ख/2022, दिनॉक 23.09.2022	0.24	0.08	संचालित
2	पिथौरागढ	भण्डारी गांव	0.39	258–01(178)/ 2021, दिनांक 31.07.2021	शासनादेश संख्या 1316/VII-A-1/2022 –05(16)/2021 दिनॉक 18 अगस्त, 2022	0.25	1.548	संचालित
योग			**0.71**			**0.49**	**1.628**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति	शासनादेश का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड में)	अभ्युक्ति
1	चम्पावत	द्वियूरी	4.805	331–01 (200)/2021 दिनांक 12 नवम्बर, 2021	शासनादेश संख्या 2089/VII-A-1/ 2021–05(67)/2021 दिनॉक 23 दिसम्बर, 2021	2.88	1.010	संचालित
2		नौलापानी	8.00	694–1/32/2013, दिनांक 30.04.2015	शासनादेश संख्या 1996, दिनांक 20 जनवरी, 2023	2.16	0.75	संचालित
योग			**12.805**			**5.04**	**1.76**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति आदि के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (रू0 करोड में)	अभ्युक्ति
1	नैनीताल	गौला	1497.00	J-11015/ 363 /2009- IA – II(M) dated 13 April 2011	8–61/1999–F C(Pt. IV), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश संख्या 1057/ VII-A-I/2022/11(ख) /2010, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	117	99.45	संचालित
2		नन्धौर–कैलाश नदी	468.00	J-11015/401 /2015-IA-II(M) dated 27-02-2018	8–34/2016–F C, दिनांक 06 सितम्बर, 2017	शासनादेश संख्या 432/ VII-A-1/2023/41ख/ 2017, दिनांक 20 मार्च, 2023 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	46.20	32.34	संचालित
3		कोसी	254.00	J-015/360/2009 -IA-II(M) dated 13 April 2011	8–61/1999–F C(Pt. VI), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश सं0 2170/VII-A-1/2021/21ख/13, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	36.54	29.232	संचालित
4		दाबका	223.00	J-015/359/2009 -IA-II(M) dated 05 April 2011	8–61/1999–F C(Pt. V), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश संख्या 2171/ VII-A-1/21/22 ख/13, दिनांक 03.01.2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	15.28	12.224	
योग :–			**2442.00**				**215.02**	**173.246**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति आदि के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (रू0 करोड में)	अभ्युक्ति
1	हरिद्वार	रवासन–1	99.19	J-015/367/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16/199–FC (PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1656/ VII-A-1/2021/48ख/ 2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	10.903	7.63	संचालित
2	हरिद्वार	रवासन–2	100.59	J-015/372/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16/2000–F C(PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1654/ VII-A-1/2021/51–ख/ 2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	6.962	4.87	संचालित
3	हरिद्वार	कोटावाली	74.67	J-015/374/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16/2000–F C(PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1659/ VII-A-1/2021–48–ख /2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	1.671	1.16	संचालित
कुल योग			**274.45**				**19.536**	**13.66**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉट का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (रू0 करोड में)	अभ्युक्ति
1	चम्पावत	शारदा	384.69	J-11015/362 /2009-IA-II (M) dated 15 April 2011	8–61 / 1999–F C(Pt. VII), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश संख्या 2169 / VII -A-1 / 2021 / 19ख / 2019, दिनांक 23.12.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	21.60	15.12	संचालित
योग :–			**384.69**				**21.60**	**15.12**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद देहरादून के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति आदि के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (रू0 करोड में)	अभ्युक्ति
1	देहरादून	स्वारना	23.75	163–01(140)/2020, दिनांक 25.09.2020	08बी/यू0सी0पी0/05/166/2016/एफ0सी0/1496, दिनांक 08.10.2020	शासनादेश संख्या 1811/2020/5(35)/20 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि	2.160	1.51	26.11.2020 से 25.11.2025 संचालित
2		जाखन–1	195.00	267–01 (154)/2021, दिनांक 12.08.2021	8–62/1999 FC (VOL), दिनांक 20 अक्टूबर, 2021	शासनादेश संख्या 2091/VII-A-1/2021–05(63)/2021, दिनांक 23.12.2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत।	29.685	20.77	दिनांक 23.12.2021 से 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत। संचालित
कुल योग			**218.75**				**31.845**	**22.28**	

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1	चौखुटिया	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ग्राम अगरनौला, पो0 बसभीड़ा	2011	35 टन/घंटा	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1	कपकोट	ईष्ट देव स्टोन क्रेशर द्वारा श्री नवीन परिहार पुत्र श्री खीम सिंह परिहार निवासी पेट्रोल पम्प माल रोड़ ठाकुरद्वारा वार्ड बागेश्वर।	2016	200 टन/दिन	संचालित
2	काफलीगैर	मै0 अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लि0 अल्मोड़ा, ग्राम झिरौली।	2003	270 टन/दिन	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित
3	बागेश्वर	मै0 कालिका स्टोन क्रेशर द्वारा श्री जीवन सिंह खेतवाल, तहसील बागेश्वर।	2005	30 टन/घंटा	संचालित
4	कपकोट	बाराही स्टोन क्रेशर द्वारा श्री रमेश गड़िया, कपकोट	2013	200 टन/दिन	संचालित
5	गरूड़	भ्रामरी स्टोन क्रेशर तहसील गरूड़, बागेश्वर	2022	44 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
6	गरूड़	मै0 माँ भगवती स्टोन क्रेशर, ग्राम जैसर, गागरीगोल, तहसील गरूड़	2022	35 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद चमोली अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1	जोशीमठ	मै0 कुबेर स्टोन क्रेशर द्वारा श्री जगदीश सिह पवार ग्राम पाण्डुकेश्वर, तहसील जोशीमठ।	2015	200 टन/दिन	पोर्टल अपडेट न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित
2		मैसर्स नीलकण्ठ स्टोन क्रेशर द्वारा श्री विश्वेश्वर प्रसाद नैथानी, श्री ओमप्रकाष थपलियाल ग्राम पाण्डुकेश्वर, जोशीमठ।	2018	20 टन/घंटा	संचालित
3		मैसर्स नन्दादेवी स्टोन क्रेशर द्वारा श्री कान्ति प्रसाद थपलियाल ग्राम कुन्दी खोला, तहसील जोषीमठ।	2015	20 टन/घंटा	संचालित
4		मैसर्स विश्णुगाढ स्टोन क्रेशर द्वारा श्री धर्म सिह भण्डारी पुत्र स्व0 इन्द्र सिह भण्डारी ग्राम हेलंग, जोशीमठ।	2016	200 टन/दिन	संचालित
5		मैसर्स जय प्रकाश पावर वैन्चर्स, विश्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, जोशीमठ।	2013	800 टन/दिन	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित
6		मैसर्स रितविक कम्पनी द्वारा मै0 एन0टी0पी0सी0, तपोवन विश्णुगाढ जल विद्युत परियोजना जोशीमठ, तपोवन	2014	200 टन/दिन	वर्ष 2021 मे आयी आपदा के कारण वर्तमान मे क्षतिग्रस्त है।
7		मैसर्स कार्यपालक अभियन्ता, सीमा सडक संगठन, के0ले0नि0वि0, श्रीनगर गढवाल (गोटिंग जोशीमठ)।	2014	100 टन/दिन	वर्तमान मे असंचालित
8		मैसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी, तपोवन, जोशीमठ, चमोली।	2018	75 टन/घंटा	पोर्टल अपडेट न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
9		मैसर्स ऋशिगंगा पावर कारपोरेशन, स्टोन क्रेशर रैणी, जोशीमठ।	2007	10 टन/घंटा	वर्ष 2021 मे आयी आपदा के कारण वर्तमान मे क्षतिग्रस्त है।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

10		मैसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी लि0, ग्राम गुलाबकोटी, पीपलकोटी, जोशीमठ।	2016	600 टन/दिन	पोर्टल अपडेट न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
11	चमोली	मै0 कुंवर स्टोन क्रेशर द्वारा श्री सुरेन्द्र सिह कुवर, ग्राम क्षेत्रपाल, तहसील व जिला चमोली।	2001	200 टन/दिन	संचालित
12		मै0 सिद्दकी स्टोन क्रेशर द्वारा श्री अयाजुद्दीन सिद्दकी ग्राम नन्दप्रयाग (झूलाबगड) चमोली।	2008	200 टन/दिन	संचालित
13		मै0 शाह स्टोन क्रेशर द्वारा श्री प्रमोद कुमार शाह, ग्राम चमतोली (नन्दप्रयाग) चमोली।	2008	200 टन/दिन	संचालित
14		मै0 हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी लि0, ग्राम जैसाल, पीपलकोटी, चमोली।	2016	600 टन/दिन	पोर्टल अपडेट न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
15	कर्णप्रयाग।	मै0 गायत्री स्टोन क्रेशर द्वारा श्री चण्डी प्रसाद चमोली, ग्राम जयकण्डी (लंगासू) तहसील कर्णप्रयाग, चमोली।	2002	200 टन/दिन	संचालित
16		मै0 न्यू ईरा आर्किटेक्चरल इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रीमती कमला भट्ट, ग्राम अपर बाजार कर्णप्रयाग।	1991	200 टन/दिन	संचालित
17	थराली।	मै0 अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी द्वारा श्री सुनीत मेहरोत्रा, थराली।	2016	20 टन/घंटा	संचालित
18	पोखरी	मैसर्स भण्डारी स्टोन क्रेशर द्वारा श्री मनोज भण्डारी ग्राम आलीषाल तहसील पोखरी, चमोली।	2009	200 टन/दिन	संचालित
19	घाट	मैसर्स नन्दा स्टोन क्रेशर द्वारा श्री बिजेन्द्र सिह रावत, ग्राम लांखी, घिंघरांण, घाट।	2016	200 टन/दिन	संचालित
20	थराली	मैसर्स पिण्डर वैली स्टोन क्रेशर द्वारा श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गोपाल दत्त पाण्डेय निवासी मंगलसेरा, तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर व श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री चण्डी प्रसाद निवासी ग्राम अट्टू, पो0 देवाल, तहसील थराली, जिला चमोली।	नवम्बर 2021	20 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
21	चमोली	मै0 ओम सांई एसोसिएट द्वारा श्री गोविन्द प्रसाद एवं श्रीमती मोनिका डंगवाल, म्होब्बेवाला, देहरादून।	2022	20 टन प्रति घंटा	संचालित
22	चमोली	प्रकाश बर्त्वाल पुत्र स्व0 जोत सिंह बर्त्वाल, नि0 ग्राम चटोली, रा0उ0नि0 सैकोट, तहसील व जनपद चमोली	2023	20 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड

जनपद चम्पावत अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1.	**टनकपुर (पूर्णागिरी)**	**मैसर्स कुमाऊँ स्टोन क्रेशर, ओल्ड बैराज रोड टनकपुर**	1991	**100 टन प्रतिदिन**	**संचालित**
2.	**टनकपुर (पूर्णागिरी)**	**मैसर्स शारदा स्टोन क्रेशर, ओल्ड बैराज रोड टनकपुर**	1997	**100 टन प्रतिदिन**	**संचालित**
3.	**चम्पावत**	**मैसर्स शोहम इनोवेटिव बैंचर्स चत्थी चम्पावत**	2002	**200 टन प्रतिदिन**	**संचालित**
4.	**चम्पावत**	**मैसर्स माँ पूर्णागिरी स्टोन क्रेशर, ग्राम डोला**	2014	**25 टन प्रति घंटा**	**संचालित**
5.	पूर्णागिरी (टनकपुर)	मैसर्स भरत कन्सट्रक्शन लोहिया हेड रोड़ अमाऊँ, जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम नौलापानी, तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर)	2021	**50 टन प्रति घंटा**	**संचालित**
6.	चम्पावत	मैसर्स अम्बिका स्टोन क्रेशर, सत्यलोक कालोनी, रणवीर गार्डन, ग्राम डहरिया, मुखानी, जनपद नैनीताल के द्वारा ग्राम दियूरी, तहसील व जनपद चम्पावत	2021	**32 टन प्रति घंटा**	**संचालित**
7.	चम्पावत	मै0 महादेव स्टोन क्रेशर (पार्टनर श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री आर0डी0 जोशी एवं श्री पुष्कर चन्द्र पाठक पुत्र श्री आर0डी0 पाठक) निवासी हाउस नं0–71, पालम सिटी, रामपुर रोड़, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम मोस्टा, तहसील एवं जनपद चम्पावत के क्षेत्रान्तर्गत	2022	**100 टन प्रति घंटा**	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद देहरादून अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1.	कालसी ग्राम बसान	श्री गम्भीर सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम बसान पो0 कालसी, जनपद देहरादून।	वर्ष 2015	100 टन/घंटा	संचालित
2.	कालसी ग्राम बसान	सूर्या स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री अवनीश कुमार पुत्र श्री विनेश कुमार निवासी 785/303 आदर्श कालोनी, सुभाष नगर देहरादून।	वर्ष 2018	100 टन/घंटा	संचालित
3.	विकासनगर	मै0 देवभूमि स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री पंकज कुमार, श्री रमेश कुमार पत्राचार पता कालेज रोड़, वार्ड नं0–08 पहाड़ी गली, तहसील विकासनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
4.	विकासनगर	मै0 उत्तरांचल स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0, पार्टनर श्री पंकज कुमार, श्री दिव्यम गर्ग, श्री अरविन्द जैन व श्री मौ0 खालिद, पत्राचार पता कालेज रोड़, पहाड़ी गली, तहसील विकासनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
5.	विकासनगर	मै0 यमुना स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री पंकज कुमार, श्री रमेश कुमार, पत्राचार पता कॉलेज रोड़, वार्ड नम्बर 08, पहाड़ी गली, तहसील विकासनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
6.	विकासनगर	मै0 यमुना स्टोन क्रेशर द्वितीय पार्टनर श्री पंकज कुमार, श्री रमेश कुमार, पत्राचार पता कॉलेज रोड़, वार्ड नम्बर 08, पहाड़ी गली, तहसील विकासनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
7.	विकासनगर	मै0 सांई चेस्टा इण्टरप्राईजेज एल0एल0पी0 प्रो0 श्री नाथीराम राणा, श्री जितेन्द्र कुमार डींगरा, पहाड़ी गली, ग्राम ढकरानी, विकासनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

8.	विकासनगर	मै0 श्री यमुना एसोसिएट एल0एल0पी0 पार्टनर श्री नाथीराम राणा व श्री नफीस अहमद, ग्राम तिमली, तहसील विकासनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
9.	विकासनगर	एन0एस0 डेवलपर्स प्रो0 श्री नदीम अहमद खान एवं श्री सचिन चौधरी, नि0 नियर रोहन मोटर्स वर्कशॉप, देहरादून	2022	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
10.	विकासनगर	बालाजी स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री दलीप कुमार व अन्य ग्राम बालूवाला, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून	2022	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
11.	विकासनगर	मॉ बाला सुन्दरी स्टोन क्रेशर, तहसील विकासनगर, ग्राम अब्दुल्लापुर, जनपद देहरादून।	2022	100 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
12.	विकासनगर	श्री गणपति स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकरानी, तहसील विकासनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
13.	विकासनगर	ए0आर0के0 एसोसिएट, ग्राम अब्दुल्लापुर राजावला, तहसील विकासनगर	2022	100 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
14.	विकासनगर	मै0 सत्यम शिवम सुन्दरम स्टोन क्रेशर पार्ट–2, श्री रैपाल सिंह बिष्ट, श्री विकास सिंह बिष्ट व अन्य	2023	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

15.	विकासनगर	गंगा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री अनूप सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह, पता फ्लेट संख्या बी–03, ग्लैक्सी अपार्टमेन्ट, माउन्ट बी0 कालोनी, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून	2023	100 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
16.	विकासनगर	मै0 पछुवादून स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री सिकन्दर सिंह, श्री सतीश अग्रवाल एवं दिलशाद अली, निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर सहसपुर, विकासनगर, जिला देहरादून के पक्ष मे ग्राम अब्दुल्लापुर, तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत।	2023	200 टन प्रति घंटा	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
		स्क्रीनिंग प्लांट्स			
17.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 हिमालयन स्क्रीनिंग प्रो0 हरभजन सिंह डोईवाल तहसील ऋषिकेश।	वर्ष 2015	200 टनप्रतिदिन	संचालित
18.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 बालाजी ऐसोसिएट्स फतेहपुर टांडा डोईवाला, देहरादून	वर्ष 2015	300 टन प्रतिदिन	संचालित
19.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 गौरव स्क्रीनिंग प्लान्ट प्रो0 श्री अनिल भाटी पुत्र स्व0 श्री महाराज भाटी, निवासी 121 नेचरविला लालतप्पड़, माजरीग्रान्ट, देहरादून।	वर्ष 2018	80 टन प्रति घंटा	संचालित
20.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	गोयल एसोसियेट्स पार्टनर श्री दीपक गुप्ता, निवासी प्रेमनगर, डोईवाला, देहरादून।	वर्ष 2017	50 टन प्रति घंटा	संचालित
21.	ग्राम बक्सरवाल तहसील डोईवाला।	मै0 सूर्या स्क्रीनिंग प्लान्ट बक्सरवाला भानियावाला, देहरादून	वर्ष 2018	100 टन प्रति घंटा	संचालित
22.	ग्राम संगतियावाला (कान्हरवाला) तहसील डोईवाला।	श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री होशियार सिंह नेगी, ग्राम संगतियावाला कान्हरवाला, डोईवाला, देहरादून।	वर्ष 2018	150 टन प्रतिघंटा	संचालित
23.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 ओम स्क्रीनिंग प्लान्ट पार्टनर श्री दीपक गुप्ता, कान्हारवाला, भानियावाला, डोईवाला।	वर्ष 2017	75 टन प्रति घंटा	संचालित
24.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	हिमालय स्क्रीनिंग प्लान्ट प्रो0 रामलाल कोठारी, निवासी डोईवाला, देहरादून	वर्ष 2018	100 टन प्रति घंटा	संचालित
25.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 सैण्ड एन स्टोन प्रो0 गुरनाम सिंह	वर्ष 2018	65 टन प्रति घंटा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

26.	ग्राम मारखमग्रान्ट परगना परवादून तहसील डोईवाला	मै0 अब्दुल हमीद विकास बिष्ट ग्राम मारखमग्रान्ट परगना परवादून तहसील डोईवाल जिला देहरादून।	वर्ष 2018	50 टन प्रति घण्टा	संचालित
27.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	दून माईन्स एण्ड मिनरल डोईवाला	वर्ष 2018	70 टन प्रति घण्टा	ई–रवन्ना पोर्टल जनरेट न के कारण वर्तमान मे असंचालित।
28.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	श्रीराम एसोसियेट्स पार्टनर श्री गुरेन्द्र सिंह आदि, निवासी सी0–26 सैक्टर–1, डिफेन्स कालोनी, देहरादून।	वर्ष 2019	100 टन प्रति घण्टा।	संचालित
29.	ग्राम भंगलाना बडोवाला तहसील डोईवाला ।	मै0 शम्भू प्रसाद ट्रेडिंग कम्पनी प्रो0 शम्भू प्रसाद कण्डवाला, एच0एन0 613/2 डब्लू एन0 5 तहसील डोईवाला, देहरादून।	वर्ष 2019	20 टन प्रति घंटा	ई–रवन्ना पोर्टल जनरेट न के कारण वर्तमान मे असंचालित।
30.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	श्री योगराज सैनी, निवासी ग्राम व पो0 173 भानियावाला, डोईवाला, देहरादून।	वर्ष 2019	60 टन प्रति घंटा	भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
31.	ग्राम रामपुरकलां तहसील विकासनगर	आशीर्वाद इण्टर प्राईजेज एवं स्क्रीनिंग प्लांट, रामपुर कलां तहसील विकासनगर, देहरादून	वर्ष 2016	300 टनप्रतिदिन	संचालित
32.	ग्राम खुशाहलपुर तहसील विकासनगर।	मै0 पदम श्री स्क्रीनिंग एवं ट्रेडिंग कम्पनी, 166, सुन्दरवाला रायपुर देहरादून	वर्ष 2016	200 टन प्रतिदिन	संचालित
33.	ग्राम डाकपत्थर तहसील विकासनगर	श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ढालीपुर विकासनगर	वर्ष 2018	100 टन प्रति घंटा	संचालित
34.	ग्राम जस्सोवाला तहसील विकासनगर।	मै0 पछुवादून स्क्रीनिंग प्लान्ट, जस्सोवाला विकासनगर, देहरादून	वर्ष 2015	100टन प्रति घण्टा	प्लांट अवधि समाप्त तथा नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
35.	ग्राम अब्दुल्लापुर तहसील विकासनगर।	मै0 सांई स्क्रीनिंग प्लान्ट	वर्ष 2016	100 टन प्रति घंटा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

36.	ग्राम जस्सोवाला तहसील विकासनगर।	मै0 आयुषि ट्रेडर्स प्रो0 कर्मवीर सिंह पुत्र श्री प्रीत सिंह, निवासी ग्राम मडलौडा, तहसील मडलौडा, जिला पानीपत, हरियाणा, हाल निवास 10 अनन्य विहार, सेवलाकला देहरादून।	वर्ष 2019	75 टन प्रति घंटा	संचालित
37.	ग्राम कैंचीवाला अटकफार्म तहसील विकासनगर।	मै0 लक्ष्मी स्क्रीनर्स पार्टनर श्री मुकुल अग्रवाल 68 बी राजपुर	वर्ष 2019	100 टन प्रति घंटा	अवैध भण्डारण किये जाने पर पोर्टल आई0डी0 suspend होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1	हरिद्वार	बाण गंगा स्टोन केशर, भोगपुर	1994	200 टन प्रति दिन	संचालित
2	हरिद्वार	मै0 शिवालिक स्टोन केशर भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व	200 टन प्रति दिन	संचालित
3	हरिद्वार	श्री गणेश स्टोन केशर, भोगपुर	2007	600 टन प्रतिदिन	संचालित
4	हरिद्वार	मै0 शिवा स्टोन केशर, भोगपुर	2008	400 टन प्रति दिन	संचालित
5	हरिद्वार	मै0 गौमुख स्टोन केशर विशनपुर झरड़ा	वर्ष 2013 से पूर्व	100 टन प्रति घंटा	संचालित
6	हरिद्वार	मै0 महाराजा स्टोन केशर, फेरूपुर रामखेड़ा	2008	350 टन प्रति दिन	संचालित
7	हरिद्वार	मै0 महालक्ष्मी ग्रमोद्योग संस्थान, चॉदपुर	2003	200 टन प्रतिदिन	संचालित
8	हरिद्वार	मै0 शिव शक्ति स्टोन केशर, कटारपुर, हरिद्वार	2003	200 टन प्रतिदिन	संचालित
9	हरिद्वार	मै0 श्री कृष्णा ग्रिट उद्योग, भोगपुर	2010	400 टन प्रतिदिन	संचालित
10	हरिद्वार	मै0 तिरूपति स्टोन केशर, भोगपुर	2000	200 टन प्रति दिन	संचालित
11	हरिद्वार	मै0 ए0पी0 एशोसिएट, सजनपुर पीली, हरिद्वार	2009	800 टन प्रतिदिन	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

12	हरिद्वार	मै0 लक्ष्मी स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, पथरी	1994	300 टन प्रति दिन	संचालित
13	हरिद्वार	श्री शिव स्टोन क्रेशर भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व	200 टन प्रतिदिन	संचालित
14	हरिद्वार	मै0 जयदुर्गे स्टोन क्रेशर, इब्राहिमपुर	1990	200 टन प्रति दिन	संचालित
15	हरिद्वार	मै0 ऋषभ स्टोन क्रेशर, इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार)	वर्ष 2013 से पूर्व वर्तमान में बंद हैं	100 टन प्रतिदिन	संचालित
16	हरिद्वार	मै0 शिव स्टोन क्रेशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2007	200 टन प्रतिदिन	संचालित
17	हरिद्वार	मै0 विजय लक्ष्मी स्टोन क्रेशर भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व	100 टन प्रतिदिन	संचालित
18	हरिद्वार	मै0 संगीता ग्रामोद्योग संस्थान इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार)	वर्ष 2013 से	100 टन प्रतिदिन	संचालित
19	हरिद्वार	मै0 शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2003	200 टन प्रति घंटा	संचालित
20	हरिद्वार	मै0 कमल स्टोन क्रेशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2008	200 टन/दिन	संचालित
21	हरिद्वार	मै0 सांईसा स्टोन क्रेशर, बिशनपुर	2006	200 टन/दिन	संचालित
22	हरिद्वार	मै0 महावीर स्टोन क्रेशर इब्राहिमपुर	1993	300 टन प्रति दिन	संचालित
23	हरिद्वार	मै0 नीरज स्टोन क्रेशर, रानीपुर झाल	1996	200 टन प्रति दिन	संचालित
24	हरिद्वार	मै0 श्री गंगा स्टोन क्रेशिंग कम्पनी इब्राहिमपुर	1990	200 टन प्रति दिन	संचालित
25	हरिद्वार	मै0 श्री राम स्टोन क्रेशर इब्राहिमपुर	1994	200 टन प्रतिदिन	संचालित
26	हरिद्वार	मै0 श्री ओम केलावीर स्टोन क्रेशरसजनपुर पीली (तहसील हरिद्वार)	वर्ष 2013 से पूर्व	200 टन प्रतिदिन	पोर्टल अपडेट न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
27	हरिद्वार	मै0 वर्धमान स्टोन क्रेशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2003	200 टन प्रतिदिन	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

28	हरिद्वार	मै0 शुभम् स्टोन केशर, इब्राहिमपुर	वर्ष 2013 से पूर्व	320 टन प्रतिदिन	
29	हरिद्वार	मै0 श्री इण्डस्ट्रीज (स्टोन केशर), भोगपुर	1992	100 टन प्रति दिन	संचालित
30	हरिद्वार	श्री दुर्गा स्टोन केशर भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व	200 टन प्रति दिन	संचालित
31	हरिद्वार	स्वंतत्र स्टोन केशर, भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व	200 टन प्रतिदिन	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
32	हरिद्वार	श्री बाला जी स्टोन केशर, भोगपुर	2014	200 टन प्रतिदिन	संचालित
33	हरिद्वार	मै0 इन्डेवर स्टोन केशर, सजनपुर पीली,	2013	300 टन प्रतिदिन	संचालित
34	हरिद्वार	श्री जी स्टोन केशर, भोगपुर	2013	200 टन प्रतिदिन	संचालित
35	हरिद्वार	दक्षमेश स्टोन केशर, भोगपुर	2014	200 टन प्रतिदिन	संचालित
36	हरिद्वार	मै0 नटराज स्टोन इण्डस्ट्रीज बिशनपुर	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
37	हरिद्वार	मै0 श्री लक्ष्मी नारायण स्टोन केशर, शाहपुर शीतलाखेडा	2013	200 टन प्रतिदिन	संचालित
38	हरिद्वार	मै0 सेन्चुरी पार्क स्टोन केशर भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार (तहसील हरिद्वार)	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
39	हरिद्वार	मै0 तेजस स्टोन केशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2014	200 टन प्रतिदिन	संचालित
40	हरिद्वार	मै0 एस0आर0 स्टोन केशर बिशनपुर झरडा तहसील व जिला हरिद्वार	2015	500 टन प्रतिदिन	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

41	हरिद्वार	मै0 कुमार स्टोन क्रेशर, हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानीमजरा	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
42	हरिद्वार	मै0 श्री सॉई स्टोन इण्डस्ट्रीज, कटारपुर	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
43	हरिद्वार	मै0 माँ गंगा स्टोन क्रेशर, बाडीटीप	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
44	हरिद्वार	मै0 श्री राम स्टोन केशर, (इंडिया) शाहपुर शीतलाखेडा	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
45	हरिद्वार	मै0 सिद्वि विनायक माईन एंड निरल्स, भोगपुर	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
46	हरिद्वार	मै0 आर0 के0 त्यागी एंड कम्पनी, भोगपुर।	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
47	हरिद्वार	मै0 महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर, भोगपुर	2015	200 टन प्रति दिन	संचालित
48	हरिद्वार	मै0 शिव गंगा स्टोन क्रेशर भोगपुर	2016	200 टन प्रतिदिन	संचालित
49	हरिद्वार	मै0 एस0एस0 स्टोन केशर ग्राम बाडीटीप	2016	200 टन प्रति घन्टा	संचालित
50	हरिद्वार	मै0 श्री कृष्णा स्टोन केशर ग्राम भोगपुर	2016	50 टन प्रतिघन्टा	संचालित
51	हरिद्वार	मै0 श्री हिमगंगे स्टोन केशर ग्राम भोगपुर	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

52	हरिद्वार	मै0 महादेव माईन एण्ड मिनरल स्टोन केशर ग्राम भोगपुर	2016	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
53	हरिद्वार	मै0 एस0 जे0 स्टोन केशर ग्राम शाहपुर शीतलाखेडा	2016	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
54	हरिद्वार	मैसर्स एस0ए0रावत स्टोन केशर, ग्राम दादूबांस,	2017	100 टन प्रतिघन्टा	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
55	हरिद्वार	मैसर्स मॉ वैष्णों स्टोन भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
56	हरिद्वार	मै0 गंगा स्टोन केशर, ग्राम चांदपुर तहसील व जिला हरिद्वार	2019	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
57	हरिद्वार	मै0 अवनि स्टोन केशर ग्राम बाडीटीप	2016	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
58	हरिद्वार	मै0 अलकनन्दा स्टोन केशर ग्राम बाडीटीप तहसील व जिला हरिद्वार	2019	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
59	हरिद्वार	मै0 पाल स्टोन क्रेशर, ग्राम फेरूपुर रामखेड़ा	2018	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
60	हरिद्वार	मै0 महादेव गगे स्टोन क्रेशर, ग्राम भोगपुर	2018	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
61	हरिद्वार	मै0 पृथ्वी स्टोन केशर ग्राम भोगपुर(तहसील हरिद्वार)	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
62	हरिद्वार	दशमेश स्टोन केशर, ग्राम समसपुर कटेवड, ता0 व जिला हरिद्वार	2018	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
63	हरिद्वार	मै0 स्टार पोली इन्डस्ट्रीज शाखा शिव ग्रिट उद्योग स्टोन केशर ग्राम फेरूपुर रामखेडा (तहसील हरिद्वार)	2016	200 टन प्रतिघन्टा	संचालित
64	हरिद्वार	मैसर्स हरि का द्वार स्टोन केशर, सजनपुर पीली, हरिद्वार	**प्लांट स्थापित नही।**	200 टन प्रतिदिन	**प्लांट स्थापित नही।**
65	हरिद्वार	मै0 बजीर स्टोन क्रेशर ग्राम भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार	2018	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

66	हरिद्वार	मै0 हरिद्वार स्टोन क्रेशर, ग्राम भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार	2018	150 टन प्रतिघन्टा	संचालित
67	हरिद्वार	मै0 कृष्णा स्क्रीनिंग प्लान्ट ग्राम बिशनपुर झरडा त0 व जिला हरिद्वार (स्क्रीनिंग प्लांट)	2018	50 टन प्रतिघंटा	संचालित
68	हरिद्वार	मै0 चौधरी इन्टर प्राइजेज स्क्रीनिंग प्लान्ट ग्राम भोगपुर जिला हरिद्वार (स्क्रीनिंग प्लांट)	2018	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
69	हरिद्वार	मै0 बाबा केदार स्क्रीनिंग प्लान्ट ग्राम समसपुर कटेवड त0 व जिला हरिद्वार (स्क्रीनिंग प्लांट)	2018	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
70	हरिद्वार	शुभम स्क्रीनिंग प्लांट, ग्राम गौन्डीखाता (स्क्रीनिंग प्लांट)	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
71	हरिद्वार	मै0 ओम साईं राम स्क्रीनिंग प्लांट, सहदेवपुर, हरदेवपुर (स्क्रीनिंग प्लांट)	2014	200 टन प्रतिदिन	संचालित
72	हरिद्वार	पंजाब स्क्रीनिंग प्लांट, ग्राम बिशनपुर झरड़ा (स्क्रीनिंग प्लांट)	2018	100 टन प्रति घंटा	संचालित
73	हरिद्वार	मै0 गजानन स्क्रीनिंग कम्पनी, समसपुर कटेबड़ (स्क्रीनिंग प्लांट)	2017	100 टन प्रति घंटा	संचालित
74	लक्सर	श्री अमित भारद्वाज स्टोन केशर, भिक्कमपुर जीतपुर,	2014	200 टन प्रतिदिन	संचालित
75	लक्सर	मै0 हाईवे कन्स्ट्रशन एण्ड केशर ग्राम फतवा (तहसील लक्सर)	2016	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
76	लक्सर	मै0 किसान स्टोन केशर ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	2018	150 टन प्रतिघंटा	संचालित
77	लक्सर	मै0 गणपति स्टोन केशर ग्राम जवाहरखान उर्फ झीवरहेडी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	2018	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
78	लक्सर	मै0 सूर्या स्टोन केशर ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा (तहसील लक्सर)	2016	200 टन प्रतिघन्टा	संचालित
79	लक्सर	लिगरा इन्डस्ट्रीज ग्राम भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2016	100 टन प्रतिघण्टा	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

					असंचालित।
80	लक्सर	वानिया स्टोन क्रेशर, ग्राम महतोली।	2018	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
81	भगवानपुर	मै0 राणा स्टोन केशर बंजारेवाला	2004	200 टन प्रति दिन	संचालित
82	भगवानपुर	मै0 हिमालय सोसा0 फार डवलमैंट बंजारेवाला	2003	200 टन प्रतिदिन	पोर्टल अपडेट न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
83	भगवानपुर	मै0 शिव शक्ति गामोधोग संस्थान बंजारेवाला	2002	200 टन प्रति दिन	संचालित
84	भगवानपुर	मै0 गंगोत्री गामोधोग संस्थान शहीदवाला	2003	400 टन प्रतिदिन	संचालित
85	भगवानपुर	गढ़वाल स्टोन क्रेशर, बंजारेवाला	2004	200 टन प्रतिदिन	संचालित
86	भगवानपुर	मै0 एल्टाईका स्टोन क्रेशरबुधवा शहीद	2008	200 टन प्रतिदिन	पोर्टल suspend है, वर्तमान मे असंचालित।
87	भगवानपुर	मै0 दुर्गा ग्रामोधोग संस्थान, बन्जारेवाला	2002	400 टन प्रति दिन	संचालित
88	भगवानपुर	मै0 महाशक्ति ग्रामोधोग संस्थान बंजारेवाला	2003	200 टन प्रति दिन	संचालित
89	भगवानपुर	मै0 फैन्डस कल्याण समिति स्टोन क्रेशरबंजारेवाला	2008	200 टन प्रति दिन	संचालित
90	भगवानपुर	मै0 अमित ग्रमोधोग संस्थान, बन्जारेवाला	2004	200 टन प्रतिदिन	संचालित
91	भगवानपुर	जय भवानी स्टोन केशर, बन्जारेवाला	2013	200 टन प्रतिदिन	संचालित

प्रभारी अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

92	भगवानपुर	मै0 इण्डिया स्टोन केशर, दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद,	2013	200 टन प्रतिदिन	संचालित
93	भगवानपुर	जी नबाज स्टोन केशर, बुधवाशहीद,	2016	200 टन प्रतिदिन	संचालित
94	भगवानपुर	मै0 देव भूमि स्टोन केशर, बन्जारेवाला	2014	200 टन प्रतिदिन	संचालित
95	भगवानपुर	मै0 हरिद्वार ग्रिट स्टोन केशर, शहीदवाला ग्रन्ट	2015	200 टन प्रतिदिन	संचालित
96	भगवानपुर	मै0 खालसा स्टोन केशर, बन्जारेवाला	2016	200 टन प्रतिदिन	संचालित
97	भगवानपुर	मै0 मां भगवती स्टोन केशर, बन्जारे वाला ग्रन्ट	2016	200 टन प्रतिदिन	संचालित
98	भगवानपुर	मै0 आर्या स्टोन केशर ग्राम बन्जारेवाला	2016	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
99	भगवानपुर	मै0 नीलकण्ठ इन्डस्ट्रीज स्टोन केशर ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट	2017	100 टन प्रतिघण्टा	संचालित
100	भगवानपुर	मै0 हार्दिक स्टोन केशर प्रोडक्टस ग्राम दौलतपुर उर्फबुधवा शहीद	2017	100 टन प्रतिघण्टा	संचालित
101	भगवानपुर	मै0 कृष्णा एसोसियेट ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
102	भगवानपुर	मै0 सिद्धान्त क्रेसिंग वर्क्स ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
103	भगवानपुर	मै0 कुबेर कुटिया स्टोन केशर ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
104	भगवानपुर	मै0 राम रहीम स्टोन केशर ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

105	भगवानपुर	मै0 महान स्टोन केशर ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद	2016	200 टन प्रतिघन्टा	संचालित
106	भगवानपुर	मै0 मंगलम स्टोन केशर ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
107	भगवानपुर	मै0 लक्ष्मी स्टोन केशर ग्राम बन्जारेवाला गन्ट	2014	200 टन प्रतिदिन	संचालित
108	भगवानपुर	मैसर्स एवरेस्ट स्टोन केशर, ग्राम बन्जारेवाला	2017	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
109	भगवानपुर	मै0 श्री गणेश स्टोन केशर, शहीदवाला ग्रन्ट तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार	2018	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
110	भगवानपुर	मै0 राज स्टोन क्रेशर दौलतपुर, हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार	2018	100 टन प्रतिघन्टा	संचालित
111	भगवानपुर	मै0 न्यू जय भवानी स्टोन क्रेशर, दौलतपुर, हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद	2019	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
112	भगवानपुर	पियूष शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा, ग्राम बंजारावाला ग्रन्ट	2018	100 टन प्रतिघंटा	संचालित
113	भगवानपुर	मै0 हरि गंगा एसोसिएट्स, ग्राम लामग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	2021	100 टन प्रति घंटा	संचालित
114	हरिद्वार	मै0 अनादित्य स्टोन क्रेशर भागीदार श्री सुनील पवार, श्री रवि कुमार चौहान, श्रीमती मनिका अहलुवालिया, श्री रामकुमार, ग्राम भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार	2022	100 टन प्रति घंटा	संचालित
115	भगवानपुर	मै0 शानेहिन्द स्टोन क्रेशर पार्टनर मै0 शहजाद पुत्र श्री सौकत, नि0 ग्राम सिकरौढ़ा, भगवानपुर	2022	100 टन प्रति घंटा	संचालित
116	हरिद्वार	मै0 गंगोत्री स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, ग्राम हरसीवाला, हरिद्वार	2022	100 टन प्रति घंटा	संचालित
117	हरिद्वार	मै0 शुभ स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री शुभम कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार नि0 ग्राम महतौली, पो0 सुल्तानपुर	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

					वर्तमान मे अंसचालित।
118	हरिद्वार	मै0 माँ शाकुम्भरी स्क्रीनिंग प्लांट ग्राम फेरूपुर रामखेड़ा, तहसील व जिला हरिद्वार **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
119	हरिद्वार	मै0 श्री शनैश्वर स्टोन क्रेशर कम्पनी, प्रो0 श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री महेशचन्द्र शर्मा,	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
120	हरिद्वार	मै0 हरि ओम मिनरलस एण्ड माईन्स, ग्राम बंजारेवाला ग्रान्ट	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
121	हरिद्वार	मै0 दून स्टोन क्रेशर, प्रो0 मोहसीन अहमद, नि0 ग्राम कुड़कावाला, तहसील डाईवाला	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
122	हरिद्वार	मैसर्स यूनिवर्सल स्टोन क्रेशर इण्टरप्राईजेज, ग्राम लालवाला खालसार मजवता, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।	2022	100 टन प्रति घंटा	संचालित
123	हरिद्वार	मैसर्स नारायण स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री छत्रपाल पुत्र श्री लायकराम, नि0 ग्राम हरसीवाला, पो0 बादशाहपुर, तहसील व जिला हरिद्वार के पक्ष मे ग्राम भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत	2023	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
124	लक्सर	मैसर्स तुलसी स्टोन क्रेशर, ग्राम मुज्जफरपुर गुजरा महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के पक्ष मे ग्राम महतौली क्षेत्रान्तर्गत।	2023	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद नैनीताल अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1.	हल्द्वानी	विन्ध्य वासिनी स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, ग्राम हरिपुर, फुटकुऑ, हल्द्वानी	2001	200 टन/घन्टा प्रस्तावित	संचालित
2.	हल्द्वानी	मै0 एल0एस0सी0 इन्फ्राटैक लि0 ग्राम गंगापुर, हल्द्वानी	2015	400 टन/घन्टा	संचालित
3.	हल्द्वानी	जय श्री राम, स्टोन क्रेशर, प्रा0लि0, ग्राम हरिपुर, फुटकुऑ, हल्द्वानी	1999	200 टन/घन्टा	संचालित
4.	हल्द्वानी	जे0पी0स्टोन क्रेशर, ग्राम हरिपुर, फुटकुऑ, हल्द्वानी	2001	300 टन/घन्टा प्रस्तावित	संचालित
5.	हल्द्वानी	के0सी0एस0 इन्फ्राटैक एल0एल0पी0 ग्राम हरिपुर, फुटकुऑ, हल्द्वानी	2001	200 टन/घन्टा प्रस्तावित	संचालित
6.	लालकुआं	**मॉ मिनिरल्स एण्ड रिसोर्सेज पार्टनर ग्राम हल्दूचौड़, हल्द्वानी (स्क्रीनिंग प्लान्ट)**	2019	**28 टन/घन्टा**	वर्तमान मे प्लांट स्थापित नही होने के कारण असंचालित।
7.	हल्द्वानी	महाकाली स्टोन कम्पनी, ग्राम देवलामल्ला, पो0 कुंवरपुर	2005	100 टन/घण्टा प्रस्तावित	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
8.	हल्द्वानी	मै0 महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर, ग्राम गंगापुर घोरगलिया।	2007	200 टन/घंटा प्रस्तावित	संचालित
9.	हल्द्वानी	हिमालया स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम फत्ताबंगर, लालकुऑ, नैनीताल	1985	200 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
10.	हल्द्वानी	हिमालया ग्रिट, ग्राम फत्ताबंगर, लालकुऑ, नैनीताल	1987	200 टन/घण्टा	संचालित
11.	लालकुआं	मै0 सदभाव इंजीनियरिंग लि0, ग्राम पाडलीपुर, लालकुऑ, नैनीताल	2018	100 टन/घण्टा	प्लांट अवधि समाप्त होने तथा परियोजना निर्माण कार्य पूर्ण होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
12.	लालकुआं	मै0 सुभाष स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम बच्चीपुर	2003	150 टन/घण्टा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

		मोटाहल्दू लालकुआँ			
13.	लालकुआं	मै0 बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज, बच्चीपुर मोटा हल्दू लालकुआँ	2013	50 टन/घण्टा	संचालित
14.	लालकुआं	मै0 पाल स्टोन इण्डस्ट्रीज, बमेठाबंगर, लालकुआँ	1989	700 टन/घण्टा	संचालित
15.	लालकुआं	**मै0 आकृति नेचुरल प्रोडक्ट बमेठाबंगर, लालकुआँ (स्क्रीनिंग प्लान्ट)**	2006	**200 टन/घण्टा प्रस्तावित**	संचालित
16.	लालकुआं	मै0 कृष्णा स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुरूफार्म, हल्दूचौड़ लालकुआँ	1986	200 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
17.	लालकुआं	जगदम्बा स्टोन इण्डस्टीज, ग्राम बच्चीपुर मोटाहल्दू, लालकुआँ	1988	200 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
18.	बेतालघाट	बेतालेश्वर स्टोन एण्ड कन्स्ट्रक्शन ग्राम अमेल बेतालघाट, नैनीताल	2018	50 टन/घण्टा	संचालित
19.	बेतालघाट	सांई स्टोन क्रेशर, तल्ला गांव बेतालघाट	2018	100 टन/घण्टा	संचालित
20.	बेतालघाट	श्री बैजनाथ स्टोन क्रेशर तल्लागांव बेतालघाट	2016	50 टन/घण्टा	संचालित
21.	बेतालघाट	मारूती नन्दन शाह स्टोन क्रेशर, तल्लागांव बेतालघाट	2016	300 टन/दिन	वर्तमान मे प्लांट स्थापित नही होने के कारण असंचालित।
22.	बेतालघाट	मै0 बेतालेश्वर महादेव स्टोन क्रेशर, ग्राम सेठी, बेतालघाट	2018	20 टन/घण्टा	संचालित
23.	बेतालघाट	मॉ गिरीजा स्टोन क्रेशर तल्लागांव बेतालघाट	2016	30 टन/घण्टा	संचालित
24.	बेतालघाट	मै0 बाबाजी स्टोन क्रेशर ग्राम अमेल, बेतालघाट	2013	200 टन/दिन	संचालित
25.	बेतालघाट	मै0 मॉ नन्दा स्टोन क्रेशर नैनीचौक बेतालघाट	2015	45 टन/घण्टा	संचालित
26.	रामनगर	न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर कम्पनी, ग्राम शिवलालपुर, रामनगर, ननीताल	1984	100 टन/दिन	संचालित
27.	रामनगर	मै0 अशोका स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, रामनगर	1986	100 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

28.	रामनगर	मै0 महाबली स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, रामनगर, नैनीताल	2015	300 टन/घण्टा	संचालित
29.	रामनगर	मै0 बदेशा स्टोन क्रेशर, ग्राम जीवानन्द, रामनगर नैनीताल	1997	800 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
30.	रामनगर	मै0 प्रकाश स्टोन क्रेशर, ग्राम सोबनपुर रामनगर	2016	300 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
31.	रामनगर	मै0 पन्नु स्टोन क्रेशर, ग्राम सोबनपुर रामनगर	2018	100 टन/घण्टा	संचालित
32.	रामनगर	मै0 श्रीगुरूहर राय स्टोन क्रेशर, सोबनपुर रामनगर	2017	100 टन/घण्टा	संचालित
33.	रामनगर	मै0 मनसा स्टोन क्रेशर, ग्राम सक्खनपुर, रामनगर	2014	100 टन/घण्टा	संचालित
34.	रामनगर	मै0 पुरेवाल स्टोन क्रेशर, ग्राम वीरपुर लच्छी, रामनगर	2013	500 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
35.	रामनगर	मै0 ढिल्लन स्टोन क्रेशर, ग्राम वीरपुरलच्छी रामनगर	2006	500 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
36.	रामनगर	मै0 ए0बी0 कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 रामनगर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2018	100 टन/घण्टा	संचालित
37.	रामनगर	मै0 आर0के0 अग्रवाल, एग्री फार्मा प्रा0लि0 स्टोन क्रेशर, ग्राम सक्खनपुर रामनगर	2018	100 टन/घण्टा	वर्तमान मे प्लांट स्थापित नही होने के कारण असंचालित।
38.	रामनगर	मै0 मनराल एसोशिएट प्रा0लि0, सक्खनपुर रामनगर	2018	100 टन/घण्टा	संचालित
39.	रामनगर	मै0 गुरू स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, जस्सागंधा रामनगर	2016	100 टन/घण्टा	वर्तमान मे प्लांट स्थापित नही होने के कारण असंचालित।
40.	रामनगर	मै0 पृथ्वी स्क्रीनिंग प्लान्ट, ग्राम पापड़ी रामनगर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2019	100 टन/घण्टा	संचालित
41.	लालकुआं	मै0 उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, लालकुआँ	2002	500 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
42.	लालकुआं	मै0 देवभूमि स्टोन क्रेशर, लालकुआँ	2007	100 टन/घण्टा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

				प्रस्तावित	
43.	लालकुआं	मै0 विनोद स्टोन प्रोडक्ट, लालकुआँ	2013	120 टन/घण्टा	संचालित
44.	लालकुआं	मै0 सागर स्टोन क्रेशर, लालकुआँ	2007	200 टन/दिन	संचालित
45.	लालकुआं	मै0 हल्द्वानी स्टोन क्रेशर, लालकुआँ	1986	100 टन/घण्टा प्रस्तावित	संचालित
46.	हल्द्वानी	मै0 लालकुआँ स्टोन क्रेशर, हल्द्वानी	1991	400 टन/घण्टा	संचालित
47.	हल्द्वानी	मै0 गोरा पड़ाव स्टोन कम्पनी, हल्द्वानी (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	1991	100 टन/घण्टा प्रस्तावित	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
48.	रामनगर	मै0 रामनगर नेचुरल स्टोन, प्रो0 श्री चरनजीत सिंह प्लांट, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2021	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
49.	रामनगर	मै0 श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज, होटल कार्बेट प्लाजा, गंगापुर, पहाड़ी पिरूमदारा (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2021	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
50.	हल्द्वानी	श्री भूपेन्द्र सिंह प्रो0 मै0 भाई जी एण्ड कम्पनी, ग्राम हरिपुर फुटकुआँ, पो0 देवलचौड़, तहसील हल्द्वानी। (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2021	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
51.	रामनगर	मै0 कटारिया स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।	2022	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
52.	रामनगर	मै0 एक ओंकार स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम वीरपुर तारा, तहसील रामनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
53.	रामनगर	मै0 संत कबीर स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम मढैया, तहसील रामनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
54.	रामनगर	मै0 पीरूमदारा स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
55.	रामनगर	मै0 गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम पापड़ी,	2022	200 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

		तहसील रामनगर			गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
56.	रामनगर	मै0 केसरी नन्दन मिनरल्स ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2022	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
57.	रामनगर	मै0 पीफाउल स्मार्ट इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0, रामा मन्दिर मार्ग, तहसील रामनगर	2022	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
58.	रामनगर	मै0 नैनी स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, ग्राम मढैया, तहसील रामनगर	2022	300 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
59.	रामनगर	मै0 रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रेशर, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
60.	रामनगर	मै0 कोसी नैचुरल स्क्रीनिंग प्लांट स्टोन क्रेशर, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
61.	काशीपुर	मै0 बाबा गुरूदित्ता स्टोन क्रेशर, प्रो0 सत्यपाल सिंह, ग्राम फसियापुरा, तहसील काशीपुर	2022	200 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
62.	रामनगर	मै0 श्री गणेश मिनरल्स ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2022	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
63.	नैनीताल	मै0 काव्यांजलि ट्रेडर्स, ग्राम अमियॉ तोक नयागांव, पो0 अमृतपुर, तहसील व जिला नैनीताल **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2022	58 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
64.	बेतालघाट	मॉ शीतला ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम खैरनी, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल	2023	100 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद पौड़ी गढ़वाल अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1	पौड़ी	मैसर्स डांडा नागराजा स्टोन क्रेशर ग्राम– कुण्ड पट्टी पू0 मनियारस्यूं तहसील पौड़ी	2008	200 टन/दिन	संचालित
2	पौड़ी	श्री मै0 शिवीन्द्रा इन्टर प्राइजेज ग्राम– रिंगल्टी पट्टी चलणस्यूं तहसील पौड़ी।	2015	20 टन/घंटा	संचालित
3	पौड़ी	जयकृत सिह रावत बेदुलगांव तहसील पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल।	2015	200 टन/दिन	संचालित
4	श्रीनगर	श्री प्रदीप तिवाड़ी पुत्र श्री रमेशचन्द्र तिवाड़ी, ग्राम– धोना लग्गा उफल्डा तहसील श्रीनगर।	2015	20 टन/घंटा	असंचालित।
5	सतपुली	चौहान स्टोन क्रेशर ग्राम– मलेठी तहसील सतपुली जनपद पौड़ी गढ़वाल।	2006	140 टन	संचालित
6	कोटद्वार	मै0 सिद्धबली स्टोन्स भुपदेवपुर हल्दूखाता तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल।	2015	100 टन/घंटा	मा0 न्यायालय द्वारा ज0या0सं0 168/2019 मे दि0 02 जनवरी 2023 को पारित आदेश के अनुपालन मे बन्द।
7	श्रीनगर	श्री दीपक पोखरियाल निवासी– ग्राम पोखरी पट्टी भदूरा तहसील प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल	2021	18 टन/घंटा	संचालित
8	जाखणीखाल	मैसर्स मानव स्टोन क्रेशर, प्रो0 रणधीर सिंह नेगी पुत्र श्री कुंवर सिंह, निवासी मोतीचूर हरिपुर कला, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून के पक्ष मे ग्राम **बिजनी बड़ी पट्टी तल्ला ढांगू–1, तहसील जाखणीखाल अन्तर्गत।**	2021	10 टन/घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
9	श्रीनगर	अलकनन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो0 राजेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री उदय सिंह बिष्ट, निवासी काण्डा लगा, रामपुर पट्टी चलणस्यूं, हाल निवासी श्रीकोट गंगानाली, तहसील श्रीनगर के पक्ष मे **ग्राम काण्डा लगा रामपुर, तहसील श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल अन्तर्गत।**	2021	20 टन प्रति घंटा	प्लांट स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
10	सतपुली	मै0 हिमालयन स्टोन क्रेशर प्रो0 मातबर सिंह नेगी, निवासी–361 वार्ड नं0–1, सर्किट हाउस पौडी गढवाल के पक्ष मे **ग्राम डोवाल पट्टी उ0 मौदडस्यूँ–1, तहसील सतपुली जनपद पौडी गढवाल अन्तर्गत।**	2021	17 टन प्रति घंटा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	असंचालित/असंचालित
1.	पिथौरागढ़	मै0 सन्तुष्टि स्टोन क्रेशर प्रोपराइटर श्री कृष्णबहादुर मल पुत्र श्री देवजंग मल नि0 ग्राम दौली,पट्टी खर्कदौली, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़	2012	200 टन प्रतिदिन	संचालित।
2.	पिथौरागढ़	मै0 कमल जियोटैक सर्विसेज, प्रो0 हरीष चन्द्र जोषी, सिनेमा लाईन पिथौरागढ़ (पूर्व में एम0 जी0 एसोसिएट नाम से स्थापित स्थल)	2016	20 टन प्रति घण्टा	संचालित।
3.	पिथौरागढ़	मॉ गुरना एसोसिएट,प्रो0बसन्त बल्लभ भट्ट पुत्र श्री खीमानन्द भट्ट निवासी गुरना हाल वड्डा टैक्सी स्टैण्ड, निकट इन्द्रा अम्मा भोजनालय, पिथौरागढ़।	2016	20 टन प्रति घण्टा	संचालित।
4.	पिथौरागढ़	मै0मॉ महाकाली,एसोसिएट ग्राउन्ड प्लोन बाईचान्स मॉल देवसिंह ग्राउन्ड के सामने पिथौरागढ़।	2016	20 टन प्रति घण्टा	संचालित।
5.	पिथौरागढ़	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री जगत सिंह रावत,निवासी धारचूला रोड,पिथौरागढ़।	2016	20 टन प्रति घण्टा	संचालित।
6.	पिथौरागढ़	मै0 जगदम्बा स्टोनक्रेषर,प्रो0 श्रीमती कुमुद महर निवासी ग्राम चैसर तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़।	2019	25 टन प्रति घण्टा	संचालित।
7.	धारचूला	मै0 गर्ग एण्ड गर्ग कम्पनी पॉगला तहसील धारचूला,जनपद पिथौरागढ़।	2017	20 टन प्रति घण्टा	प्लांट अवधि समाप्त होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
8.	धारचूला	सेनानी 36 वी0वाहिनी,भा0ति0सी0पुलिस, बाराकोट रोड जिला चम्पावत। (भारत–चाईना सड़क निर्माण कार्य हेतु)	2018	20 टन प्रति घण्टा	संचालित।
9.	डीडीहाट	मैसर्स मॉ त्रिपुरा एसोसिएट प्रो0 श्री हरीश चन्द्र जोशी, श्री रणवीर सिंह, श्री मनोज पाठक, श्री हरीश सिंह व श्री अजय महर, नि0 बाईचान्स मॉल, नियर देव सिंह मैदान, पिथौरागढ़	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
10.	डीडीहाट	मै0 मॉ भगवती इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री मनोज पाठक पुत्र श्री डी0सी0 पाठक, ग्राम भड़कटिया, पिथौरागढ़	2022	100 टन प्रति घटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
11.	डीडीहाट	मै0 डीडीहाट स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0, तहसील डीडीहाट	2022	100 टन प्रति	क्रेशर स्थापना की

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

				घंटा	कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
12.	डीडीहाट	मै0 डीडीहाट स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री नरेन्द्र सिंह देऊपा एवं श्री दीपक चुफाल, ग्राम चौबाटी, तहसील डीडीहाट	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
13.	तेजम	मॉ होकरा स्टोन क्रेशर प्रा0लि0 पार्टनर श्री ठाकुर सिंह गढिया पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह गढिया व श्री पूरन सिंह गढिया पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह गढिया, नि0 हरिपुर पूर्णानन्द, हल्द्वानी नैनीताल	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
14.	पिथौरागढ़	मै0 पंकज सप्लायर्स प्रो0 श्री पंकज जोशी, निवासी चन्द्रभागा, पो0 ऐंचोली, तहसील व जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष मे ग्राम गोगना, तहसील व जिला पिथौरागढ़ अन्तर्गत	2022	25 टन प्रति घंटा	संचालित
15.	गणाई–गंगोली	मैसर्स सेराघाट स्टोन क्रेशर, निवासी शिवपुरी जवाहर ज्योति, दमुवाढुंगा, भोटिया पड़ाव हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम कल्वे फरसोला, तहसील गणाई–गंगोली, जनपद पिथौरागढ़	2023	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद रूद्रप्रयाग अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांटों का विवरण।

क्र0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1	ऊखीमठ	मैसर्स एल0 एण्ड टी0, सिंगोली–भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना, ग्राम बेडूबगड।	–	600 टन/दिन	परियोजना कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप वर्तमान मे असंचालित।
2		मैसर्स शिव गंगा स्टोन क्रेशर, जलई, भीरी, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग।	2016	200 टन/दिन	संचालित।
3		मैसर्स मधुगंगा स्टोन क्रेशर, द्वारा श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कुषाल सिंह, निवासी ग्राम ऊखीमठ।	2015	20 टन/घंटा	संचालित।
4		मैसर्स मॉ राकेश्वरी स्टोन क्रेशर, उद्योग पौण्डार (बिरोली) रूद्रप्रयाग द्वारा श्री बलवन्त सिह रावत निवासी ग्राम तिलवाडा।	2014	20 टन/घंटा	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे अंसचालित।
5	रूद्रप्रयाग।	पुनीता रावत स्टोन क्रेशर, तहसील व जनपद रूद्रप्रयाग।	2015	200 टन/दिन	संचालित।
6		मैसर्स नीलकंठ स्टोन क्रेशर, श्रीमती आरती उनियाल पत्नी श्री शैलेन्द्र निवासी ग्राम गोदमू, जनपद टिहरी गढ़वाल।	2015	200 टन/दिन	संचालित।
7		मैसर्स रूद्रा स्टोन क्रेशर, द्वारा श्री कमलेष भट्ट पुत्र श्री महिमानन्द भट्ट, ग्राम झिरमोली, पटवारी वृत्त पुनाड़, तहसील रूद्रप्रयाग।	2012	200 टन/दिन	संचालित।
8		मैसर्स शिव शक्ति इण्टर प्राइजेज को ग्राम रतूडा पटवारी क्षेत्र रतूडा तहसील रूद्रप्रयाग।	2018	200 टन/दिन	संचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (है0 में)	क्षमता	असंचालित/असंचालित
1	कीर्तिनगर	माँ दुर्गा स्टोन क्रेशर, ग्राम सुपाणा, तहसील कीर्तिनगर।	–	0.608	20 टन/घंटा	संचालित
2	कीर्तिनगर	मै0 भगवती एसोसिएट्स स्टोन क्रेषर, ग्राम सुपाण, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर।	–	0.513	20 टन/घंटा	संचालित
3	कीर्तिनगर	मै0 सागर स्टोन क्रेशर, ग्राम रानीहाट, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर।	–	0.689	20 टन/घंटा	संचालित
4	कीर्तिनगर	मै0 सत्यम शिवम सुन्दरम स्टोन क्रेषर, ग्राम मलेथा, तहसील कीर्तिनगर।	2013	0.638	20 टन/घंटा	संचालित
5	कण्डीसौड़	मै0 भागीरथी स्टोन क्रेशर, ग्राम भल्डियाणा, पट्टी जुवा, तहसील कण्डीसौड	–	0.995	20 टन/घंटा	संचालित
6	कण्डीसौड़	मै0 भागीरथी स्टोन क्रेशर, ग्राम जसपुर चक नागराजाधार, तहसील कण्डीसौड़।	–	0.086	20 टन/घंटा	संचालित
7	कण्डीसौड़	गणपति स्टान क्रेषर, ग्राम कैच्छू, पट्टी जुवा तहसील कण्डीसौड़।	2017	0.649	100 टन/घंटा	संचालित
8	कण्डीसौड	रूद्रा स्टोन क्रेषर, ग्राम कण्डीगाँव, तहसील कण्डीसौड़।		0.429	20 टन/घंटा	संचालित
9	टिहरी	मै0 नेशनल कन्सट्रक्सन स्टोन क्रेशर, ग्राम मक्षोली, कमान्द, तहसील टिहरी।	2018	0.618	20 टन/घंटा	संचालित
10	घनसाली	श्री भरत सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, स्टोन क्रेषर ग्राम रगड़ी–सांकरी, पट्टी भिलंग, तहसील घनसाली।	2016	0.400	20 टन/घंटा	संचालित
11	नैनबाग	शिव स्टोन क्रेशर, ग्राम काण्डी मल्ली, तहसील नैनबाग, टि0ग0।	2011	0.301	20 टन/घंटा	संचालित
12	नैनबाग	श्री चन्द्रवीर सिंह पुण्डीर स्टोन क्रेषर, ग्राम खेड़ा तल्ला, तहसील घनोल्टी।	–	0.815	20 टन/घंटा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

13	घनसाली	मै0 हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी स्टोन क्रेशर, ग्राम देवल, तहसील घनसाली, टि0ग0।	–	0.688	–	फरवरी 2019 से बन्द, वर्तमान मे असंचालित।
14	कीर्तिनगर	मै0 शिव आर्शीवाद स्टोन क्रेशर ग्राम रानीहाट तहसील कीर्तिनगर।	–		–	संचालित
15	प्रतापनगर	विशाला देवी राणा स्टोन क्रेशर, ग्राम ओनालगांव, तहसील प्रतापनगर, टि0ग0।	–		–	संचालित
16	देवप्रयाग	श्री हरीश चन्द्र भट्ट निवासी ग्राम पाली जनपद टिहरी गढ़वाल	2019	0.516	20 टन/घंटा	संचालित
17	कीर्तिनगर	मै0 विजय स्टोन क्रेशर, ग्राम मलेथा, तहसील देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल।	2021	0.582	100 टन प्रति घंटा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद उधमसिंहनगर अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1.	काशीपुर,	मै० सूरज क्रेशर, ग्राम ढकियाकला, तहसील काशीपुर,	08.09.2013	100 टन/घंटा	संचालित
2.	काशीपुर	मै० ब्रुक हिल इण्टर नेशनल, प्रा०लि० ग्राम ढकियाकला तहसील काशीपुर	18.01.2013	140 टन/घंटा	संचालित
3.	काशीपुर	मै० आनन्द स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकियावाला	05.04.2013	100 टन/घंटा	संचालित
4.	काशीपुर	मै० यू०के० स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकियाकला, तहसील काशीपुर	22.01.2014	100 टन/घंटा	संचालित
5.	काशीपुर	मै० मार्डन स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम पच्चावाला, तहसील काशीपुर	20.06.2015	20 टन/घंटा	संचालित
6.	काशीपुर	मै० काशीपुर स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकियावाला, तहसील काशीपुर	30.06.2016	600 टन/घंटा	संचालित
7.	काशीपुर	नेशनल स्टोन क्रेशर, ग्राम जुडका, तहसील काशीपुर	21.12.2016	400 टन/घंटा	संचालित
8.	काशीपुर	मै० मुरलीवाला स्टोन इण्डस्ट्रीज लि०, ग्राम महादेवनगर, तहसील काशीपुर	14.12.2016	100 टन/घंटा	संचालित
9.	काशीपुर	मै० नीलकंठ स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकियाकला, तहसील काशीपुर	02.01.2017	100 टन/घंटा	संचालित
10.	काशीपुर	मै० महाराजा स्टोन क्रेशर, ग्राम जुडका, तहसील काशीपुर	25.05.2018	100 टन/घंटा	संचालित
11.	काशीपुर	मै० महादेव स्टोन क्रेशर, ग्राम दभौरा एहतमाली, तहसील काशीपुर	15.11.2016	20 टन/घंटा	संचालित
12.	काशीपुर	मै० विर्क स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम पच्चावाला **(स्क्रीनिंग प्लान्ट)**	14.05.2018	100 टन/घंटा	संचालित
13.	काशीपुर	मै० माधव मिनरल्स, ग्राम दभौरा, मुस्तहकम, तहसील काशीपुर **(स्क्रीनिंग प्लान्ट)**	09.01.2018	100 टन/ घंटा	संचालित
14.	बाजपुर	मै० बाजपुर स्टोन क्रेशर, ग्राम विक्रमपुर, तहसील बाजपुर	25.02.2009	3500 टन/दिन	संचालित
15.	बाजपुर	मै० हिमालयन बिल्ड स्टोन लि०, ग्राम लधुपुरा, तहसील बाजपुर	26.09.2012	200 टन/घंटा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

16.	बाजपुर	मै० काशी विश्वनाथ स्टोन क्रेशर, ग्राम कल्याणपुर, किशनपुर तहसील बाजपुर	04.01.2017	100 टन/घंटा	संचालित
17.	बाजपुर	मै० जोगीपुरा स्टोन क्रेशर, ग्राम जोगीपुरा, तहसील बाजपुर	21.12.2016	100 टन/घंटा	संचालित
18.	बाजपुर	मै० ओमकार इन्फ्राटेक प्रा०लि०, ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर	15.01.2013	400 टन/घंटा	संचालित
19.	बाजपुर	मै० बांके बिहारी बिल्डकॉन, ग्राम किशनपुर, तहसील बाजपुर	29.11.2016	100 टन/घंटा	संचालित
20.	बाजपुर	मै० एल.एस.सी. इन्फ्राटेक लि०, ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर	05.05.2016	350 टन/घंटा	संचालित
21.	बाजपुर	मै० सिंह मिनरल्स पार्ट–1, ग्राम गजरौला, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	02.01.2017	100 टन/घंटा	संचालित
22.	बाजपुर	मै० सिंह मिनरल्स पार्ट–2, ग्राम गजरौला, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	04.01.2017	100 टन/घंटा	संचालित
23.	बाजपुर	मै० दावका स्टोन क्रेशर, ग्राम गजरौला, तहसील बाजपुर	14.10.2016	200 टन/दिन	संचालित
24.	बाजपुर	मै० शिवा स्टोन क्रेशर, ग्राम बैतखेडी, तहसील बाजपुर	20.07.2018	100 टन/घंटा	संचालित
25.	बाजपुर	मै० लालकुंआ स्टोन क्रेशर, ग्राम किशनपुर, तहसील बाजपुर	11.06.2009	400 टन/ घंटा	संचालित
26.	बाजपुर	मै० बालाजी कान्ट्रेक्टर्स, ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	12.04.2018	100 टन/घंटा	संचालित
27.	बाजपुर	मै० मनन्त स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम केलाबन्दवारी तहसील बाजपुर	30.07.2015	200 टन/दिन	संचालित
28.	बाजपुर	श्रीमती अमरदीप कौर, मै० नानक नैचुरल प्लान्ट, ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	07.07.2009	300 टन प्रतिदिन	संचालित
29.	बाजपुर	मै० राघव नैचुरल एण्ड स्क्रीनिंग प्लान्ट, ग्राम जोगीपुरा, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	05.03.2018	100 टन/घंटा	संचालित
30.	बाजपुर	श्री साहिब जादा बाबा जोरावर सिंह स्टोन क्रेशर, ग्राम इकघरा,	–	1200 टन प्रति	प्लांट स्थापित नही।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

		तहसील बाजपुर		दिन	
31.	बाजपुर	मै० शारदा स्टोन क्रेशर, ग्राम रम्पुरा शाकर, तहसील बाजपुर	27.12.2016	100 टन/घंटा	संचालित
32.	बाजपुर	मै० ढिल्लन मिनरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम बन्दवारी, तहसील बाजपुर	03.01.2017	100 टन/घंटा	संचालित
33.	बाजपुर	मै० गुरू कृपा माईन्स एण्ड क्रेशर प्रा०लि०, जगन्नाथपुर छोई, ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर	02.01.2017	100 टन/घंटा	संचालित
34.	बाजपुर	मै० गुरू स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम कनौरी, जगन्नाथपुर, तहसील बाजपुर	07.11.2013	200 टन/घंटा	संचालित
35.	बाजपुर	मै०बी०बी०एस०बी० स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम कनौरी, तहसील बाजपुर	02.03.2009	3000 टन/दिन	संचालित
36.	बाजपुर	मै० अमृत स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम कनौरी, तहसील बाजपुर	16.12.2013	100 टन/घंटा	संचालित
37.	बाजपुर	मै० राजलक्ष्मी बिल्डकॉन लि०, ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर	02.03.2009	क्षमता अप्राप्त	संचालित
38.	बाजपुर	मै० तराई मिनरल्स ओरस, ग्राम रम्पुरा शाकर, सुल्तानपुर पट्टी, तहसील बाजपुर	29.12.2016	100 टन/घंटा	संचालित
39.	बाजपुर	मै० हरिहर स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम कनौरी, जगन्नाथपुर छोई मार्ग, तहसील बाजपुर	16.01.2013	100 टन/घंटा	संचालित
40.	बाजपुर	मै० कोसी मिनरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम लुधपुरा, तहसील बाजपुर	16.08.2013	100 टन/घंटा	संचालित
41.	बाजपुर	मै० हरिहर स्टोन क्रेशर प्रा०लि० पार्ट–2, ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर	20.12.2016	100 टन/घंटा	संचालित
42.	बाजपुर	मै० पालग्रीडस स्टोन क्रेशर, ग्राम लुधपुर, तहसील बाजपुर	27.12.2016	100 टन/घंटा	संचालित
43.	बाजपुर	मै० आशा स्टोन क्रेशर, ग्राम व तहसील बाजपुर	17.12.2012	100 टन/घंटा	संचालित
44.	बाजपुर	मै० तामेर इन्फास्ट्रक्चर प्रा०लि०, ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर	24.10.2013	500 टन/दिन	नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
45.	बाजपुर	मै० स्वास्तिक स्टोन क्रेशर, ग्राम रम्पुरा, शाकर, तहसील बाजपुर	20.12.2016	100 टन/	प्लांट स्थापित नही।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

				घंटा	
46.	बाजपुर	मै० नैनीताल स्टोन क्रेशर, ग्राम भीकमपुरी, तहसील बाजपुर	22.08.2013	100 टन/घंटा	संचालित
47.	बाजपुर	मै० फतेह स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम बैंतखेडी, तहसील बाजपुर	08.08.2013	100 टन/घंटा	संचालित
48.	बाजपुर	मै० बाबानन्द जी एण्ड एसोसिएट स्टोन क्रेशर, ग्राम इटव्वा, तहसील बाजपुर	02.03.2009	4200 टन /दिन	संचालित
49.	बाजपुर	मै० बाबा स्टोन प्रोडक्ट, ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून पत्र दि0 14.06.2010 के द्वारा सहमति आदेश पत्र दी गयी है।	217 टन/दिन	संचालित
50.	बाजपुर	मै० लाल कुंआ स्टोन क्रेशर, ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर	जि0अ0, ऊधमसिंहनगर द्वारा पत्र सं0 256/सात–स0भू0अ0/2006 दि0 24.01.2006 के द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है।	400 टन/घंटा	संचालित
51.	बाजपुर	मै० ओमकार इन्फाटेक प्रा०लि०, ग्राम इटव्वा, तहसील बाजपुर	15.11.2016	400 टन/घंटा	संचालित
52.	बाजपुर	मै० बाबा श्याम स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम भीकमपुरी, तहसील बाजपुर	जि0अ0, ऊधमसिंहनगर द्वारा पत्र सं0 503/सात–स0भू0अ0/2007 दि0 07.04.2007 के द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है।	2400 टन/दिन	संचालित
53.	बाजपुर	मै० साई बापू जी स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम भीकमपुरी बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर	25.09.2013	200 टन/घंटा	संचालित
54.	बाजपुर	मै० देवभूमि बिल्डर्स एण्ड स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम मुकन्दपुर, तहसील बाजपुर	29.05.2013	100 टन/घंटा	संचालित
55.	बाजपुर	मै० गोविन्द स्टोन क्रेशर, ग्राम नूरपुर, तहसील बाजपुर	21.12.2016	300 टन/घंटा	संचालित
56.	बाजपुर	मै० श्री गणपति स्टोन क्रेशर, ग्राम नूरपुर, तहसील बाजपुर	26.06.2015	800 टन/दिन	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

57.	बाजपुर	मै० एकता स्टोन क्रेशर, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर	07.11.2013	140 टन/घंटा	संचालित
58.	बाजपुर	मै० जय स्टोन क्रेशर, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर	21.12.2016	100 टन/घंटा	संचालित
59.	किच्छा	मै० गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून पत्र दि0 30.08.2005 के द्वारा इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति पत्र जारी किया।	300 टन/घंटा	संचालित
60.	किच्छा	मै० न्यू शुभम स्टोन क्रेशर, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	जि0अ0, ऊधमसिंहनगर द्वारा पत्र सं0 966/सात-स0भू0अ0/2006 दि0 22.06.2006 के द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है।	200 टन/घंटा	संचालित
61.	किच्छा	मै० न्यू तराई स्टोन क्रेशर, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	जि0अ0, ऊधमसिंहनगर द्वारा पत्र सं0 965/सात-स0भू0अ0/2006 दि0 22.06.2006 के द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है।	200 टन/घंटा	संचालित
62.	किच्छा	मै० गोला स्टोन इण्डस्ट्रीज, लि०, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र दि0 31.08.99 के अनुसार उत्पादन तिथि 04.12.98	100 टन/घंटा	संचालित
63.	किच्छा	एल.एस.सी. इन्फ्राटेक लि०, ग्राम अजीतपुर, तहसील किच्छा	11.06.2009	400 टन/घंटा	संचालित
64.	किच्छा	मै० नैनीताल नैचुरल एण्ड एसोसिएट, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	31.05.2018	40 टन/घंटा	संचालित
65.	सितारगंज	मै० भगवती स्टोन इण्डस्ट्रीज ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	जि0अ0, ऊधमसिंहनगर द्वारा पत्र सं0 205/सात-स0भू0अ0/2007 दि0 20.09.2007	200 टन/दिन	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

			के द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है।		
66.	सितारगंज	मै० लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम हल्दुआ, तहसील सितारगंज	02.03.2009	200 टन/दिन	संचालित
67.	सितारगंज	राधे इन्फ्रा सोल्यूशन प्रा०लि०, ग्राम कुंवरपुर, सितारगंज	16.01.2014	600 टन/दिन	संचालित
68.	सितारगंज	मै० सितारगंज स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम बरूवाबाग, तहसील सितारगंज	03.07.2019	100 टन/घंटा	संचालित
69.	सितारगंज	मै० एल.एस.सी. इन्फ्राटेक लि०, ग्राम बरूआबाग, तहसील सितारगंज	17.05.2018	100 टन/घंटा	संचालित
70.	सितारगंज	मै० कामाख्या स्टोन क्रेशर, एल.एल.पी. ग्राम बरूवाबाग, तहसील सितारगंज	17.05.2018	100 टन/घंटा	संचालित
71.	सितारगंज	मै० मार्डन ग्रिट इण्डस्ट्रीज, एल.एल.पी., ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	15.05.2018	100 टन/घंटा	संचालित
72.	सितारगंज	मै० जयश्री राम इन्फ्राटेक, एल.एल.पी., ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	30.11.2018	100 टन/घंटा	संचालित
73.	सितारगंज	श्रीमती प्रिया अग्रवाल, ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	11.06.2019	100 टन/घंटा	संचालित
74.	सितारगंज	मै० बरेली स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री कुलदीप सिंह आदि, ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	10.06.2019	100 टन/घंटा	संचालित
75.	सितारगंज	सितारगंज स्टोन क्रेशर, ग्राम बमनपुरी, तहसील सितारगंज	30.07.2015	600 टन/दिन	संचालित
76.	सितारगंज	मै० रामा स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम रसोईयापुर, तहसील सितारगंज	03.07.2019	100 टन/घंटा	संचालित
77.	सितारगंज	मै० सरिता रानी एण्ड कम्पनी नेचुरल एण्ड स्क्रीनिंग प्लान्ट, ग्राम उकरौली, तहसील सितारगंज (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	26.06.2019	100 टन/घंटा	संचालित
78.	काशीपुर	मैसर्स ओम स्टोन प्रोडक्टस पार्टनर, श्रीमती पारूल अग्रवाल एवं श्री स्पर्श अग्रवाल, नई लाईन रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम गांधीनगर, तहसील काशीपुर के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 2.0236 है0 मध्ये 1.416 है0	01 अक्टूबर 2021	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

79.	बाजपुर	श्री गुरु स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।	24 दिसम्बर 2021	**200 टन प्रति घंटा**	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
80.	बाजपुर	मै0 गुरूकृपा स्टोन क्रेशर, ग्राम इटव्वा, तहसील बाजपुर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
81.	बाजपुर	मै0 गुरूनानक स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम जगतपुर, तहसील बाजपुर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
82.	बाजपुर	मै0 प्रिंस इण्टरप्राईजेज स्क्रीनिंग प्लांट, प्रो0 श्री हरजिन्दर सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह, ग्राम बैतखेड़ी, तहसील बाजपुर	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
83.	काशीपुर	मै0 जगदम्बा स्टोन क्रेशर, ग्राम दभौरा एहतमाली, तहसील काशीपुर	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
84.	सितारगंज	मै0 शालक क्रसिंग एण्ड माइनिंग प्रा0लि0, निदेशक श्री योगेश बंसल व श्री राजेश बंसल, नि0 पैरापुरा वार्ड नं0 10, ओल्ड बाईपास रोड़, सितारगंज	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
85.	बाजपुर	मै0 माँ भगवती इन्फ्राटेक एण्ड बिल्डकॉन, नि0 ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
86.	बाजपुर	मै0 बाबादीप सिंह स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

87.	बाजपुर	मै0 श्री हरी स्टोन क्रेशर, ग्राम मुकन्दपुर, तहसील बाजपुर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
88.	बाजपुर	मै0 भारत स्टोन क्रेशर, ग्राम महताबवन, तहसील बाजपुर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
89.	बाजपुर	मै0 गुरूअंगद देव स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
90.	बाजपुर	मै0 बेसलिफ्ट कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 (ट्रेड नेम मॉ वैष्णो स्टोन क्रेशर), ग्राम मडैय्या गुलजारी, तहसील बाजपुर	2022	300 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
91.	बाजपुर	मै0 गोबरा स्टोन क्रेशर प्रो0 सरवनिछर सिंह कहलो, ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
92.	बाजपुर	मै0 मार्डन स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
93.	बाजपुर	मै0 प्रेमगंगा इन्फ्राटेक प्रो0 रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री गंगा राम, नि0 रामजीवनपुर, तहसील बाजपुर	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।
94.	बाजपुर	मै0 अमर स्टोन क्रेशर, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे अंसचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

95.	बाजपुर	मै0 आनन्द स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
96.	बाजपुर	मै0 पूर्णागिरी स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, ग्राम उमरूकला, तहसील खटीमा, जनपद उधमसिंहनगर	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
97.	बाजपुर	मै0 श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, पता सी0–32 अलाइयेन्स कालोनी, रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर	2022	300 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
98.	बाजपुर	मै0 गुरूनानक नेचुरल मिनरल्स, ग्राम पटौटी, पो0ओ0 ढकिया नं0–1, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर (स्क्रीनिंग प्लांट)	2022	200 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
99.	बाजपुर	मै0 एन0एस0एस0सी0 इन्फटेक एल0एल0पी0, ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर	2022	300 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।
100.	बाजपुर	मै0 गुलजारपुर स्टोन क्रेशर प्रो0 कलजिन्दर कौर पत्नी श्री लखविन्दर सिंह, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।	2022	100 टन प्रति घंटा	क्रेशर स्थापना की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान मे असंचालित।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांटों का विवरण।

क्र0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष	क्षमता	संचालित/असंचालित
1	चिन्यालीसौड	मैसर्स गणपति इण्टर प्राईजेज स्टोन क्रेशर, ग्राम मौघहराली नामे तोक ता0 चि0सौड़ जि0 उत्तरकाशी	2012	20 टन प्रति घंटा	संचालित
2	डुण्डा	राजाजी स्टोन केशर, ग्राम पटारा पटटी भण्डारस्यू तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2018	20 टन प्रति घंटा	संचालित
3	डुण्डा	मैसर्स ऊमा स्टोन क्रेशर ग्राम हिटाणु मय भालसी, तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2013	20 टन प्रति घंटा	संचालित
4	डुण्डा	गंगाडी स्टोन क्रेशर ग्राम मातली के कैलाथ नामे तोक, तहसील डुण्डा, उत्तारकाशी।	2008	20 टन प्रति घंटा	संचालित
5	डुण्डा	बी0एल0 स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम खरवां पो0 साल्ड,तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2016	20 टन प्रति घंटा	पोर्टल अपडेट न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
6	डुण्डा	श्री प्रवीन चन्द्र रमोला, ग्राम जुणगा, तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी	2018	20 टन प्रति घंटा	संचालित
7	डुण्डा	मैसर्स फाईव जोन डेव–लपमेन्ट एण्ड स्टोन क्रेशर ग्राम ईड के पिनयाली नामे तोक, तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2014	20 टन प्रति घंटा	पोर्टल अपडेट न होने के कारण वर्तमान मे असंचालित।
8	डुण्डा	श्री अजवीर सिंह पवार पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी ग्राम जुगुल्डी, पट्टी बरसाली, तहसील डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी	2019	20 टन/घंटा	संचालित
9	बडकोट	मै0 अस्तित्व अनन्त राज इण्टरप्राईजेज एण्ड स्टोन क्रेशर ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट जनपदउत्तरकाशी	2014	40 टन प्रति घण्टा	संचालित
10	बडकोट	मै0 शिवम इण्डस्ट्रीज बडकोट (स्टोन क्रेशर) ग्रामपौन्टी, राजगढी तहसील बडकोट जि0 उत्तरकाशी	–	20 टन प्रति घण्टा	संचालित
11	बडकोट	श्री जमदग्नी ऋषि महाराज कन्सट्रक्शन कम्पनी, ग्रामथान (रवाडा) पट्टीठकराल, तहसील बडकोट ,उत्तरकाशी।	2019	30 टन प्रति घण्टा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

12	चिन्यालीसौंड	जय भैरव देवता स्टोन क्रेशर, ग्राम मल्ली, तहसील चिन्यालीसौंड़ उत्तरकाशी	2021	20 टन प्रति घंटा	संचालित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून